श्रीगुरु नानकदेव जी महाराज (विस्तृत परिचय भीतर देखिए)

पृष्ठ-संख्या ३५० ; सचित्र तथा प्रोटेक्टिङ्ग-कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य ३) रु०

स्थायी ग्राहकों से २।) मात्र ; पुस्तक का तीसरा संशोधित संस्करण छप कर तैयार है।

[लेखक श्री० गङ्गाप्रसाद जी उपाध्याय, एम० ए०]

कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

The Leader :

The book was noticed in the LEADER when its first edition appeared in 1924. Since then it has gone through two more editions, which shows that the public has appreciated the value of the book. It deals with almost every aspect of widow remarriage. The revised edition contains more matter than the first, and the printing and get-up also show great improvement. Some illustrations have also been added which add to the beauty of the book.

The Indian Social Reformer :

It is a neatly printed volume of more than 350 pages with six Plates, the price being only Rs. 3. In his introduction to the book Mr. Ramrakh Singh Saigal has given some statistics of maidens, married women and widows in the different countries, showing also that the number of widows in India has not decreased during the years 1881 to 1911. Mr. Upadhyaya has considered the subject of widow-marriage from many points of view. He has shown from many a quotation from the *Shrutis* and *Smritis* how the Hindu religious books do not place a ban on the remarriage of widows. He has copied the Hindu Widows Remarriage Act, 1856, for the information of the reader, and considered all the arguments against widow-marriage. The Chapters describing the social degeneration due to the prohibition to remarrying as well as the wretched condition of widows, are quite touching. The writer has also appended the opinions of some of our leaders such as the late Pandit Ishwara Chunder Vidyasagar, Mahatma Gandhi, Pandit Krishnakant Malaviya and Swami Radhacharan Goswami. Thus the book is well worth a perusal by all people interested in the amelioration of the condition of widows.

प्रताप :—

जाति कैसे भला न डूबेगी, किस लिए जाय बहन दे खेवा !
जब नहीं सालती कलेजे में, चार और पाँच साल की बेवा !!

भारतवर्ष में विधवाओं की दशा कैसी दयनीय है, यह किसी से छिपा नहीं है। जहाँ समाज में अनेकानेक घुन हैं, वहाँ विधवा भी समाज की अधोगति का एक प्रमुख कारण है। विधवा-विवाह-विषय एक प्राचीन एवं विवादास्पद विषय है। इसकी पुष्टि तथा खण्डन पर बहुत सी वक्तृताएँ दी गई हैं, समाचार-पत्रों में प्रचण्ड आन्दोलन हुआ है तथा पर्याप्त पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। परन्तु वास्तव में शास्त्रीय ढङ्ग से इस विषय पर बहुत कम लिखा गया है। हमें ऐसे साहित्य की आवश्यकता है, जो पढ़े-लिखे विचारशील पुरुषों को आकृष्ट तथा प्रभावान्वित कर सके। प्रस्तुत पुस्तक इस आवश्यकता को बहुत अंशों में पूर्ण करती है। पुस्तक चौदह अध्यायों में विभक्त है। प्रायः सभी अङ्गों पर विवेचन किया गया है। आवश्यकतानुसार शास्त्रों के अवतरण भी दिए गए हैं। स्थानाभाव से हम उनका पूर्ण रूपेण विवेचन करने में असमर्थ हैं। इस विषय पर महान् पुरुषों की सम्मतियाँ देकर पुस्तक की महत्ता और भी बढ़ा दी गई है। लेखक के चित्र के अतिरिक्त अन्य कई रङ्गीन करुणात्मक और विनोदात्मक चित्र हैं। लेखक ने बड़े परिश्रम तथा अध्यवसाय से विधवाओं की संख्या सम्बन्धी तालिकाएँ देकर विषय को और भी हृदयग्राही बना दिया है। अन्त में मर्मस्पर्शी कविताओं का सङ्कलन है। कुछ कविताएँ हृदय-सागर में उथल-पुथल मचा देने वाली हैं। उदाहरणार्थ :—

रोती है इसलिए कि सुन्दर, चूड़ी फोड़ी जाती हैं !
क्या समझे ? तेरे सुहाग की हड्डी तोड़ी जाती हैं ! इत्यादि।

देखिए ! बाल विधवा का कितना जीवित चित्रण है। प्रस्तावना-लेखक के कुछ शब्द हमें अच्छे मालूम हुए। पाठकों के अवलोकनार्थ अवतरित करते हैं—"पातिव्रत्य धर्म क्या है ? जो बहिनें इसका महत्व जानती हैं अथवा जो दाम्पत्तिक प्रेम का भली-भाँति अनुभव कर चुकी हैं—जो बहिनें जानती हैं कि भारतीय विवाह-प्रणाली अन्य यूरोपियन देशों के समान काम-वासना की तृप्ति का साधन मात्र अथवा "Matrimonial Contract" नहीं है, बल्कि स्त्री और पुरुष को दो भिन्न-भिन्न आत्माओं को एक में मिल कर मोक्ष प्राप्ति का एक अनुष्ठान और गृहस्थ-जीवन में रह कर भी निरन्तर तपस्या का एक साधन है—उनके बारे में हमें कुछ नहीं कहना है। वे साक्षात देवी हैं और हमें उनके पवित्र चरणों में श्रद्धा है। ऐसी विधवाओं के पुनर्विवाह की कल्पना करना भी हम अपनी माता का घोर अपमान करना समझते हैं। हम जानते हैं कि पातिव्रत्य धर्म का पालन करने और पुनर्विवाह के सिद्धान्त में कौड़ी और मोहर का अन्तर है, पर आपद्धर्म भी कोई चीज़ है।" और इसी आपद्धर्म में विधवा-विवाह न्याय-सङ्गत और आवश्यकीय बतलाया है।

अन्त में हम श्रीमती सहगल को महिला-समाज-सेवा के लिए अनेक साधुवाद देते हैं। पुस्तक की छपाई के लिए 'चाँद-कार्यालय' का नाम पर्याप्त है। हम पुस्तक का प्रचार चाहते हैं।

☛ व्यवस्थापक—चाँद-प्रेस लिमिटेड, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

वर्ष २, खण्ड १ | इलाहाबाद–सोमवार; ७ दिसम्बर, १९३१ | संख्या १०, पूर्ण संख्या ६०

लगानबन्दी का आन्दोलन समस्त प्रान्त में फैलता जाता है

भारत में किसी भी दिन सत्याग्रह छिड़ सकता है

अगर सरकार जनता की बातों पर ध्यान दे, तो समझौते की बातचीत हो सकती है।

३ ता॰ की आधी रात को, जब कि म॰ गाँधी किंग्सब्रिज पर अपने छोटे से कमरे में आग से ताप रहे थे, उनके चारों तरफ़ विभिन्न अख़बारों और समाचार-एजन्सियों के ४० प्रतिनिधि ज़मीन पर बैठे हुए उनकी सम्मति की राह देख रहे थे। महात्मा जी ने कहा कि मैं अभी तक प्रधान मन्त्री की घोषणा या पार्लामेण्ट के विवाद पर निश्चयात्मक सम्मति देने में असमर्थ हूँ। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि निर्णय पर पहुँचने के पहले मैं अपनी तमाम शक्ति इस घोषणा और बहस को समझने में लगा दूँगा। साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि मेरे किसी निर्णय का तब तक कोई महत्व नहीं है, जब तक वह कॉङ्ग्रेस की वर्किङ्ग कमिटी के सामने पेश होकर मञ्जूर न कर लिया जाय।

सिविल डिसओबीडिएन्स

महात्मा जी ने अपनी सत्याग्रह सम्बन्धी घोषणा को फिर दुहराया और कहा कि यद्यपि मैंने प्रधान मन्त्री की घोषणा के जवाब में अपना रास्ता जुदा होने की बात कही थी, पर जैसा मैंने वायदा किया था, अभी तक मैं उस घोषणा पर पूर्ण रूप से विचार नहीं कर सका हूँ। किसी भी व्यक्ति के लिए यह बड़ी भारी ज़िम्मेदारी है कि वह तमाम राष्ट्र को फिर से अग्नि-परीक्षा में होकर गुज़रने के लिए कहे। इसलिए मैं सहज में लोगों को फिर से सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ करने की सलाह नहीं दे सकता। पर सरकार जिस प्रकार दमन-नीति से काम ले रही है और जो नए बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स से भली-भाँति प्रकट होता है, उससे सम्भव है तमाम अनुमान लौट जायँ और किसी भी दिन समस्त देश में सत्याग्रह आन्दोलन आरम्भ हो जाय।

महात्मा जी ने कहा कि मैं समझता हूँ कि मेरा इङ्गलैण्ड आना लाभदायक रहा। मैंने कॉन्फ्रेन्स के बाहर जो काम किया है, वह उसके भीतर के काम से अधिक मूल्यवान है। मैं समझौते की बातचीत को जारी रखने के लिए तैयार हूँ, बशर्तें गवर्नमेण्ट सन्तोष-प्रदान और जनता की बात सुनने की नीति से काम ले और साथ ही यदि प्रधान मन्त्री की घोषणा में कॉङ्ग्रेस की माँगों को स्वीकृत करने की गुञ्जायश हो।

फिर ग़दर-पार्टी

अमेरिका में भारतीय षड्यन्त्रकारी पार्टी का नेता गिरफ़्तार

रायटर ने लण्डन से ख़बर दी है कि अमेरिका में एक ऐसे भारतीय क्रान्तिकारी दल का पता लगा है, जिसका उद्देश्य भारत में रक्त-क्रान्ति फैलाना कहा जाता है। इस दल का धर्मसिंह नाम का नेता अपने आठ साथियों सहित संयुक्त-राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया है। ऐसा ख़्याल किया जाता है कि धर्मसिंह ने संयुक्त-राज्य में कई ख़ून भी किए हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है कि इस दल से सम्बन्ध रखने वाले प्रति वर्ष पच्चीस डालर सदस्यों के चन्दे से संग्रह किया करते थे। इसके सिवा जो भारतवासी अमेरिकन सरकार की आँखें बचा कर अमेरिका में प्रवेश करते हैं, उन्हें धमका कर भी यह पार्टी रुपए ऐंठा करती थी। इससे भी उसे बहुत रुपए मिले हैं।

सरकार के साथ समझौते की आशा जाती रही

कितनी ही कॉङ्ग्रेस कमिटियों ने लगान-बन्दी की आज्ञा माँगी

आन्दोलन को दबाने के लिए सरकारी ऑर्डिनेन्स भी तैयार है

यू॰ पी॰ गवर्नमेण्ट और कॉङ्ग्रेस में इस प्रान्त के किसानों की परिस्थिति और लगान घटाने के सम्बन्ध में जो लिखा-पढ़ी चल रही थी, उसका अब निश्चित रूप से अन्त हो चुका है। इसलिए प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी श्री॰ रफ़ीअहमद किदवई ने इस सम्बन्ध का तमाम पत्र-व्यवहार समाचार-पत्रों में प्रकाशित करा दिया है। समझौते के अन्त होने का प्रत्यक्ष कारण संयुक्त प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी की कौन्सिल का यह प्रस्ताव है, जिसे उसने इलाहाबाद में अपने १५ नवम्बर के अधिवेशन में पास किया था, और जिसके अनुसार इलाहाबाद ज़िला कॉङ्ग्रेस कमिटी को अधिकार दिया गया था कि वह समझौते की बातचीत के दरमियान लगान अदा न करने की सम्मति दे सकती है।

सरकार के नए सेक्रेटरी मि॰ क्ले ने कॉङ्ग्रेस कमिटी के प्रेज़िडेण्ट मि॰ शेरवानी को २ ता॰ को एक पत्र भेजा है, जिसमें कहा गया है कि चूँकि प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी अपने १५ नवम्बर के प्रस्ताव को, जिसमें ज़िला-कमिटी को लगानबन्दी का अधिकार दिया गया है, वापस लेने को राज़ी नहीं है, और उसने ज़िला-कमिटी को उस नोटिस को रद्द करने का आदेश देने से भी इन्कार किया है, इसलिए गवर्नमेण्ट इस सम्बन्धमें बातचीत करने के वायदे को, जो कुँवर जगदीश-प्रसाद ने किया था, साफ़ तौर पर वापस लेती है।

इसी तरह की सूचना भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी मि॰ एमरसन ने सरदार पटेल को दी है। सरदार पटेल ने मि॰ एमरसन को लिखा है कि अब भी इस समस्या को हल करने का एक तरीक़ा बाक़ी है।

आन्दोलन बढ़ रहा है

इधर रायबरेली, उन्नाव, इटावा और फ़र्रुख़ाबाद की कॉङ्ग्रेस कमिटियों की तरफ़ से यू॰ पी॰ कॉङ्ग्रेस कमिटी के पास लगानबन्दी का सत्याग्रह आरम्भ करने के प्रार्थना-पत्र आए हैं। कानपुर कॉङ्ग्रेस कमिटी ने भी ऐसा ही निश्चय किया है। इस तरह के तमाम प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने के लिए प्रान्तीय कमिटी ने एक सब-कमिटी बनाई है, जिसकी बैठक लखनऊ में ५ दिसम्बर को होने वाली थी। प्रान्तीय कमिटी की कौन्सिल की मीटिङ्ग भी उसके साथ ही होगी।

पं॰ जवाहरलाल नेहरू और कॉङ्ग्रेस कमिटी की कौन्सिल के अन्य मेम्बर ४ ता॰ को लखनऊ को रवाना हो गए। उनकी बातों से मालूम होता है कि सरकारी जवाब के कारण अब समझौते के बीच में लगान रोकने की सम्मति अब न दी जायगी। अब सम्भवतः कॉङ्ग्रेस कमिटियों को वे यही अनुमति देंगे कि जब तक लगान में काफ़ी कमी न कर दी जाय, तब तक वे किसानों को लगान अदा न करने की सम्मति दें।

नई दिल्ली की ख़बरों से मालूम होता है कि भारत-सरकार भी इस सम्बन्ध में बराबर संयुक्त प्रान्तीय सरकार से लिखा-पढ़ी करती रहती है। वह इस बात का पता लगा रही है कि अगर लगानबन्दी का आन्दोलन आरम्भ हो, तो प्रान्तीय सरकार को किन विशेष अधिकारों की आवश्यकता होगी। इस विषय पर वायसरॉय की कार्यकारिणी कौन्सिल में बहस हो चुकी है और सरकारी नीति पर भी विचार किया जा चुका है। आशा है कि सरकार ने इस परिस्थिति का मुक़ाबला करने की जो योजना सोची है उसकी घोषणा अगले सप्ताह के आरम्भ में ही हो जायगी और वह सम्भवतः एक नए ऑर्डिनेन्स के रूप में होगी।

महात्मा को सन्तोष हो गया ?

४ दिसम्बर को सुबह महात्मा गाँधी ने प्रधान-मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड से पौन घण्टे तक बातें कीं। इसके बाद दोहपर को वे सवा घण्टे तक सर सैमुअल होर से बातें करते रहे। इस बातचीत के फल-स्वरूप, कहा जाता है, कि वे सुरक्षित विषयों के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो गए हैं। उनसे कहा गया है कि अभी यह विवाद समाप्त नहीं किया गया है और कॉन्फ्रेन्स की वर्किङ्ग-कमिटी में इस पर बहस हो सकेगी। इस बात से आशा की जाती है कि महात्मा जी उस कमिटी का सदस्य होना स्वीकार करेंगे।

—'भविष्य' के सञ्चालक श्री० आर० सहगल पर ख़ाँ साहब रहमान बख़्शक़ादरी ने प्रेस-एक्ट वाले मुक़दमे में जो ७५० रु० जुर्माना किया था, उसकी अपील सेशन्स कोर्ट में की गई है। साथ ही जुर्माने को मुल्तवी रखने की भी अर्ज़ी दी गई थी, पर उसे सेशन्स जज ने नामञ्ज़ूर कर दिया। इस पर हाईकोर्ट में अपील की गई और जस्टिस कैण्डल ने विपक्ष के नाम नोटिस निकाला कि वह कारण दिखलावे कि श्री० सहगल जी की प्रार्थना क्यों न मञ्ज़ूर की जाय? इस पर मैजिस्ट्रेट ने जुर्माना जमा करने की तारीख़ २२ दिसम्बर तक बढ़ा दी।

—श्री० सहगल जी से 'फ़ाइन आर्ट प्रिन्टिङ्ग कॉटेज' के कीपर की हैसियत से जो ५००) रु० की ज़मानत माँगी गई थी, वह ३ दिसम्बर को जमा कर दी गई।

—ढाका का ३ दिसम्बर का समाचार है कि कुछ क़ुली लोगों को, जो ढाका से ५ मील के फ़ासले पर रेलवे के किनारे ज़मीन खोद रहे थे, २२ बम गड़े हुए मिले। उनको यह मालूम न हो सका कि वे क्या हैं, इसलिए तेजगाँव स्टेशन पर ले जाकर उनको पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया।

—पेशावर में कितने ही दिनों से रण्डियों के मकानों की जो पिकेटिङ्ग जारी थी, उसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ग़ैर-क़ानूनी कह कर रोकने का हुक्म दिया है। ख़िलाफ़त कमिटी वालों में बड़ी सनसनी फैली है और उसकी तरफ़ से चीफ़ कमिश्नर, भारत-सरकार, इन्सपेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस तथा बड़ी व्यवस्थापक सभा के सदस्यों के पास विरोध के तार भेजे गए हैं।

—चारसद्दा में असिस्टेण्ट कमिश्नर कप्तान बेकन ने दफ़ा १४४ का हुक्म जारी करके दो महीने के लिए सब प्रकार का जुलूस और प्रदर्शन, सिवाय धर्म से सम्बन्ध रखने वालों के, रोक दिए हैं। चारसद्दा की छोटी जेल के लालकुर्ती वालों के तीन नेता और नौ अन्य व्यक्ति गिरफ़्तार कर लिए गए। ये सब मर्दान जेल में भेजे गए हैं।

—इलाहाबाद ज़िले के सिरसा पोलिङ्ग स्टेशन पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव के अवसर पर झगड़े की आशङ्का होने से कलक्टर ने वहाँ दफ़ा १४४ लगा दी है कि कोई व्यक्ति वहाँ ६ से १२ दिसम्बर तक किसी तरह का हथियार और लाठी आदि लेकर न जाय।

—बम्बई के प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट ने लक्ष्मीनारायण शान्तिराम उर्फ़ शिवनारायण पाठक नामक व्यक्ति को बिना लायसेन्स रिवॉल्वर रखने के क़सूर में १८ महीने की कड़ी क़ैद की सज़ा दी है। पुलिस की ओर से कहा गया था कि वह रिवॉल्वर और एक बड़ा चाक़ू लेकर कालबा देवी की एक दुकान के पास डाका डालने की नीयत से गया था।

—श्रीनगर की हिन्दू-सभा ने निश्चय किया है कि अगर सरकार ने हिन्दुओं के स्वीकार करने योग्य नए प्रतिनिधि नियुक्त न किए और इस बात की स्पष्ट घोषणा न की कि हिन्दू-लॉ के संशोधन पर विचार न किया जायगा, तो हिन्दू ग्लैन्सी कमीशन का बॉयकॉट करेंगे।

—बड़े दिन की छुट्टियों में इटावा में होने वाली संयुक्त प्रान्तीय राजनीतिक कॉन्फ्रेन्स के प्रेज़िडेण्ट बनारस के बाबू श्रीप्रकाश चुने गए हैं।

—लाहौर का २७ नवम्बर का समाचार है कि वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट सोंधी पिण्डीदास से राजद्रोही प्रचार करने के अभियोग में दस हज़ार की ज़मानत माँगी है। दूसरे लाहौर कॉन्सपिरेसी-केस की डिफ़ेन्स-कमिटी के मेम्बर श्री० क्रान्तिकुमार से भी दस हज़ार की ज़मानत माँगी गई। सोंधी जी ज़मानत देकर छूट गए, पर क्रान्तिकुमार ने ज़मानत न देकर एक वर्ष के लिए जेल जाना स्वीकार किया।

—पटना बम-केस के अभियुक्त श्री० सूरजनाथ चौबे को सेशन्स जज ने सात साल की कड़ी क़ैद की सज़ा दी थी। सरकार की तरफ़ से हाईकोर्ट में सज़ा को बढ़ाने की अपील की गई और उसके फल-स्वरूप अब अभियुक्त को दस वर्ष की सज़ा भोगनी होगी।

पोस्टकार्ड और लिफ़ाफ़ों का मूल्य बढ़ा

सरकारी सूचना है कि १५ दिसम्बर से लिफ़ाफ़े का दाम ५ पैसा और पोस्टकार्ड का ३ पैसा हा जायगा। जो लोग इससे कम महसूल लगाएँगे, उनकी चिट्ठियाँ जला दी जायँगी।

—इलाहाबाद ज़िले के ज़मींदारों ने कॉङ्ग्रेस के लगानबन्दी आन्दोलन का मुक़ाबला करने के लिए अपना एक सङ्गठन बनाया है। इसका उद्देश्य लगानबन्दी के विरुद्ध आन्दोलन करना और ज़मींदारों की मालगुज़ारी अदा करने का उपाय करना है। उनकी तरफ़ से किसानों को पर्चों और व्याख्यानों द्वारा समझाने की कोशिश की जायगी कि उनको काफ़ी माफ़ी मिल चुकी है और यदि वे अब भी लगान अदा न करेंगे, तो उनकी ज़मीनें ज़ब्त हो जायँगी और कभी वापस न दी जायँगी।

—४ दिसम्बर को सुबह वायसरॉय सपत्नीक हवाई जहाज़ द्वारा कलकत्ता के लिए रवाना हुए। ६ बजे आप चाय-पानी के लिए लखनऊ उतरे और ४ बज कर ५० मिनट पर कलकत्ता जा पहुँचे।

—यू० पी० नौजवान भारत-सभा के प्रेज़िडेण्ट श्री० रामसरनदास जौहरी ने हाथरस में भाषण देते हुए म्युनिसिपल चुनाव का बॉयकॉट करने की सलाह दी है। नौजवान भारत-सभा की तरफ़ से चुनाव के अवसर पर पिकेटिङ्ग की जायगी।

—पेशावर का समाचार है कि नौशेरा ब्रिगेड के कमाण्डर ने पेशावर की चारसद्दा तहसील को लालकुर्ती वालों का अड्डा घोषित किया है और हुक्म दिया है कि कोई भी यूरोपियन वहाँ बिना दो हथियारबन्द सिपाहियों को साथ लिए न जाय। पेशावर शहर में भी तमाम यूरोपियन अफ़सरों का आना बन्द कर दिया गया है, सिवाय उनके जो वहाँ अपनी ड्यूटी पर हैं।

—२ दिसम्बर को कानपूर में पुलिस और ख़ुफ़िया वालों ने कितने ही मकानों की तलाशी ली। जिन लोगों के यहाँ तलाशी ली गई, उनके नाम ये हैं—महावीर पाण्डेय जनरलगञ्ज, जहाँ से पुलिस चन्द्रशेखर आज़ाद की एक तस्वीर ले गई। किशनलाल अग्रवाल जनरलगञ्ज, जिसके घर से पुलिस एक बल्लम, एक रिवॉल्वर और कितने ही काग़ज़ात ले गई। रूपनारायण त्रिवेदी अनवरगञ्ज, रामेश्वर उर्फ़ रमेश बादशाही नाका, कपूरचन्द सीताराम मुहाल; मदनलाल खन्ना फ़ीलख़ाना; मन्नीलाल पाण्डे नाचघर; पण्डित गङ्गासहाय चौबे, हिन्दुस्तानी वाशिङ्ग कम्पनी जनरलगञ्ज; मन्नीलाल बादशाही नाका; पी० एन० मिश्र चौक और पं० जगदम्बाप्रसाद हितैषी। कहा गया है कि ये तलाशियाँ हाल के राजनीतिक अपराध के सम्बन्ध में हुई हैं। तलाशियों में बहुत सा ज़ब्त साहित्य, फोटोग्राफ़ और तस्वीरें आदि मिलीं।

—बम्बई का २ दिसम्बर का समाचार है कि देशी राज्य प्रजा-परिषद् की तरफ़ से कॉङ्ग्रेस के प्रेज़िडेण्ट को एक मेमोरियल दिया गया है, जिसमें रियासतों की प्रजा की कम से कम माँगें पेश की गई हैं। मेमोरियल पर भारत भर की रियासतों के ४६,७७८ व्यक्तियों के दस्तख़त हैं।

—आगरा का ३ दिसम्बर का समाचार है कि बन्नी नामक गाँव में लोगों ने पुलिस पर हमला किया और गिरफ़्तार आसामी को छुड़ाने की चेष्टा की। पुलिस ने तीन गोलियाँ चलाईं, जिनसे दो आदमी मरे और एक ज़रा बच गया।

—पञ्जाब सरकार ने 'मालती काश्मीर या ख़ूनी बफ़ता' नामक उर्दू पैम्फ़लेट, जिसका लेखक मुहम्मदअली नामक व्यक्ति है, रियासतों के क़ानून के विरुद्ध बतला कर ज़ब्त कर लिया है।

—'युवक' के सम्पादक श्री० रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी ने, जिनको दफ़ा १२४-ए में एक साल की क़ैद और २५०) रु० जुर्माने की सज़ा दी गई थी, हाईकोर्ट में उसके विरुद्ध अपील की थी। जजों ने यह कह कर कि यह सज़ा अधिक कड़ी नहीं है, अपील ख़ारिज कर दी।

—विलायत के सुप्रसिद्ध लिबरल नेता मि० लॉयड जार्ज ४ दिसम्बर को बम्बई आए। आप स्वास्थ्य-सुधार के लिए अपनी पत्नी और लड़की के साथ कोलम्बो जा रहे हैं। बम्बई कारपोरेशन ने आपका स्वागत किया और आपने एक विशाल सभा के सम्मुख भारत की राजनीतिक परिस्थिति पर भाषण किया। आपने कहा कि राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स दो बार असफल हो चुकी है, तीसरी बार आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। महात्मा गाँधी की आपने बहुत प्रशंसा की और कहा कि उन्होंने मेरे साथ जो बातचीत की, उसका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ा है।

—३० नवम्बर को अमृतसर की वेङ्कटेश्वर मिल पर हड़ताली मज़दूरों ने पिकेटिङ्ग की। कुछ मज़दूर उनको हटा कर काम पर जाने लगे। पुलिस ने धक्का देकर पिकेटिङ्ग करनेवालों को हटाया, जिससे कुछ लोगों को मामूली चोट भी लगी। इतने पर भी जब पिकेटिङ्ग वाले न माने तो पुलिस-अफ़सर और मैजिस्ट्रेट ने मौक़े पर पहुँच कर उनकी गिरफ़्तारी का हुक्म दिया। हड़तालियों के नौ नेता गिरफ़्तार किए गए, जो स्थानीय नौजवान-सभा के भी प्रमुख कार्यकर्ता हैं। उन पर दफ़ा १०७ और १५१ का मुक़दमा चलेगा।

—नई देहली का ३ तारीख़ का समाचार है कि संयुक्त-प्रान्त के अलावा चारसद्दा (पेशावर) की दशा भी सरकार को चिन्तित बना रही है। अब यह राह देखी जा रही है कि प्रधान मन्त्री की घोषणा का सीमा-प्रान्त पर क्या असर पड़ता है। साथ ही रेड शर्ट वालों की कार्रवाई पर पूरी निगाह रक्खी जा रही है।

—आल इण्डिया रेलवेमैन्स फ़ेडरेशन के डेपुटेशन ने देहली में रेलवे-बोर्ड के अधिकारियों से बहस करके रेलवे कर्मचारियों को घटाने के सम्बन्ध में नई तजवीज़ तैयार कराई है। इसके अनुसार जब तक रेलवे जाँच-कमिटी का काम ख़त्म न हो, तब तक कम से कम लोग नौकरी से अलग न किए जायँगे।

—रङ्गून का ३ दिसम्बर का समाचार है कि थायेटमों में हाल में एक गाँव में डाका डालने की चेष्टा की गई, पर गाँव वालों ने पुलिस की सहायता से डाकुओं पर गोली चलाई, जिससे एक मारा गया और दूसरा घायल हुआ। पेगू की घाटी में विद्रोही दल की १५ झोपड़ियाँ फौज ने जला दीं। टोंगू नामक स्थान में १४ डाकुओं का एक दल पकड़ा गया है।

—शिवदत्त नाम के कॉङ्ग्रेस किसान वालण्टियर को पीटने के क़सूर में रामदत्त तथा अन्य व्यक्तियों को दोषी क़रार देकर सज़ा दी गई थी। रायबरेली के सेशन्स जज ने उनकी अपील ख़ारिज कर दी, पर तीन महीने की शेष क़ैद की सज़ा को बदल कर २०) रु० जुर्माने की सज़ा दी। एक याद रखने की बात यह है कि इस मामले का ज़िक्र म० गाँधी ने अपनी 'चार्ज-शीट' में किया था।

—सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा है कि प्रधान मन्त्री की घोषणा के कारण विभिन्न प्रान्तों के कॉङ्ग्रेस-मैनों के मौजूदा कार्यक्रम में किसी तरह का अन्तर नहीं पड़ सकता और वे जनता की सेवा के लिए जिन कामों को रहे हैं उनको कदापि नहीं रोका जा सकता। कॉङ्ग्रेसमैनों का कभी यह विश्वास न था कि अङ्गरेज़ी सरकार के वायदे सच हैं, न वे यह समझते हैं कि सरकार केवल तर्क में परास्त होकर शक्ति को अपने हाथ से छोड़ देगी। इन तमाम बातों पर विचार करने के लिए गाँधी जी के लौटने के बाद, सम्भवतः इस मास के अन्त तक, वर्किङ्ग कमिटी की बैठक में विचार होगा और तभी कुछ निर्णय हो सकेगा।

—जोधपुर में श्री० नरसिंह दास, जयनारायण, दाऊदास और कानमल नामक चार नवयुवकों को तीन-तीन महीने की सज़ा, १२५) रु० जुर्माना किया गया। इसके विरोध में एक सभा की जाने वाली थी।

—२९ नवम्बर को कानपुर की पुलिस ने कालिका प्रसाद वैद्य के मकान की तलाशी ली सुखदसिंह और एक अन्य व्यक्ति को, जो भागे हुए अभियुक्त बतलाए जाते हैं, गिरफ़्तार किया। उनके यहाँ से कुछ गोली-बारूद और एक फ़रसा मिला। कहा जाता है कि यह गिरफ़्तारियाँ नरवल डकैती के सम्बन्ध में हुई हैं।

—इन्दौर की भण्डारी और स्टेट मिलों के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी है। वहाँ की मज़दूर-सभा ने उनके सहायतार्थ चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया है।

—गुजरात कॉङ्ग्रेस कमिटी ने आगामी पुरी-कॉङ्ग्रेस के अध्यक्ष के लिए श्री० राजेन्द्रप्रसाद और श्री० राजगोपालाचारी का नाम चुना है।

—नागपुर का समाचार है कि मराठी सी० पी० कॉङ्ग्रेस कमिटी के जेनरल सेक्रेटरी श्री० एस० टी० धर्माधिकारी को बेतूल के मैजिस्ट्रेट ने दफ़ा १२४-ए में ५०० रु० जुर्माने की सज़ा दी है। जुर्माना न देने पर छः मास की कड़ी क़ैद का दण्ड भोगना होगा। अभियुक्त को फ़ैसला होने के बाद भी हवालात में नहीं रक्खा गया।

—२७ नवम्बर को बम्बई के ओपेरा हाउस में 'न्याय' नाम का एक नाटक खेला जाने वाला था, जिसमें एक पारसी महिला के हिन्दू-धर्म ग्रहण करके एक हिन्दू के साथ शादी करने का वर्णन था। यह बात पारसियों को बुरी लगी और वे लोग थियेटर के बाहर इकट्ठे होकर नाटक के कुछ भाग को निकाल देने की ज़िद करने लगे। भीड़ बहुत अधिक हो जाने से पुलिस-कमिश्नर पुलिस के एक ज़बर्दस्त दल के साथ मौक़े पर पहुँचे और शान्ति स्थापित की गई। पर नाटक का खेला जाना रुक गया।

—ता० १ दिसम्बर को कानपुर की जुगीलाल कमलापति कॉटन मिल के १७५ मज़दूरों ने हड़ताल कर दी।

—२८ नवम्बर को मौलाना शौकतअली ने रोम के पोप से भेंट की।

—महाराज काश्मीर ने २९ तारीख़ को दिल्ली में वायसरॉय से भेंट की।

—यू० पी० की रीट्रेञ्चमेण्ट कमिटी ने संयुक्त-प्रान्त के तमाम कमिश्नरों के पदों को तोड़ने की सम्मति दी है।

—बर्मा-विद्रोह के नेता सायासेन को २८ नवम्बर को फाँसी दे दी गई।

—पेशावर का समाचार है कि चारसद्दा में ८ लाल-कुरती वाले फ़ौजी सिपाहियों को गालियाँ देने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे। माफ़ी माँग लेने पर उनको छोड़ दिया गया।

—पार्लामेण्ट ने ३ दिसम्बर को मि० मैकडॉनल्ड की राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स की घोषणा को स्वीकार कर लिया। मि० चर्चिल ने उसके विरोध में एक संशोधन उपस्थित किया था, पर उसके पक्ष में केवल ४३ वोट आए और विपक्ष में ३६९।

—महात्मा गाँधी ५ ता० को लन्दन से रवाना होने वाले थे। रास्ते में वे एक दिन पेरिस में ठहर कर व्याख्यान देंगे। ६ दिसम्बर को वे विलेनेव्यू पहुँच कर वहाँ कुछ समय ठहरेंगे। वे रोम जाने का इरादा भी कर रहे हैं। १४ ता० को वे भारत के लिए रवाना हो जायँगे।

—नागपुर की मेहतर यूनियन ने मोरिस कॉलेज की घटना के सम्बन्ध में एक विरोध का प्रस्ताव पास किया है और सरकार से आग्रह किया है कि वह यूनियन के प्रतिनिधियों की सलाह से इस मामले की जाँच करे।

—लखनऊ के क्रिश्चियन कॉलेज के ३४ विद्यार्थियों ने ६ आना मज़दूरी पर कुली का काम किया, वे कुलियों के कपड़े पहने थे और उनके हाथों में फावड़े और टोकरियाँ थीं। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य मज़दूरी की महिमा लोगों को समझाना है, ये सब विद्यार्थी ग्रेजुएट और अण्डर-ग्रेजुएट थे।

—सरनाना (रोहतक) में अछूत लोगों की एक कॉन्फ़्रेन्स ने डॉ० आम्बेडकर में अविश्वास का प्रस्ताव पास किया और म० गाँधी को ही अपना सच्चा प्रतिनिधि माना।

दुबे जी की चिट्ठी

(४थे पृष्ठ का शेषांश)

बहुत मुनासिब रहा। यदि ऐसे ही दो-चार ऑर्डिनेन्स और निकल जायँ तो कम से कम पचास वर्षों के लिए भारतवासी स्वराज्य माँगना भूल जायँ! क्यों सम्पादक जी, आपकी क्या राय है?

भवदीय

—विजयानन्द (दुबे जी)

* * *

ऑर्डिनेन्स पर लोकमत

अहमदाबाद का ३ ता० का समाचार है कि कॉङ्ग्रेस-प्रेज़िडेण्ट सरदार पटेल ने एसोसिएटेड प्रेस के सम्वाददाता से कहा है कि "हम लोग इस बात का अनुमान कि भविष्य में क्या होने वाला है, अपने सामने की घटनाओं से ही लगा सकते हैं। हाल में देश में जो नए मामले पैदा हुए हैं, मुझे विशेष रूप से उन्हीं का ध्यान है। बङ्गाल, संयुक्त-प्रान्त, पञ्जाब, सीमा-प्रान्त और मद्रास में विकट समस्याएँ उत्पन्न हो रही हैं। हर एक में दमन की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ती जाती है। इन सबमें नया और गम्भीर मामला बङ्गाल में आरम्भ होने वाला वह क़ानूनी आतङ्कवाद है, जो भारत के इतिहास में सबसे अधिक काले-ऑर्डिनेन्स के रूप में प्रकट हुआ है। यह नया ऑर्डिनेन्स चटगाँव में और सम्भवतः अन्य ज़िलों में भी मार्शल-लॉ का शासन जारी करने का अधिकार देता है। इसमें और मार्शल-लॉ में केवल नाम का अन्तर है, अन्यथा इसमें उसकी सब भयङ्करताएँ मौजूद हैं, यह किसी तरह के क़ानूनी शासन के बजाय नग्न भयङ्करता का राज्य स्थापित करता है। यह पुलिस और मैजिस्ट्रेटों को इतनी अधिक शक्ति देता है, जिसकी परिस्थिति को देखते कुछ भी आवश्यकता नहीं। इस ऑर्डिनेन्स का दुरुपयोग किया जायगा, यह बात अब तक के तमाम दमनात्मक क़ानूनों के इतिहास से, जिनका नौकरशाही ने प्रयोग किया है, सिद्ध होती है।"

सरदार वल्लभभाई ने कहा कि जब कॉङ्ग्रेस देखती है कि दमन का फ़ौलादी पञ्जा एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त में बढ़ता जाता है, तो वह सरकार द्वारा हाल में की गई सहयोग की घोषणा का सिर्फ़ एक ही अर्थ निकाल सकती है।

"ऑर्डिनेन्स की भयङ्करता का वर्णन कर सकने के बाहर है। मेरा विश्वास है कि यह सिवाय नियम-बद्ध कॉङ्ग्रेस आन्दोलन के, अन्य किसी उद्देश्य से जारी नहीं किया गया है। यह उन 'छोटे व्यवसाइयों' के सम्मुख आत्म-समर्पण करना है जिनका ज़िक्र स्वर्गीय देशबन्धु ने सन् १९१७ में किया था।"

—टी० सी० गोस्वामी

"यह एक ऐसा भयजनक क़ानून है जिसकी इस समय कोई ज़रूरत न थी......इसके द्वारा दरअसल समस्त बङ्गाल मार्शल लॉ के अधिकार में दे दिया गया है।"

—पी० सी० राय

"जो चोट कि हिंसात्मक क्रान्तिकारियों के लिए बतलाई जाती है वह हमको भय है, वास्तव में कॉङ्ग्रेस के विरुद्ध प्रयोग की जायगी।.........मालूम पड़ता है कि ईश्वर की इच्छा है कि बङ्गाल फिर एक बार कष्ट-सहन करे, जिससे भारत स्वाधीन हो सके।"

—किरणशङ्कर राय

"इस प्रकार के दमन की वृद्धि से उन युवकों पर बहुत कम असर हो सकता है, जो एक ऐसे पागलपन के काम के लिए, जिसे ग़लती से वे देश-सेवा समझे हुए हैं, स्पष्टतः अपनी जानें देने को तैयार हैं।"

—बी० सी० चटर्जी

ऑर्डिनेन्स को रद कराने की चेष्टा

लन्दन का ३ ता० का समाचार है कि म० गाँधी और सर सप्रू प्रधान मन्त्री से मिल कर नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स को रद कराने का आग्रह करने वाले हैं। महात्मा जी उनको बतलावेंगे कि इससे कमिटी की सफलता में बाधा पड़ेगी। महात्मा जी और मालवीय जी मिल कर ऑर्डिनेन्स को वापस लेने का प्रस्ताव भी सरकार के सामने पेश किया है।

अजी सम्पादक जी महाराज,

जय राम जी की !

लीजिए एक और ऑर्डिनेन्स निकल पड़ा। वल्लाह ! इन ऑर्डिनेन्सों ने तो मुर्ग़ी के अण्डों को भी मात कर दिया। नित्य एक नया ऑर्डिनेन्स मौजूद है। इससे साबित होता है कि "ताज़ीरात हिन्द" और "ज़ाब्ता फ़ौजदारी" अब सिर्फ़ लुटिया-चोरों और गिरह-काटों के लिए रह गए। अथवा केवल उनके लिए, जो कभी-कभी आपस में धौल-धप्पा कर लिया करते हैं। इनके अतिरिक्त शेष सब के लिए केवल ऑर्डिनेन्स की ही शक्ति काम देगी। अपने राम की राय शरीफ़ा में तो यह आता है कि उपरोक्त दोनों ग्रन्थ अब निकम्मे तथा रद्दी हो गए हैं। इन्हें पचपन साला के अनुसार अलग कर देना ठीक है और बस केवल ऑर्डिनेन्सों से क़ानून तथा शान्ति की रक्षा की जाय। ओफ़ ओह ! ये 'क़ानून' तथा "शान्ति" भी कितने मूल्यवान पदार्थ हैं। इन्हें 'अशान्ति' तथा 'अक़ानून' के ज़हर से बचाने के लिए श्रीमान् वायसरॉय महोदय को नित्य एक ज़हरमोहरा उगलना पड़ता है। कितना कष्ट-साध्य कार्य है। इस पर भी अनेक लोग वायसरॉय के पद पर ईर्षा करते होंगे। उन्हें उस प्रसव-पीड़ा का क्या पता, जो वायसरॉय महोदय को ऑर्डिनेन्स के जन्म देने में सहन करनी पड़ती है। जितना बड़ा पद होता है, कष्ट भी उतना ही बड़ा उठाना पड़ता है—यह मानी हुई बात है।

अपने राम को इसमें ज़रा भी शको-शुबह नहीं है कि इस ऑर्डिनेन्स के अवतार लेने से सोलहो आना लाभ ही लाभ है। इसकी छत्र-छाया में क़ानून और शान्ति बरसाती घास की तरह पनपेंगे और यह, आतङ्कवादियों से सरकार की उसी प्रकार रक्षा करेगा जैसे "फ़्लिट" मच्छरों से मनुष्य की रक्षा करता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि आतङ्कवाद है बहुत ही बुरी चीज़। और आतङ्कवादी संसार में घोर निकृष्ट प्राणी हैं। इन प्राणियों से साहब लोगों की रक्षा करना सरकार का परम धर्म है। यदि साहब लोगों की रक्षा न की जायगी तो क़ानून तथा शान्ति की रक्षा किस प्रकार हो सकेगी ? क्योंकि हिन्दुस्तान में शान्ति और क़ानून की रक्षा इन्हीं साहब लोगों द्वारा होती है। काला आदमी तो इन दोनों निरपराधों की हत्या करना जानता है—रक्षा करना नहीं। यद्यपि अपने राम ऑर्डिनेन्सों के पक्ष में कुछ अधिक नहीं हैं; परन्तु यह ऑर्डिनेन्स वायसरॉय महोदय ने नायाब निकाला। इस ऑर्डिनेन्स से अपने राम बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए हैं। अब आतङ्कवादियों को पता लगेगा कि बम और पिस्तौल चलाने में क्या मज़ा मिलता है !

अब ज़रा अपने राम इस ऑर्डिनेन्स का सिंहावलोकन करते हैं।

इस आर्डिनेन्स के अनुसार कोई भी व्यक्ति २४ घण्टे तक केवल सन्देह पर हवालात में रक्खा जा सकता है। कितनी अच्छी बात है। हालाँकि होना चाहिए था २४ दिन, परन्तु कोमल-हृदय वायसरॉय महोदय ने २४ दिन न रख कर २४ घण्टे कर दिया। सन्देह बहुत बुरी चीज़ है। और सन्देह का दूर हो जाना उतना ही आवश्यक है, जितना कि मेलेरिया ज्वर का दूर हो जाना। जिस प्रकार मेलेरिया ज्वर रह जाने से जीर्णज्वर भी हो जाता है, उसी प्रकार सन्देह रह जाने से जान का ख़तरा रहता है। इसलिए सन्देह को तो कभी रक्खे ही नहीं—चाहे किसी को २४ घण्टे नहीं, २४ दिन या २४ महीने हवालात में रखना पड़े। २४ घण्टे की मियाद क़ायम करना इसलिए भी आवश्यक था कि बाज़ आदमियों का स्वभाव ही शक्की होता है। मान लीजिए, किसी मैजिस्ट्रेट का स्वभाव ही शक्की है और ऐसा शक्की कि २४ घण्टे में वह शक दूर न हुआ—तब ? ऑर्डिनेन्स के कारण २४ घण्टे पश्चात् तो मैजिस्ट्रेट उसे हवालात में रख ही नहीं सकता। ऐसी दशा में क्या होगा ? मैजिस्ट्रेट बेचारे का तो खाया-पिया नहीं पचेगा। शक निकला ही नहीं और आसामी को छोड़ना पड़ा—हरे! हरे! कितना जोखिम का काम है। मि० एडीसन स्वर्ग सिधार गए, अन्यथा अपने राम उनसे प्रार्थना करते कि चलते-चलाते एक मैशीन ऐसी तो बनाए जाइए, जिससे २४ घण्टे में सन्देह अवश्य ही निकल जाय—या फिर सीमेण्ट के प्लास्टर की तरह दृढ़ हो जाय। या फिर कोई रसायनज्ञ ऐसी पेटेण्ट दवा तैयार करे, जिसके खा लेने से दस्तों के साथ सन्देह निकल जाया करे। जो ऐसी दवा बनावेगा, वह निश्चय ही संसार को लूट लेगा। वल्लाह ! यदि अपने राम इस समय चटगाँव में मैजिस्टेट होते तो आनन्द आ जाता। नित्य सौ-पचास आदमी सन्देह पर पकड़ कर बन्द रखते और २४ घण्टे पश्चात उन्हें छोड़ देते कि—'जाओ, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, केवल दिल्लगी के लिए तुम्हें बन्द रक्खा।" बाज़ार में निकलते और कोई सलाम न करता तो फट सन्देह में गिरफ़्तार करवा लेते। जो सरकारी आदमी को सलाम न करे, वह तो बड़ा ही सन्दिग्ध आदमी हो सकता है। और यदि सौभाग्य से कहीं पुलिस के अफ़सर होते, तो फिर क्या था ? पौबारा थे। लाख, पचास हज़ार रुपए तो महज़ शक ही शक में पैदा कर लेते। जिस बड़े आदमी से कह देते कि तुम पर अपने राम को शक है कि तुम आतङ्कवादियों से मिले हुए हो, वह कुछ न कुछ ख़ातिर करता ही। २४ घण्टे हवालात में बन्द रहना केवल वे ही पसन्द कर सकते हैं, जिनके लिए रात काटने का कहीं ठिकाना नहीं। फिर यह भी सोचते हैं कि यदि अपने राम वहाँ न हुए तो अच्छा ही हुआ। रुपया तो पैदा कर लेते, परन्तु स्वभाव घोर शक्की हो जाता। दूसरी बात, जो अपने राम को पसन्द है वह यह है कि सरकारी कार्य के लिए सरकारी अफ़सरों का किसी मकान अथवा वस्तु पर क़ब्ज़ा कर लेना। यह बिल्कुल उचित ही है। सरकार माई-बाप है। हिन्दुस्तान में जो कुछ है, सब उसी का है। वह उसे जब चाहे तब ले ले। जब तक वह किसी का मकान अथवा वस्तु नहीं लेती, तब तक उसकी कृपा समझना चाहिए। सम्पादक जी, इस पर भी अपने राम की छाती पर साँप लोटता है कि हाय हुसैन हम न हुए। यदि होते तो फिर क्या था ? कोई बहुत बड़ी कोठी ताक कर उस पर क़ब्ज़ा जमाते। चार-छः मोटरें प्रत्येक समय द्वार पर खड़ी रहतीं। सरकारी काम जो होता सो तो होता ही, बाक़ी अपने राम हर समय मोटर पर ही डटे रहते। दो-चार बड़े आदमी सेवा में हाज़िर रहते। जब अपने राम पुकारते—"कोई है ?" तब कोई रायबहादुर या ख़ानबहादुर हाथ बाँधे हुए सामने आकर कहते—"हाज़िर हुज़ूर, क्या हुक्म है ?" क्योंकि ऑर्डिनेन्स में यह भी है कि सरकारी काम के लिए ज़िलाधीश जिस व्यक्ति को चाहेगा, तलब कर सकेगा। सो अपने राम की तलब कुछ मामूली तलब नहीं है। अपने राम की तलब से लोग घबरा जाते और कुछ न कुछ भेंट देकर पिण्ड छुड़ाने की चेष्टा करते।

तीसरी बात किसी जमाअत या जनसमूह को दण्ड देने की है। यह भी बड़ी मज़ेदार बात है। एक ने किया और मुहल्ले का मुहल्ला अपराधी बना दिया गया। एक के अपराध के लिए मुहल्ले भर पर जुर्माना ; वाह वा ! हुकूमत सम्बन्धी अरमान निकालने का इससे अच्छा और कौन सा मौक़ा मिल सकता है ? परन्तु अपने राम के भाग्य में बदा ही नहीं है। 'सकल पदारथ हैं जग माहीं, कर्महीन नर पावत नाहीं।' सो इस मामले में अपने राम वज्र कर्म्महीन प्रमाणित हुए। ऐसा नादिर-(शाही) मौक़ा निकला जा रहा है। ग़ज़ब है ! सितम है ! वल्लाह ! और कुछ नहीं, तो इस समय वहाँ की कॉन्स्टेबिली ही मिल जाती, तब भी कुछ तो अरमान निकल जाते।

चौथी बात जो सब से ज़बरदस्त है, वह यह है कि हत्या की चेष्टा भी मृत्यु-दण्ड दिला सकेगी। किसी आतङ्कवादी ने किसी साहब पर पिस्तौल छोड़ा, परन्तु वार ख़ाली गया। बस पिस्तौल छोड़ने वाला फाँसी के तख़्ते पर पहुँच गया—साहब की जान मुनाफ़े में बच गई। इस दफ़ा का उपयोग अपने राम से अच्छा और कोई कर ही नहीं सकता। दफ़ा में यद्यपि 'हत्या की चेष्टा' दी हुई है। परन्तु अपने राम तो नियत ताड़ने वाले ठहरे। सूरत देखते और पहचान लेते कि यह आदमी किसी गोरे की हत्या करने का इरादा रखता है। बस इतना ही काफ़ी था। अजी जनाब ! हत्या की चेष्टा करने का अवसर ही क्यों दिया जाय ? चेष्टा का परिणाम न जाने क्या हो। इसलिए यह आवश्यक है कि लोगों की सूरत से ही उनका इरादा समझ कर उन्हें दण्ड दिया जाया—तभी तो आतङ्कवादी क़ब्ज़े में आवेंगे। सवेरे शहर भर के आदमी जमा किए जावें। वहाँ उन सबकी सूरत देख-देख कर उनका दिली इरादा समझ लिया जावे। जितनों की नियत ख़राब मालूम पड़े, उनको फाँसी पर लटका दिया जाय ! सीधा हिसाब है। जहाँ चार-छः रोज़ यह हुआ, बस लोग अपने समस्त इरादे बदल देंगे। कम से कम अपनी नियत सब लोग साफ़ रक्खेंगे—करें चाहे जो ! क्योंकि नियत साफ़ होने की दशा में लोग जो कुछ करेंगे, क्षणिक आवेश में आकर कर डालेंगे—पहले से इरादा करके नहीं करेंगे। और जो पहले से इरादा नहीं करेगा, वह कर ही क्या सकेगा ?

उपरोक्त सब बातों पर विचार करते हुए अपने राम की राय में तो यही आता है कि यह ऑर्डिनेन्स

(शेष मैटर ३२ पृष्ठ के २रे कॉलम के नीचे देखिए)

सत्याग्रह आन्दोलन के प्रारम्भ होने की सम्भावना

जनता केवल इशारा मिलने की राह देख रही है

राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स की समाप्ति होने पर विलायती मज़दूर-दल के प्रसिद्ध पत्र 'न्यू लीडर' के सम्वाददाता ने महात्मा गाँधी से निम्नलिखित बातचीत की :—

सवाल—क्या आप समझते हैं कि आप निष्क्रिय प्रतिरोध के भाव को फिर जीवित कर सकेंगे? जबकि आन्दोलन एक बार रोक दिया जाता है, तो क्या उसे फिर उठाना कठिन नहीं होता?

जवाब—मुझे इस सम्बन्ध में कुछ भी सन्देह नहीं है। जिस आन्दोलन को मैंने बन्द किया है, उसे दुबारा चलाने में मुझे कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ी है, बशर्ते कि मैं अपने भीतर शक्ति का अनुभव करता हूँ। जब सन् १९२२ में हमने बारदोली में अपने आन्दोलन को ख़त्म कर दिया, तो मेरे मित्रों को उसकी बड़ी चिन्ता थी। पर सन् १९३० में हमने फिर आन्दोलन आरम्भ कर दिया। पर समय बिल्कुल उपयुक्त था और आन्दोलन स्थगित करने का फल बीच के वर्षों में अच्छा सिद्ध हुआ। हम लोग सुस्त नहीं बैठे रहे थे। जनता हमारे विचारों को ग्रहण करती जाती थी। हमारा रचनात्मक कार्यक्रम जारी था और उसका जनता पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। जनता हमारे आन्दोलन के वास्तविक आशय को समझ गई और वह राष्ट्र की पुकार पर एकदम तैयार हो गई।

सवाल—ठीक है, पण्डित जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं कि लोगों को रोक कर रख सकना अब कठिन है।

जवाब—ये सब शुभ लक्षण हैं। मैं स्पष्ट से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि अगर लोगों में स्वयमेव भाव मौजूद न हो तो मैं आन्दोलन कभी आरम्भ न करूँगा। पर इतनी दूर बैठा हुआ भी मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वे केवल इशारा मिलने की राह देख रहे हैं।

सवाल—क्या सिर्फ़ किसानों का ही यह भाव है, अथवा शहर वालों के भी ऐसे ही विचार हैं?

जवाब—मैं विशेष भरोसा किसानों का ही रखता हूँ।

धनवानों का षड्यन्त्र

सवाल—आप आन्दोलन में विशेष ध्यान आर्थिक पहलू पर रखते हैं या राजनीतिक पहलू पर?

जवाब—लोगों की आर्थिक कठिनाइयों ने ही उनको राजनीतिक अवस्था के समझ सकने योग्य बनाया है। वे समझ गए हैं कि जब तक वर्तमान राजनीतिक पद्धति का जड़-मूल से नाश नहीं कर दिया जायगा, तब तक उनकी आर्थिक दशा नहीं सुधर सकती। भारत की सरकार धनवानों की रक्षक बनी हुई है। गवर्नमेण्ट की आड़ में धनवानों ने एक षड्यन्त्र किया मालूम होता है, जिसका उद्देश्य ग़रीबों से एक-एक पैसा ले लेना है। किसानों की दशा तब तक कदापि नहीं सुधर सकती, जब तक उन पर लदा हुआ टैक्सों का निष्ठुर भार नहीं हटाया जाता।

सवाल—क्या आपको इस बात का भय है कि भारत में फैले हुए अधैर्य के भाव के कारण आपका आन्दोलन अहिंसात्मक नहीं रह सकेगा?

जवाब—नहीं, मैं ऐसा ख़्याल नहीं करता। अगर जनता आन्दोलन में भाग लेने को तैयार रही और उसका सामूहिक रूप क़ायम रहा, तो हिंसा का उसमें प्रवेश नहीं हो सकता।

साम्प्रदायिक समस्या

सवाल—मैं साम्प्रदायिक समस्या के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या आप कहते हैं कि नेशनल मुस्लिम पार्टी के अनुयायी कॉन्फ्रेन्स में शामिल होने वाले नेताओं के मानने वालों से संख्या में अधिक हैं?

जवाब—बेशक, इसका दावा डॉ० अन्सारी, जो हमारी वर्किङ्ग कमिटी के सदस्य हैं, सदा किया करते हैं। चाहे यह बात उतनी सच न हो जितनी सच उसे डॉ० अन्सारी समझते हैं, पर यह दिन पर दिन अधिक सच बनती जा रही है। इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि यह बात नवयुवकों के विषय में सच है, जो सम्प्रदायवाद को बराबर छोड़ते जाते हैं।

सवाल—नवयुवक दल का यह भाव केवल सम्प्रदायवाद के विरोध में है अथवा वे धर्म के भी विरोधी बनते जा रहे हैं?

जवाब—यह कह सकना कठिन है। मैं यह नहीं कह सकता कि वे धर्म-विरोधी और नास्तिक हैं। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि उनमें सहनशीलता का भाव बढ़ता जाता है। पर इसका कारण इस्लाम के प्रति उनकी भक्ति का घटना और धार्मिक भाव का ह्रास है, यह मैं नहीं जानता।

संयुक्त आन्दोलन की सम्भावना

सवाल—अगर कॉन्फ्रेन्स केन्द्रीय सरकार की ज़िम्मेदारी के प्रश्न पर भङ्ग हो जाय तो क्या आप समझते हैं कि जिस प्रकार सायमन कमीशन का सब दलों ने सम्मिलित होकर विरोध किया था, वैसा ही इस सम्बन्ध में भी किया जायगा?

जवाब—हाँ, मेरा यही ख़्याल है। लिबरल और मॉडरेट सक्रिय आन्दोलन में भाग न लेंगे, पर उनकी सम्मति पूर्ण रूप से कॉङ्ग्रेस के पक्ष में रहेगी।

गोलमेज़ कॉन्फ्रेन्स का क्या फल निकला?

अभी विभिन्न कमिटियाँ जाँच करेंगी और फिर कॉन्फ्रेन्स का तीसरी बार अधिवेशन होगा :: महात्मा गाँधी का रास्ता सरकार से पृथक रहेगा

राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में १ दिसम्बर को प्रधान मन्त्री मि० मैकडॉनल्ड ने भारत के शासन-विधान के सम्बन्ध में घोषणा करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने उनको यह सूचना देने का अधिकार दिया है कि गत जनवरी की घोषणा ज्यों की त्यों क़ायम रहेगी। गवर्नमेण्ट यह भी बतला देना चाहती है कि वह अखिल भारतवर्षीय फ़ेडरेशन में विश्वास रखती है और सब कठिनाइयों को पार करके उस पर क़ायम रहेगी। उनका बयान सरकारी सूचना-पत्र के रूप में प्रकट होगा। उनका इरादा है कि वे इसकी मञ्ज़ूरी पार्लामेण्ट से फ़ौरन ही लेंगे। फ़ेडरेशन का प्रस्ताव बराबर क़ायम रहेगा, प्रान्तों को उत्तरदायित्वपूर्ण शासन मिलेगा और वे अधिक से अधिक स्वाधीनता का भोग कर सकेंगे, सिन्ध का सूबा पृथक कर दिया जायगा। अगर उसकी आर्थिक परिस्थिति इसके अनुकूल होगी, तो इस सम्बन्ध में एक कॉन्फ्रेन्स की जायगी।

प्रधान मन्त्री ने कहा कि प्रान्तों को जो उत्तरदायित्वपूर्ण शासन दिया जायगा, वह पेचीदा न होगा और वह फ़ेडरेशन शासन की अपेक्षा शीघ्र कार्य-रूप में परिणत हो सकेगा। पर प्रतिनिधियों की इच्छा है कि शासन-विधान में तब तक कोई परिवर्तन न किया जाय, जब तक कि उसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर न पड़े। सरकार भी ऐसी कोई ज़िम्मेदारी भारतवासियों पर डालना नहीं चाहती, जोकि समय से पूर्व या ग़लत ढङ्ग की समझी जाय। इसलिए उनका विचार, सङ्घ-शासन की योजना, जिस तरह सम्भव हो, पूरा करना है।

प्रधान मन्त्री ने प्रतिनिधियों से अपील की कि वे साम्प्रदायिक समस्या को आपस में तय कर लें, अन्यथा गवर्नमेण्ट को लाचार होकर इस सम्बन्ध में कोई अस्थायी योजना बनानी होगी, क्योंकि उसका इरादा है कि इसके कारण आगे बढ़ने में कोई बाधा न पड़नी चाहिए। उस दशा में गवर्नमेण्ट को केवल विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों की संख्या ही निश्चित न करनी पड़ेगी, वरन् विधान में उसे ऐसे प्रतिकार के उपाय भी रखने होंगे, जिससे अल्प-संख्यक सम्प्रदायों की रक्षा हो सके और उनके अधिकार कुचले न जायँ। ऐसा करना सन्तोषजनक न होगा। हम हर हालत आगे बढ़े चले जाना चाहते हैं।

हम लोगों ने शासन-विधान की कार्यवाही को ऐसी निश्चित समस्याओं तक पहुँचा दिया है, जिन्हें कमिटियाँ ही ध्यानपूर्वक अच्छी तरह विचार कर सकती हैं, न कि कॉन्फ्रेन्सें। जब कि यह कार्य होता रहेगा, उस समय इसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए कि हमारा आपस का परामर्श भी जारी रहे। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स की एक वर्किङ्ग कमिटी नियत करने का प्रस्ताव किया है, जो भारत में रहेगी और जिसकी मार्फ़त बराबर सम्बन्ध क़ायम रहेगा।

अन्त में प्रधान मन्त्री ने कहा कि समस्त योजना पर अन्तिम बार विचार करने के लिए राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स का अधिवेशन फिर किया जायगा। सरकार फ़ौरन ही एक मताधिकार कमिटी, एक फ़ायनेन्स कमिटी और एक रियासतों की आर्थिक समस्या पर विचार करने वाली कमिटी नियुक्त करना चाहती है, जिनके चेयरमैन प्रमुख अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ होंगे। कॉन्फ्रेन्स ने सङ्घ-शासन के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किया है, उन पर भी बिना विलम्ब विचार किया जायगा और इस बात की चेष्टा की जायगी कि उनके सम्बन्ध में अच्छी तरह समझौता हो जाय। गवर्नमेण्ट चाहती है कि रियासतों के प्रतिनिधियों के बटवारे के प्रश्न का भी निर्णय हो जाय और यदि इस कार्य में बहुत अधिक देर होती दिखलाई दी, तो सरकार ऐसे उपाय करेगी, जिससे इस प्रश्न के फ़ैसले में सहायता मिले।

प्रधान मन्त्री ने अन्त में कहा कि शासन-विधान में ऐसी व्यवस्था अवश्य ही होनी चाहिए, जिससे सब सम्प्रदाय और धर्म वालों की रक्षा का भाव प्रतीत होने लगे। अब तक भी हमने उन्नति की तरफ़ बहुत लम्बे

(शेष मैटर ७वें पृष्ठ के तीसरे कॉलम में देखिए)

[वर्ष २, खण्ड १, संख्या १०

बंगाल के लिए जीवन-मरण का प्रश्न

बॉयकॉट ही सरकार को लाचार करने का अमोघ अस्त्र है

श्री० सुभाष बोस की जनता से प्रभावशाली अपील

"चटगाँव की घटना के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों पर प्रकट रूप में जो अभियोग लगाए गए हैं, उनके लिए सरकार ने कुछ भी सफ़ाई नहीं दी है। हिजली के सम्बन्ध में स्वयं सरकारी कमिटी ने गोली चलाने को अन्यायपूर्ण और अन्धाधुन्धी का काम बतलाया है। अब सरकार का कर्तव्य है कि वह क्षतिपूर्ति करे और क़ानून के महत्व की रक्षा करके लोगों के हृदयों में यह विश्वास उत्पन्न करे कि कोई भी नागरिकों के प्राथमिक अधिकारों के साथ मनमाना व्यवहार नहीं कर सकता।" ये वाक्य श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने देशबन्धु पार्क (कलकत्ता) की एक सार्वजनिक सभा में कहे। यह सभा २७ नवम्बर शुक्रवार को श्रीमती निस्तारिणी देवी के सभापतित्व में हुई थी।

श्री० बोस ने कहा कि बॉयकॉट एक ऐसा अस्त्र है, जिसे अगर हम दृढ़ निश्चय के साथ उपयोग करें तो वह उन लोगों को झुका सकता है, जो आज हमारी माँगों पर हँसते हैं।

बॉयकॉट का महत्व

आरम्भ में श्रीमती निस्तारिणी देवी ने दर्शकों को सम्बोधन करते हुए अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि चटगाँव, हिजली और ढाका के अन्याय का प्रतिकार करने के लिए ज़ोरों के साथ बॉयकॉट आरम्भ करना अत्यावश्यक है। और यही स्वराज्य का भी वास्तविक मार्ग है। यह समय इसके लिए अत्यन्त उपयुक्त है, और इसे खोना नहीं चाहिए। इसलिए देश को शीघ्र ही दृढ़ निश्चय के साथ इस कार्य में जुट जाना चाहिए।

अहिंसा की शक्ति

श्रीमती मोहिनी देवी ने कहा कि चटगाँव और हिजली के अन्याय का प्रतिकार अहिंसा द्वारा करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने देश की शोचनीय दशा पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे। सब को विदेशी माल का बॉयकॉट करना चाहिए।

बड़ा भारी प्रहसन

श्री० सुभाषचन्द्र बोस ने कहा कि देश इस समय दमन के घोर काले बादलों के बीच में होकर गुज़र रहा है। वे संख्या में इतने अधिक हैं और ऐसी निष्ठुर प्रकृति के हैं कि उनकी गिनती नहीं की जा सकती। मिसाल के लिए मैं अपनी हाल की ढाका की गिरफ़्तारी का वर्णन करना चाहता हूँ। वहाँ के अधिकारी अपने ही बनाए हुए सब क़ानून को भूल गए और केवल पाशविक बल का सहारा लेकर उन्होंने एक बड़ा भारी प्रहसन कर दिखाया। ये वे आदमी हैं, जो ८ करोड़ व्यक्तियों के भाग्य-विधाता बनाए गए हैं। जिस देश में हिजली और चटगाँव की घटनाएँ सम्भव हैं, उस देश में अगर ऐसी साधारण बातें नित्य-प्रति देखने में आवें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं।

लोगों का यह ख़्याल कि चटगाँव की भयङ्कर घटनाओं की ढाका में पुनरावृत्ति की गई है, निराधार नहीं है। यदि लोगों ने बहुत अधिक शोर-ग़ुल न मचाया होता और वहाँ की जाँच के लिए जनता की तरफ़ से कमिटी नियुक्त न की गई होती, तो न मालूम वहाँ क्या हो जाता। यह लोगों के चौकन्ने रहने का ही फल है कि ढाका की अधिक दुर्गति न हुई। इसलिए मेरा ख़्याल है कि यदि किसी जगह कोई अन्याय या ज़ुल्म किया जाय, तो उसके प्रतिकार की चेष्टा उसी स्थान को न करनी चाहिए, वरन् समस्त देश को एक व्यक्ति की तरह खड़े होकर उसका विरोध और प्रतिकार का उपाय करना चाहिए।

मैं जानना चाहता हूँ कि कमिटी ने चटगाँव के अधिकारियों पर जो इलज़ाम प्रकट रूप में लगाए हैं, सरकार उनके सम्बन्ध में चुप क्यों है। अगर कोई आदमी इसके लिए ज़िम्मेदार नहीं है तो एक करोड़ की जायदाद किस तरह नष्ट हो गई? और यदि कोई आदमी उसके लिए ज़िम्मेदार है, तो उसे बिना विलम्ब सज़ा क्यों न दी गई? क्षतिपूर्ति की माँग भी प्रकट रूप में पेश कर दी गई। अगर घोर आन्दोलन के फलस्वरूप कम से कम दोषी व्यक्तियों को दण्ड दिलाया जा सके, तो शायद ऐसी अन्यायपूर्ण घटनाएँ फिर न हों।

जलियानवाला बाग़ और हिजली के गोलीकाण्ड में एक अन्तर है। जलियानवाला बाग़ एक सार्वजनिक सभा का मुक़ाम था और वहाँ पर लोग अपनी ख़ुशी से गए थे। गोली चलाए जाने से पहले उनको तितर-बितर हो जाने का भी मौक़ा दिया गया था, पर हिजली में कुछ नवयुवक बिना मुक़दमा चलाए, केवल सन्देह पर, बन्द करके रक्खे गए थे और उनकी जानें सरकार की निगरानी में थीं। यही कारण है कि गम्भीरता और भीषणता में हिजली की घटना जलियानवाला बाग़ से भी बढ़ कर है। इस घटना की जाँच करने वाली कमिटी जनता की तरफ़ से नहीं, वरन् सरकार की तरफ़ से नियुक्त की गई थी और उसने सब बातों पर विचार करके फ़ैसला कर दिया था कि "गोली बिना देखे-भाले और अन्यायपूर्वक चलाई गई थी।" सरकार की तरफ़ से इससे कम और कोई बात कही नहीं जा सकती थी।

हिजली गोलीकाण्ड में सिपाहियों की तरफ़ से अपने बचाव में जो सफ़ाई दी गई थी, वह बिल्कुल ग़लत थी। उन्होंने जितनी दलीलें दीं, जितनी बातों से इन्कार किया और जिन बातों को अपने पक्ष में कहा, वे सब प्रत्यक्ष प्रमाणों द्वारा असत्य सिद्ध हो चुकी हैं।

जब तक इन अन्यायों का प्रतिकार न हो, तब तक कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि उसे जीने का अधिकार है। और जब तक हम इनका कोई ज़ोरदार प्रतिकार न कर सकें, तब तक हमको किसी तरह का अधिकार नहीं है।

दोष हमारा है

सच तो यह है कि इन सब ज़ुल्मों के लिए हम स्वयं ही दोषी हैं। अन्याय करने वाले का यह स्वभाव होता है कि वह अन्याय सहने वाले की सहनशक्ति की परीक्षा करता रहता है, और उसी के अनुसार अत्याचार की मात्रा को घटाता-बढ़ाता रहता है। जब यह बात प्रकट हो जायगी कि हम किसी तरह दमन को सहने को तैयार नहीं हैं, तो सरकार अवश्य ही दमन को बन्द कर देगी।

जीवन और मौत का सवाल

अन्त में मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रतिकार के उपाय क्या हैं? केवल स्वराज्य की पुकार मचाने से काम न चलेगा। आप लोग स्वराज्य के लिए कैसे लड़ सकते हैं, यदि आप अपने प्राणों और सम्पत्ति की रक्षा नहीं कर सकते? इसीलिए मैं कहता हूँ कि बङ्गाल के लिए यह जीवन और मृत्यु का प्रश्न है और इसके सामने प्रत्येक बात को भूल जाना चाहिए। हमारी माँग का मूल आधार हिजली और चटगाँव होना चाहिए। सन् १९०५ में हम वीरता के साथ उठ खड़े हुए थे और गवर्नमेण्ट को हमारी बात मानने के लिए लाचार होना पड़ा था। वह बॉयकॉट का ही अस्त्र था, जिसके सहारे बङ्गाल ने विजय प्राप्त की थी। पिछले वर्ष के आन्दोलन में भी बॉयकॉट ही सब से अधिक शक्तिशाली अस्त्र सिद्ध हुआ था। इसलिए मैं इस कठिन अवसर पर बॉयकॉट की नीति का सहारा लेने की ही सम्मति दूँगा।

मि० विलियर्स हिंसात्मक आन्दोलन को जड़ से उखाड़ने की बात करते हैं और कहते हैं कि पिकेटिङ्ग और सिविल डिसओबीडिऐन्स बहुत बड़े ख़तरे की चीज़ है। यह वास्तव में उनके दिल की छुपी हुई बात है। वे समझते हैं कि बॉयकॉट का प्रभाव अङ्गरेज़ जाति के लिए कैसा होगा।

अन्त में मैं कहना चाहता हूँ कि बॉयकॉट की नीति का प्रचार करने का कारण यह है कि यह पूर्णतया व्यावहारिक और सब लोगों के ग्रहण करने लायक़ है। यह कार्य-क्रम ऐसा है, जो हिजली और चटगाँव का पूर्णतया प्रतिकार कर सकेगा और हमको यदि पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त न करा सकेगा, तो कम से कम स्वाधीनता के मार्ग पर पहुँचा देगा। हमारी माँग की पूर्ति सुनिश्चित है, यदि पाँच करोड़ बङ्गाली एक स्वर से इस माँग को पेश करें। पर उनका ऐसा करना सहज नहीं है और इसलिए घोर प्रचार-कार्य और आन्दोलन की आवश्यकता है।

इतना कहने के पश्चात् वन्देमातरम् की ध्वनि के साथ सुभाष बाबू ने अपना भाषण समाप्त किया और सभा का अन्त हुआ।

❀ ❀ ❀

जेल से छः महीने बाद पत्र मिला

श्री० विजयकुमार की बहिन का वक्तव्य

लाहौर षड्यन्त्र के मुक़दमे में क़ैद श्री० विजयकुमारसिंह की बहिन श्रीमती सुशीला घोष लिखती हैं—

छः महीने के बाद मद्रास की राजमहेन्द्री जेल से लाहौर षडयन्त्र के मुक़दमे में क़ैद मेरे भाई श्री० विजयकुमार सिंह का पत्र मिला। पत्र में "सी" क्लास की जो असुविधाओं का उल्लेख था, उन सब बातों को बड़ी सावधानता के साथ मिटाया गया है। विजयकुमार के नाम से जो हिन्दी एवं बँगला पत्र भेजे जाते हैं, वे उनको समय पर नहीं दिए जाते हैं। ३ महीने पहिले विजय ने माता जी के नाम से पत्र भेजा था, वह पत्र अभी तक हमारे पास नहीं पहुँचा है। मुझे विश्वस्त-सूत्र से मालूम हुआ है कि एसेम्बली-बम के मुक़दमे के क़ैदी श्री० बटुकेश्वर दत्त और लाहौर के मुक़दमे के क़ैदियों के साथ जेलों में बड़ा दुर्व्यवहार हो रहा है। वे सब लड़के पढ़े-लिखे तथा प्रतिष्ठित घराने के हैं। इन लोगों के साथ "सी" क्लास का व्यवहार होना बहुत ही अनुचित है। मेरे दूसरे भाई काकोरी के क़ैदी श्री० राजकुमारसिंह को "बी" क्लास में रक्खा गया है, पर उसी के सगे भाई श्री० विजयकुमारसिंह को "सी" क्लास में रक्खा गया है। विजयकुमार गिरफ़्तारी के पहिले कानपुर में फ़्री प्रेस, एसोशिएटेड प्रेस, 'टाइम्स ऑफ़ इण्डिया', 'स्टेट्समैन' और 'पायोनियर' के विशेष सम्वाददाता थे। इनकी मासिक आमदनी ४०० रुपए से अधिक थी। एक ही घर के दो लड़कों को भिन्न श्रेणी में रखने का कारण कुछ समझ में नहीं आता।

हाल में श्री० दत्त और लाहौर मुक़दमे के क़ैदी श्री० कमलनाथ तिवारी आदि कई भाइयों के पत्र मिले हैं। सबकी हालत एक जैसी है। श्री० दत्त आन्दमान जाने की कोशिश कर रहे हैं। ६ महीने के बाद विजयकुमार का पत्र मिला। इस पत्र की हालत ऐसी है कि मिलना न मिलना बराबर है।

❀ ❀ ❀

बंगाल में दमन-लीला का भीषण स्वरूप

नई जेलें बनाई जा रही हैं :: नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को भेजे जा रहे हैं

तीन कॉङ्ग्रेसमैन गिरफ़्तार

शनिवार ता० २८ को सुबह कलकत्ता पुलिस ने श्री० अश्विनीकुमार गाङ्गुली, श्री० अतुलकृष्ण बोस और श्री० अमरचन्द्र बोस को बङ्गाल ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किया। इनमें से अश्विनी बाबू कुछ समय पहले तक बङ्गाल प्रान्तीय कॉङ्ग्रेस कमिटी के सेक्रेटरी थे। आप गत यूरोपीय महायुद्ध के ज़माने में नज़रबन्द किए गए थे। उसके बाद आप बङ्गाल ऑर्डिनेन्स के अनुसार सन् १९२४ में और सत्याग्रह आन्दोलन में भाग लेने के अभियोग में सन् १९३० में गिरफ़्तार किए गए थे। शेष दोनों सज्जन भी, जो सगे भाई हैं, महायुद्ध के ज़माने से कई बार नज़रबन्द किए जा चुके हैं।

श्री० कालीचरण बोस, जो कुछ महीने पहले बङ्गाल एमेण्डमेण्ट एक्ट में पकड़े गए थे और हाल ही में छोड़े गए थे, फिर गिरफ़्तार कर लिए गए। आपके मकान की, जो कालीघाट में है, तलाशी ली गई, पर कोई सन्देहजनक वस्तु न मिली।

मेस पर धावा

शनिवार को सुबह ४॥ बजे कलकत्ता की पुलिस ने कालीदास सिङ्घी लेन के एक मेस पर धावा किया और हथियार तथा बम आदि बरामद करने के लिए उसकी तलाशी ली, पर कुछ न मिला। इसके बाद वह बाबू माखनलाल बोस नामक कॉरपोरेशन स्कूल के शिक्षक को पकड़ ले गई।

२७ नवम्बर को राजशाही में श्री० सतीशचन्द्र बनर्जी के घर की तलाशी ली गई और उनके पुत्र श्री० दिनेशचन्द्र बनर्जी को, जो फ़ोर्थ-इयर के विद्यार्थी हैं, गिरफ़्तार कर लिया गया। आप स्थानीय वालण्टियर-दल के कप्तान थे। कुछ समय पहले आप एक प्रोफ़ेसर की तनख़्वाह लूटने के अभियोग में गिरफ़्तार किए गए थे, पर बाद में छोड़ दिए गए।

२७ नवम्बर को सिलचर में पुलिस ने श्री० उपेन्द्र-शङ्कर दत्त नामक एडवोकेट के घर की तलाशी हथियार और गोली-बारूद के सम्बन्ध में ली, पर कुछ मिला नहीं।

२७ नवम्बर को नेत्रकोना (मैमनसिंह) के एक गाँव में श्री० नकुलचन्द्र सरकार के घर की तलाशी ली गई, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु न मिली। पुलिस गृहस्वामी के पुत्र श्री० नरेन्द्रचन्द्र सरकार को पकड़ना चाहती थी, पर वह उस जगह न मिले।

गाँव पर धावा

फ़रीदपुर के पालङ्ग नामक गाँव में पिछले कुछ महीनों में कई डाके पड़े थे। पर पुलिस अब तक उनके सम्बन्ध में कुछ भी पता न लगा सकी थी। पर हाल में पुलिस ने एकाएक आसपास के कई गाँवों पर एक साथ धावा किया और कितने ही कॉङ्ग्रेस कार्यकर्त्ताओं, व्यापारियों, विद्यार्थियों, शिक्षकों आदि को गिरफ़्तार कर लिया। पुलिस ने इन लोगों के घरों का कोना-कोना ढूँढ़ डाला, पर कोई आपत्तिजनक वस्तु न मिली। इन सब शिक्षित और भले घरों के लोगों को पुलिस रस्सी से कस कर पैदल दो मील तक पास के थाने में घसीट कर ले गई। और भी कई लोगों के नाम के वारण्ट थे, पर वे घर पर न मिले।

लड़कियों के होस्टल पर धावा

शनिवार को पुलिस ने कलकत्ता के विद्यासागर कॉलेज की लड़कियों के होस्टल की भी तलाशी ली, जो सुबह ६ बजे से १० बजे तक जारी रही। यह तलाशी भी हथियारों के लिए ली गई थी। पुलिस कुछ किताबें ले गई। एक छात्रा को भी स्पेशल ब्राञ्च के दफ़्तर में ले जाया गया, बाद में उसे छोड़ दिया गया।

एक दिन सुबह ९ बजे कार्नवालिस स्ट्रीट में आर्य-पब्लिशिङ्ग कम्पनी के प्रोप्राइटर श्री० सुरेशचन्द्र बर्मन भी गिरफ़्तार कर लिए गए। उनके घर और दूकान की तलाशी ली गई और पुलिस 'चर्ख़ा' की एक किताब उठा ले गई।

एम्हर्स्ट स्ट्रीट का रहने वाला क्रान्तिभूषण गुप्त नाम का १४ वर्ष का बालक भी, जो बङ्गवासी कॉलेजियट स्कूल में पढ़ता है, विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी क़ानून में पकड़ा गया है।

पुलिस के थानेदार का पुत्र गिरफ़्तार

बरहमपुर में श्री० त्रिदीप चौधरी नामक युवक ऑर्डिनेन्स में गिरफ़्तार किया गया है। वह एक पुलिस-सब-इन्स्पेक्टर का पुत्र है।

सिराजगञ्ज का २७ ता० का समाचार है कि पुलिस ने दुर्गानगर कॉङ्ग्रेस कमिटी के मेम्बर बाबू शचीन्द्र-प्रसाद तालुक़दार को गिरफ़्तार करके पबना भेज दिया है। उनके घर की तलाशी लेकर पुलिस कितनी ही चिट्ठियाँ उठा ले गई।

नज़रबन्द अन्य प्रान्तों को रवाना

चार बङ्गाली नज़रबन्द—श्री० मनोरञ्जन गुप्त, श्री० अरुणचन्द्र गुह, श्री० भूपेन्द्रकुमार दत्त और श्री० सत्यभूषण गुप्त को मियाँवाली (पञ्जाब) जेल में भेजा गया है। अब तक वे बक्सर फ़ोर्ट में १८१८ के तीसरे रेगुलेशन के अनुसार नज़रबन्द थे।

अजमेर के क़िले में भी २० बङ्गाली नज़रबन्दों को रखने की व्यवस्था की जा रही है।

नई जेलें खोली गईं

ख़बर मिली है कि भावी दमन की सम्भावना और क़ैदियों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने के ख़्याल से सरकारी अधिकारी दमदम स्पेशल जेल और बरहमपुर स्पेशल जेल को फिर से जारी कर रहे हैं।

पबना यूथलीग के सेक्रेटरी

२५ नवम्बर को पुलिस ने पबना डिस्ट्रिक्ट यूथलीग के सेक्रेटरी श्री० सुरेन्द्रनाथ को गिरफ़्तार किया। आप इस समय 'बङ्गीय सङ्कट-तारन समिति' की तरफ़ से भानगुरा नामक स्थान में पीड़ितों की सहायता का कार्य कर रहे थे।

एम० एस० सी० का विद्यार्थी गिरफ़्तार

शनिवार को पुलिस ने बड़े सवेरे साङ्करिया टोला, भवानीपुर में एक मकान को चारों तरफ़ से घेर लिया और उसके रहने वालों को बाहर आने से रोक दिया। दिन निकलने पर श्री० भावतोष सेन नामक विद्यार्थी, जो जबलपुर कॉलेज में पढ़ते हैं, गिरफ़्तार कर लिए गए। तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली।

इसी दिन बेचू चटर्जी बाई लेन में श्री० प्रसन्नकुमार समाद्दार पकड़े गए, जो साइन्स कॉलेज में एम० एस० सी० के विद्यार्थी हैं। उनको प्रेज़िडेन्सी जेल में रक्खा गया है।

चटगाँव ज़िले में फ़ौजी पहरा

चटगाँव के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने नीचे लिखी सूचना प्रकाशित की है :—

"अप्रैल १९३० में हथियारख़ाने के धावे के बाद से कितने ही लापता अभियुक्त चटगाँव ज़िले में छिपे हैं! मालूम हुआ है कि वे बराबर क्रान्तिकारी दल के सङ्गठन में लगे हैं, जिससे फिर इस तरह के उपद्रव किए जा सकें। ज़िले में उनकी उपस्थिति यहाँ की रक्षा के लिए सदा ख़तरे की बात है और इसलिए गवर्नमेण्ट ने निश्चय किया है कि जनता के हित के लिए हर तरह से चेष्टा करके उनको गिरफ़्तार किया जाय और क्रान्तिकारियों के सङ्गठन को तोड़ दिया जाय। इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए कुछ मुक़ामों में सेना, पुलिस और मैजिस्ट्रेट भेजे गए हैं और सरकार ने नए ऑर्डिनेन्स के अनुसार अपने हाथों में विशेष अधिकार लिए हैं। इस सम्बन्ध में जो उपाय किए जायँगे, उनमें से एक यह भी है कि कुछ मुक़ामात में रात को चलना-फिरना क़तई बन्द रहेगा, और कुछ रास्तों में चलने वाले सब लोगों की तलाशी ली जायगी। इन बातों के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना पहले से निकाल दी जायगी। इसलिए जनता को सूचना दी जाती है कि इस सम्बन्ध में जो हुक्म निकाले जायँ, वह उनकी पूरी तरह पाबन्दी करे। जैसे पुलिस या फ़ौजी सिपाही उनको रुकने को कहें, उन्हें फ़ौरन ठहर जाना चाहिए, अन्यथा इसका फल बड़ा भयङ्कर होगा। यह ठीक है कि निर्दोष व्यक्तियों को इन उपायों से डरने का कोई कारण नहीं है, पर जनता का कर्तव्य है कि वे केवल क्रान्तिकारियों को सहायता करने से ही दूर न रहें, वरन् प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि क्रान्तिकारियों का पता फ़ौरन गवर्नमेण्ट को दें और दूसरी तरह से सक्रिय रूप से उनके सङ्गठन को तोड़ने में सहायता पहुँचावें। इसमें सन्देह नहीं कि इसके फल-स्वरूप सर्वसाधारण के कार्यों में कुछ हस्तक्षेप होगा और उन्हें कुछ असुविधा उठानी पड़ेगी, पर गवर्नमेण्ट ने निश्चय कर लिया है कि इन उपायों को तब तक जारी रक्खा जाय, जब तक ज़िले में से क्रान्तिकारी सङ्गठन का ख़तरा दूर न हो जाय।"

डकैती में गिरफ़्तार

बेगारहाट का समाचार है कि मऊभोग नामक गाँव के निवासी बाबू नगेन्द्रनाथ मित्र २७ ता० को अरूडाँगा डकैती के सम्बन्ध में गिरफ़्तार कर लिए गए।

सर चार्ल्स टेगार्ट

'लिबर्टी' को मालूम हुआ है कि सर चार्ल्स टेगार्ट कलकत्ता आ पहुँचे हैं और सी० आई० डी० की स्पेशल ब्राञ्च के अफ़सर बनाए गए हैं।

❀ ❀ ❀

(५वें पृष्ठ का शेषांश)

क़दम रक्खे हैं, इतने लम्बे कि जितने की बड़े से बड़े आशावादी को भी कल्पना न होगी। गवर्नमेण्ट बराबर इस बात का उद्योग करती रहेगी कि हम सब लोगों के परिश्रम का सफलतापूर्वक अन्त हो।

महात्मा गाँधी ने प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देते हुए उनके आश्चर्यजनक परिश्रम की प्रशंसा की। उन्होंने प्रधान मन्त्री की महत्वपूर्ण घोषणा पर किसी तरह की सम्मति प्रकट किए बिना कहा कि चाहे वे ऐसे ही स्थल पर जा पहुँचे जहाँ से दोनों का रास्ता जुदा हो जाता है और मालूम नहीं कि महात्मा गाँधी का रास्ता किस दिशा की तरफ़ जाय, तो भी प्रधान मन्त्री महात्मा जी के पूर्ण हार्दिक धन्यवाद के पात्र हैं।

❀ ❀ ❀

बंगाल के अधिकारियों को असीम फ़ौजी अधिकार !

किसी स्थान के निवासियों पर सामूहिक जुर्माना :: शीघ्रतापूर्वक गुप्त फ़ैसला करने को विशेष अदालतें हत्या की चेष्टा करने वालों को फाँसी का दण्ड :: यह ऑर्डिनेन्स है या मार्शल-लॉ ??

नई दिल्ली, ३० नवम्बर

वॉयसरॉय ने आज सन् १९३१ का ऑर्डिनेन्स नं० ११ जारी किया, जिसके द्वारा बङ्गाल-सरकार और उसके अफ़सरों को हिंसात्मक आन्दोलन के दबाने के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। साथ ही इसमें हिंसात्मक आन्दोलनों का जल्दी से फ़ैसला करने की भी व्यवस्था की गई है।

यह ऑर्डिनेन्स समस्त बङ्गाल पर लागू होगा, पर सेना की सहायता से दबाने का कार्य अभी केवल चटगाँव में ही किया जायगा। बाद में वह बङ्गाल के अन्य भागों पर भी लागू हो सकेगा। मुक़दमों का शीघ्रता से फ़ैसला करने के लिए विशेष अदालतें क़ायम की जायँगी और अगर अदालत आवश्यक समझेगी या एडवोकेट-जनरल सर्टीफ़िकेट देगा तो कार्रवाई गुप्त रीति से की जायगी। ऑर्डिनेन्स के अनुसार हत्या की चेष्टा करने वाले को फाँसी का दण्ड दिया जायगा। यह ऑर्डिनेन्स २९ अक्टूबर को जारी किए गए ऑर्डिनेन्स के साथ-साथ जारी रहेगा। ऑर्डिनेन्स की धाराएँ इस प्रकार हैं :—

पहला अध्याय

गिरफ़्तारी और रोक रखना

३—(१) कोई भी सरकारी अफ़सर, जिसे इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकार द्वारा जनरल या स्पेशल ऑर्डर मिला हो, किसी भी व्यक्ति से, जिस पर उसे सार्वजनिक रक्षा या शान्ति के विरुद्ध कार्य करने का सन्देह हो, उसका परिचय पूछ सकता है और उसके बयान की सचाई की जाँच करने के लिए उसे अधिक से अधिक २४ घण्टे के लिए रोक सकता है।

(२) वह अफ़सर, जो इस धारा के अनुसार गिरफ़्तारी करेगा, इसके लिए कोई भी उपाय कर सकता है, जिसे वह आवश्यक समझे।

मकानों और सामान पर अधिकार

४—(१) अगर प्रान्तीय सरकार की सम्मति में कोई ज़मीन या मकान सरकारी नौकरों के रहने या ऑफ़िस के काम के लिए अथवा सेना या पुलिस या क़ैदियों या हवालात में रक्खे गए व्यक्तियों को रखने के लिए काम में आ सकता है, तो सरकार उस ज़मीन या मकान के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले व्यक्ति को लिख कर हुक्म देगी कि वह बतलाए हुए समय पर उसे सरकार के हवाले कर दे। उसमें जो कुछ ज़रूरी सामान लगा होगा और मेज़, कुर्सी, पलँग आदि भी हवाले करने होंगे। प्रान्तीय सरकार इन सब चीज़ों को जिस प्रकार आवश्यक, समझेगी व्यवहार करेगी।

(२) इस धारा में मकान का अर्थ किसी भी मकान का कोई हिस्सा या हिस्से होंगे, चाहे उस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो या न हो।

(३) जिस किसी व्यक्ति को इस धारा के अनुसार काम किए जाने से नुक़सान उठाना पड़ा हो, उसे अर्ज़ी देने पर कलक्टर उचित हर्जाना दिए जाने की आज्ञा दे सकता है।

५—(१) अगर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की सम्मति में कोई भी चीज़ इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य की पूर्ति के लिए काम में आ सकती है, तो वह उस चीज़ के मालिक या उस पर क़ब्ज़ा रखने वाले को उसे नियत समय और स्थान पर सरकार के हवाले करने का हुक्म दे सकता है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उसे जिस प्रकार उचित समझेगा, व्यवहार में लाने को दे सकेगा या काम में ला सकेगा।

(२) जिस व्यक्ति को इस धारा के कारण नुक़सान उठाना पड़ा हो, उसके अर्ज़ी देने पर कलक्टर जो कुछ हर्जाना उचित समझे, उसे दिला सकता है।

किसी स्थान में लोगों को आने-जाने से रोकना

६—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए अगर उचित और आवश्यक समझेगा, तो लिखित-आज्ञा द्वारा सरकार या रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के अधिकार में रक्खे गए किसी भी मकान या स्थान के आसपास या सरकार की जल, स्थल और आकाश-सेना या पुलिस के स्थायी या अस्थायी रूप से रहने की जगहों के आसपास लोगों का आना-जाना पूर्ण या आंशिक रूप से रोक सकता है।

७—इस ऑर्डिनेन्स के उद्देश्य को पूरा करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट यदि आवश्यक समझेगा, तो लिखित आज्ञा द्वारा किसी भी सड़क, रास्ते, पुल या नदी के रास्ते से आने-जाने को रोक सकेगा।

८—(१) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा किसी भी व्यक्ति को, जिसके अधिकार में कोई सवारी या आने-जाने का साधन हो, हुक्म दे सकता है कि वह उसे अमुक समय अमुक अधिकारी के हवाले कर दे।

(२) इस तरह का हुक्म उतनी मुद्दत तक के लिए दिया जा सकता है, जितना कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उचित समझे।

हथियारों की बिक्री की रोक

९—(१) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लिखित आज्ञा द्वारा नीचे लिखी बातों से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों को जिस प्रकार वह उचित समझे, सूचना दे सकता है:—(क) किसी तरह के हथियार या उनके हिस्से, गोली-बारूद और भड़कने वाले पदार्थों की ख़रीद या बिक्री पूर्ण या आंशिक रूप से रोकना या (ख) किसी व्यक्ति को, जिसके अधिकार में उपरोक्त चीज़ें हों, आज्ञा देना कि वह उन्हें ऐसी सुरक्षित जगह में रक्खे, जिसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ठीक समझता हो या उनको ऐसी जगह में हटा दे, जिसके लिए हुक्म दिया गया हो।

(२) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नीचे लिखी चीज़ों पर क़ब्ज़ा कर सकता है—(क) कोई भी हथियार, गोली-बारूद या भड़कने वाले पदार्थ या (ख) कोई भी औज़ार, मैशीन, यन्त्र या किसी अन्य तरह का सामान, जो 'शिड्यूल' में दिए गए अपराधों के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। वह इन चीज़ों की हिफ़ाज़त और क़ब्ज़े में लेने के लिए जैसा उचित समझे, हुक्म दे सकता है।

आवश्यक काम कराना

१०—डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी ज़मींदार को, किसी भी स्थानीय मेम्बर, अफ़सर या चर्मचारी को, किसी भी स्कूल, कॉलेज या अन्य शिक्षा-सम्बन्धी संस्था के शिक्षक को क़ानून और अमन को क़ायम रखने या गवर्नमेण्ट के अधिकार में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने या किसी रेलवे या स्थानीय अधिकारियों के क़ब्ज़े में रहने वाली सम्पत्ति की रक्षा करने के काम में सहायता दे। यह कार्य किस ढङ्ग से और किस हद में किया जायगा, इसकी सूचना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट देगा।

तलाशी का अधिकार

११—दण्ड-संग्रह की ९८वीं धारा के अनुसार तलाशी का वारण्ट जारी करने के अधिकारों में नीचे लिखे अधिकार और शामिल किए गए हैं—(क) अगर किसी मैजिस्ट्रेट के सामने यह विश्वास करने का कारण हो कि अमुक स्थान में 'शिड्यूल' में बतलाया गया कोई अपराध किया गया है, किया जा रहा है, किया जाने वाला है अथवा ऐसे किसी अपराध के करने की तैयारी की जा रही है, तो वह उस जगह की तलाशी का वारण्ट जारी कर सकेगा। (ख) इस तरह तलाशी ली जाने वाली जगह में अगर कोई ऐसी चीज़ मिलेगी, जिसके सम्बन्ध में तलाशी लेने वाले अफ़सर को मालूम पड़े कि वह उपरोक्त धारा में कहे गए कार्यों के लिए काम में लाई गई है अथवा काम में लाई जाने वाली है, तो वह उसे अपने क़ब्ज़े में ले सकता है।

१२—इस तरह के अधिकार जिस अधिकारी को दिए जायँगे, उसे अधिकार होगा कि वह किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह में दाख़िल होने और उसकी तलाशी लेने की इजाज़त दे सके।

किसी स्थान के निवासियों को सामूहिक रूप से दण्ड

१३—अगर कोई व्यक्ति इस अध्याय की धाराओं के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्त का पालन न करेगा या अवहेलना करेगा तो उस हुक्म या आदेश या शर्त का जारी करने वाला अधिकारी उसके विरुद्ध जो उचित समझेगा, कार्रवाई कर सकेगा या करा सकेगा।

१४—(१) जहाँ कहीं प्रान्तीय सरकार को यह मालूम होगा कि किसी मुक़ाम के बाशिन्दे शिड्यूल में कहे गए अपराधों के किए जाने में किसी तरह की सहायता करते हैं, या इस तरह के अपराध करने वाले व्यक्तियों की किसी तरह सहायता करते हैं, तो प्रान्तीय सरकार अपने गज़ट में सूचना प्रकाशित करके उस मुक़ाम के बाशिन्दों पर सामूहिक रूप से जुर्माना करेगी।

(२) प्रान्तीय सरकार ऐसे मुक़ाम के किसी भी व्यक्ति या श्रेणी या विभाग को ऐसे जुर्माने से पूर्णतः या अंशतः बरी कर सकती है।

(३) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जिस प्रकार उचित समझेगा, उस प्रकार की जाँच करने के बाद उस जुर्माने की रक़म को निवासियों पर बाँट देगा। इस काम को डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट अपनी बुद्धि से यह सोच कर कि किस व्यक्ति की कितनी हैसियत है, करेगा।

(४) इस जुर्माने का जितना हिस्सा जिस व्यक्ति के ज़िम्मे आएगा, उसे उसको जुर्माने की तौर पर या बक़ाया लगान की तौर पर अदा करना पड़ेगा।

(५) प्रान्तीय सरकार इस तरह वसूल किए गए जुर्माने में से किसी भी शख़्स को, जिसने प्रान्तीय सरकार के मतानुसार स्थानीय बाशिन्दों के ग़ैर-क़ानूनी काम के फल-स्वरूप हानि उठाई हो, हर्जाने के तौर पर कुछ रक़म दे सकती है।

१५—जो व्यक्ति इस धारा के अनुसार दिए गए हुक्म, आदेश या शर्तों को पालन न करेगा या अवहेलना करेगा या इस धारा के अनुसार की गई कार्यवाही में बाधा डालेगा तो छः महीने तक की जेल और जुर्माने की सज़ा दी जा सकेगी।

अधिकार प्रदान

१६—(१) प्रान्तीय सरकार किसी भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ४थी धारा के अनुसार प्रान्तीय सरकार के अधिकार दे सकती है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उन अधिकारों को किसी भी पुलिस-अफ़सर को, जिसका पद डिप्टी सुपरिण्टेण्डेण्ट पुलिस से कम न हो या किसी फ़ौजी अफ़सर को, जिसका पद कप्तान से कम न हो, दे सकता है।

(२) डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किसी भी सिविल या फ़ौजी अफ़सर को लिखित आज्ञा द्वारा अपने अधिकारों में से कोई भी अधिकार दे सकता है। यह अधिकार किसी ख़ास मुक़ाम या ख़ास धावे के सम्बन्ध में होगा।

नियम बनाने का अधिकार

१७—प्रान्तीय सरकार, गवर्नर जनरल-इन-कौन्सिल की मन्ज़ूरी से, प्रान्तीय सरकारी गज़ट में सूचना प्रकाशित करके, इन बातों के सम्बन्ध में नियम बना सकती है—(क) लापता अभियुक्तों के साथ पत्र-व्यवहार रोकने के लिए और लापता अभियुक्तों का हाल-चाल जानने के लिए; (ख) सम्राट की प्रजा के जान और माल पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए अथवा ऐसे हमलों के सम्बन्ध में पता लगाने के लिए; (ग) सम्राट की सेना और पुलिस की रक्षा के लिए; (घ) इस अध्याय के अनुसार दिए गए अधिकारों के नियमानुसार पालन के लिए; (ङ) हवालाती कैदियों के लिए, जिनको अदालत के सामने हाज़िर नहीं किया गया हो, और जो ऐसी परिस्थिति में हों, जिसमें दण्ड-संग्रह के नियमों का पालन अनुचित कठिनाई के बिना न हो सके; (च) इस अध्याय के उद्देश्यों को साधारणतया पूरा करने के लिए।

(२) इन नियमों के बनाने में, प्रान्तीय सरकार यह भी व्यवस्था कर सकती है कि जो कोई उनको भङ्ग करेगा, उसे छः मास तक की क़ैद की सज़ा या जुर्माना होगा या दोनों सज़ाएँ दी जायँगी।

अभय-प्रदान

१८—इस अध्याय की धाराओं के अनुसार जो कुछ कार्यवाही की जायगी या हुक्म निकाला जायगा, उसके सम्बन्ध में किसी अदालत में ऐतराज़ नहीं उठाया जा सकता और न इस अध्याय के अनुसार काम करने के लिए किसी व्यक्ति पर किसी नेकनीयती से किए गए काम के लिए किसी तरह का दीवानी और फ़ौजदारी मामला चलाया जा सकता है।

१९—इस अध्याय में जो कुछ व्यवस्था की गई है, उसके कारण कोई भी व्यक्ति, किए हुए अपराध के लिए, अन्य क़ानूनों के अनुसार, मुक़दमा चलाए जाने से नहीं बच सकता।

ज़मानत नहीं हो सकती

२०-२१—दण्ड-संग्रह में कुछ भी व्यवस्था हो, पर इस अध्याय के अनुसार जो अपराधी पकड़े जायँगे, उनके लिए ज़मानत न हो सकेगी।

२२—अगर यह अध्याय कलकत्ता पर लागू किया जायगा, तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का आशय पुलिस-कमिश्नर से माना जायगा।

❃ ❃ ❃

दूसरा अध्याय

विशेष अदालतें

२३—इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार फ़ौजदारी मामलों के लिए निम्न-लिखित श्रेणियों की अदालतें खोली जा सकेंगी—(१) विशेष अदालतें, और (२) विशेष मैजिस्ट्रेट।

२४—(१) विशेष अदालत प्रान्तीय सरकार द्वारा उस मुक़ाम के लिए, जहाँ वह उचित समझे, नियत की जायगी। उसमें एक प्रेज़िडेण्ट और दो मेम्बर होंगे, जिन्हें प्रान्तीय सरकार मुक़र्रर करेगी। अदालत का प्रेज़िडेण्ट एक ऐसा व्यक्ति होगा, जो हाईकोर्ट का जज हो या जज रह चुका हो या इस पद पर काम कर रहा हो। अन्य मेम्बर भी ऐसे व्यक्ति होंगे जो गवर्नमेण्ट ऑफ़ इण्डिया एक्ट की १०१ धारा के अनुसार हाईकोर्ट के जज नियुक्त किए जा सकने की योग्यता रखते हों।

(२) अगर किसी कारणवश विशेष अदालत का कोई मेम्बर अपना कर्तव्य पालन करने में असमर्थ हो, तो प्रान्तीय सरकार उसकी जगह दूसरा मेम्बर नियुक्त कर सकती है। ऐसा परिवर्तन होने की दशा में विशेष अदालत के लिए यह लाज़िमी न होगा कि वह किसी गवाह की, जो एक बार गवाही दे चुका है, फिर से गवाही ले।

२५—जिस किसी मामले में प्रान्तीय गवर्नमेण्ट के सामने यह विश्वास करने के कारण मौजूद होंगे कि अमुक व्यक्ति ने षड्यन्त्रकारी आन्दोलन के सम्बन्ध में शिड्यूल में लिखा कोई अपराध किया है, तो वह लिखित आज्ञा द्वारा यह सूचित कर देगी कि उस व्यक्ति पर विशेष अदालत में मुक़दमा चलेगा।

वारण्ट के मुक़द्दमों की कार्यवाही

२६—(१) विशेष अदालत अभियुक्त के अपने सामने पेश हुए बिना ही किसी मुक़दमे की कार्यवाही कर सकती है। वह गवाहों के बयान का केवल सारांश लिखेगी। अदालत का कार्य किसी दशा में स्थगित न किया जायगा, सिवाय उस अवस्था के, जब कि ऐसा करना न्याय के हित के लिए आवश्यक जान पड़े।

(२) जो मामले उपर्युक्त धारा में नहीं आते उन पर विशेष अदालत दण्ड-संग्रह के अन्य एक्टों के अनुसार विचार करेगी और उस दशा में ट्रिब्यूनल का दर्जा सेशन्स कोर्ट के बराबर है।

(३) अगर विशेष अदालत के मेम्बरों में मतभेद होगा, तो बहुमत के अनुसार निर्णय होगा।

सज़ा की मन्ज़ूरी आवश्यक नहीं

२७—जिस व्यक्ति को विशेष अदालत द्वारा दोषी माना जायगा, वह उसे क़ानून के अनुसार कोई भी सज़ा दे सकती है और उस सज़ा के लिए, चाहे वह कैसी भी सज़ा हो, किसी तरह की मन्ज़ूरी की आवश्यकता नहीं है। जिस मामले में अदालत को जान पड़ेगा कि अभियुक्त ने ताज़ीरात हिन्द की दफ़ा ३०७ के पहले सेक्शन के अनुसार अपराध किया है, जो इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के बाद किया गया है, तो उसे फाँसी या कालेपानी की सज़ा दी जायगी।

२८—प्रान्तीय सरकार इस सम्बन्ध में सरकारी गज़ट में सूचना देकर नियम बनाएगी कि (१) विशेष अदालत कहाँ और कब कार्यवाही करेगी और (२) विशेष अदालत की कार्यवाही का ढङ्ग क्या होगा, प्रेज़िडेण्ट को क्या अधिकार होंगे और यदि प्रेज़िडेण्ट या अन्य कोई मेम्बर किसी अभियुक्त के विचार में क़तई भाग न ले सके, तो उस समय क्या व्यवस्था की जायगी।

स्पेशल मैजिस्ट्रेट

२९—कोई भी प्रेज़िडेन्सी मैजिस्ट्रेट या ऐसा फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट, जो चार वर्ष तक इस पद पर रह चुका हो, स्पेशल मैजिस्ट्रेट नियुक्त किया जा सकेगा।

३०—जब कि प्रान्तीय सरकार या किसी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, जिसे प्रान्तीय सरकार ने इस सम्बन्ध में अधिकार दिए होंगे, की राय में किसी अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया होगा, जिसे फाँसी की अथवा इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार अन्य सज़ा नहीं दी जा सकती, तो उसका मुक़दमा स्पेशल मैजिस्ट्रेट के सुपुर्द किया जायगा।

३१—(१) इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार किसी मुक़दमे की कार्यवाही करते समय मैजिस्ट्रेट विशेष अदालतों की कार्यवाही का अनुकरण करेगा, जो २६वीं धारा के पहले सेक्शन के अनुसार होगी।

(२) जो मामले १ले सेक्शन में नहीं आते हैं, उनकी कार्यवाही दण्ड-संग्रह के अनुसार की जायगी और उस दशा में स्पेशल मैजिस्ट्रेट फ़र्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट समझा जायगा।

३२—स्पेशल मैजिस्ट्रेट सिवाय फाँसी, कालेपानी और सात वर्ष से अधिक की सज़ा के अन्य सब तरह की सज़ाएँ दे सकता है।

अपील

३३—(१) जब कि स्पेशल मैजिस्ट्रेट किसी को दो साल से अधिक की सज़ा देगा या एक हज़ार से अधिक जुर्माना करेगा, तो उसकी अपील उस विशेष अदालत में हो सकेगी, जो उस मुक़ाम के लिए नियत की गई हो। अगर वहाँ पर विशेष अदालत क़ायम न की गई होगी, तो उसकी अपील सेशन्स कोर्ट में हो सकेगी।

(२) इस तरह की अपील सज़ा दिए जाने के ७ दिन के भीतर हो जानी चाहिए।

३४—जो मामले इस ऑर्डिनेन्स के जारी होने के पहले चल रहे हैं, उनके सम्बन्ध में विशेष अदालत किसी तरह की सम्मति न देगी।

३५—अगर किसी मुक़दमे की कार्यवाही में किसी अभियुक्त के लिए यह प्रमाणित होगा कि उसने कोई अपराध किया है, तो वह अपराध चाहे 'शिड्यूल' में लिखा हो या नहीं, पर अदालत उसे दोषी क़रार दे सकती है और क़ानून के अनुसार दण्ड दे सकती है।

जनता को अदालतों में न आने देना

३६—विशेष अदालत का प्रेज़िडेण्ट या स्पेशल मैजिस्ट्रेट अगर उचित समझेगा तो किसी मुक़दमे की कार्यवाही में किसी भी समय आम लोगों का अथवा किसी विशेष व्यक्ति का अदालत के कमरे में आना रोक सकता है। अगर एडवोकेट-जनरल भी सार्वजनिक शान्ति या किसी गवाह की रक्षा के लिए साधारण जनता को अदालत में न आने देने का आग्रह करे, तो प्रेज़िडेण्ट या अदालत वैसा हुक्म दे सकती है।

अभियुक्त की ग़ैर-हाज़िरी

३७—(१) इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार क़ायम की गई अदालत का कोई अभियुक्त अगर जान-बूझ कर किए हुए कार्य द्वारा अपने को अदालत के सामने लाए जाने के अयोग्य बना ले, अथवा अदालत में लाए जाने का विरोध करे अथवा अदालत में लगातार अशान्तिपूर्ण तरीक़े से काम ले, तो अदालत किसी भी समय, जो कुछ उचित समझे, जाँच करके उस अभियुक्त की हाज़िरी को अनावश्यक क़रार दे सकती है और ग़ैरहाज़िरी में मुक़दमे की कार्यवाही कर सकती है।

(२) इस तरह अनुपस्थिति में अभियुक्त की तरफ़ से अगर किसी विषय में उत्तर की आवश्यकता होगी, तो

यह मान लिया जायगा कि वह अपना दोष अस्वीकार करता है।

(३) जो अभियुक्त १ले सेक्शन के अनुसार अदालत में उपस्थित नहीं होता, उसको वकील की मार्फ़त अपना मुक़दमा चलाने का अधिकार होगा और वह .खुद जब चाहे अथवा जब इसके योग्य हो अथवा जब शान्तिपूर्वक रहने की प्रतिज्ञा करे, तो फिर अदालत में उपस्थित हो सकता है।

(४) १ले सेक्शन के अनुसार यदि किसी मुक़दमे में एक या तमाम अभियुक्तों की अनुपस्थिति में उसका .फैसला किया जाय, तो उसे कोई भी अदालत ग़ैर-क़ानूनी क़रार नहीं दे सकती, चाहे इस सम्बन्ध में दण्ड-संग्रह में कुछ भी क्यों न लिखा हो।

मृत और लापता गवाहों की गवाही

३८—जब कि मैजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति का बयान एक बार लिख लेगा, तो वह चाहे मर जाय, लापता हो जाय अथवा गवाही देने के अयोग्य हो जाय और जब कि अदालत को यह विश्वास हो जाय कि इस प्रकार की कार्रवाई अभियुक्त के हित के लिए की गई है, तो उसकी गवाही ऑर्डिनेन्स के अनुसार स्थापित अदालतों में निर्विवाद रूप से काम में लाई जायगी, चाहे इस सम्बन्ध में गवाही के क़ानून में कुछ भी क्यों न लिखा हो।

३९—जैसी कि इस अध्याय में व्यवस्था की गई है, उसके सिवाय इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार स्थापित अदालतों के किसी हुक्म या सज़ा की अन्य किसी अदालत में अपील नहीं हो सकती। और न इस तरह की अदालतों से मुक़दमा तब्दील करने के लिए किसी दूसरी अदालत में दरख़्वास्त दी जा सकती है।

४०—इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार स्थापित अदालतों के सामने आए हुए मुक़दमों में जो ऐसी बातें पैदा होंगी, जिन पर दण्ड-संग्रह की धाराएँ इस ऑर्डिनेन्स की धाराओं का खण्डन किए बिना लागू हो सकती हैं, तो उनका प्रयोग बराबर किया जा सकेगा।

४१—इस ऑर्डिनेन्स की ३६वीं और ३७वीं धाराओं का अधिकार उन कमिश्नरों को भी होगा, जो सन् १९२९ के बङ्गाल क्रिमिनल-लॉ एमेण्डमेण्ट एक्ट के अनुसार मुक़दमा कर रहे हैं, चाहे ऐसे मुक़दमे पहले से चल रहे हों या अब दायर किए जायँ।

बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स पर महात्मा गाँधी

लन्दन का १ दिसम्बर का समाचार है कि महात्मा गाँधी ने बङ्गाल-ऑर्डिनेन्स का ज़ोरों से विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार हिंसात्मक आन्दोलन के मूल-कारण को दूर करने की चेष्टा नहीं करती। सरकार और कॉङ्ग्रेस में सहयोग हो सकने की जो कुछ आशा थी, इस ऑर्डिनेन्स के कारण वह भी बहुत कम हो गई है। आने वाली घटनाओं की छाया पहले से ही दिखलाई देने लगती है। और भारत की तथा विशेषकर बङ्गाल की वर्तमान दशा ऐसी ख़राब हो रही है कि उसे देख कर इस बात की कुछ भी आशा नहीं होती कि राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स से कोई बड़ा फल निकल सकेगा। मेरा मतलब हाल के बङ्गाल ऑर्डिनेन्स से है। जैसे ही किसी यूरोपियन की जान पर वार होता है, सरकार भयभीत हो उठती है। मैं ऐसे अपराधों को नापसन्द करता हूँ, पर मुझे स्पष्ट रूप से यह जान पड़ता है कि सरकार ने जो विशेष अधिकार लिए हैं, वे हिंसात्मक आन्दोलन के ज़ोर को देखते हुए बहुत अधिक हैं। सरकार के पास साधारण क़ानूनों द्वारा ही काफ़ी शक्ति मौजूद है, पर वह लक्षणों का इलाज करती है, असली बीमारी का नहीं। क्रान्तिकारियों का विश्वास है कि इन कामों से स्वाधीनता प्राप्त होगी। इसलिए अगर भारत को स्वाधीनता मिले, तो फिर हिंसावाद स्वयं मिट जायगा और किसी भी यूरोपियन या सरकारी अधिकारी की जान का भय नहीं रहेगा।

बङ्गाल-सरकार को जो ग़ैर-मामूली अधिकार दिए गए हैं, वे भारत को स्वाधीनता देने के विरुद्ध हैं। इससे कॉङ्ग्रेस के सामने सरकार के साथ सहयोग करने का कोई मार्ग नहीं रह जाता।

श्री० जवाहरलाल नेहरू

श्री० जवाहरलाल नेहरू ने एक सम्बाददाता से कहा है कि नया ऑर्डिनेन्स हिंसात्माक आन्दोलन को दबाने के लिए जारी किया गया बतलाया जाता है, पर वह स्वयं हिंसावाद का जीता-जागता नमूना है। इस ऑर्डिनेन्स और मार्शल-लॉ में बहुत थोड़ा अन्तर है। अगर किसी सरकार को इन उपायों का सहारा लेकर शासन करना पड़े, तो स्पष्ट है कि उसकी दशा कैसी शोचनीय है। इसमें सन्देह नहीं कि यह ऑर्डिनेन्स सब प्रकार के आन्दोलनों और अहिंसात्मक आन्दोलन को रोकने के लिए भी काम में लाया जायगा। इसे रोकने का उसमें कोई साधन नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो कुछ चाहे, जिस तरह चाहे और जहाँ कहीं चाहे, अपनी मर्ज़ी के माफ़िक़ काम कर सकता है।

* * *

ऑर्डिनेन्स से घबराने की आवश्यकता नहीं

"उससे मालूम होता है कि गवर्नमेण्ट की दशा कहाँ तक शोचनीय हो गई है।"

बङ्गाल के बलिदान के प्रति पं० जवाहरलाल नेहरू का सम्मान-प्रकाश

गत ३ दिसम्बर को प्रयाग के मौ० मुहम्मदअली पार्क में नए बङ्गाल ऑर्डिनेन्स का विरोध करने के लिए श्री० टी० ए० के० शेरवानी के सभापतित्व में एक बड़ी सार्वजनिक सभा हुई। उसमें भाषण करते हुए पं० जवाहरलाल नेहरू ने प्रधान मन्त्री की हाल की घोषणा का ज़िक्र करते हुए कहा कि—"ऐसी तमाम घोषणाओं को नापने के लिए हमारा पैमाना कॉङ्ग्रेस का स्वाधीनता-सम्बन्धी प्रस्ताव है। हर एक कॉङ्ग्रेस-मैन स्वयम् इस पैमाने को व्यवहार में ला सकता है और समझ सकता है कि प्रधान मन्त्री की घोषणा उस कसौटी पर कहाँ तक सन्तोषजनक सिद्ध होती है। कॉङ्ग्रेस की तरफ़ से उसका उत्तर महात्मा गाँधी देंगे और कॉङ्ग्रेस के प्रेज़ीडेण्ट तथा वर्किङ्ग कमिटी उसे उचित समय पर उचित रूप देंगे। यह मार्के की बात है कि इस घोषणा का अग्रगामी बङ्गाल ऑर्डिनेन्स था, जो राउण्डटेबिल कॉन्फ़्रेन्स में प्रधान मन्त्री की घोषणा से प्रायः २४ घण्टे पहले जारी किया गया। हिजली, चटगाँव, ढाका की घटनाएँ और बङ्गाल ऑर्डिनेन्स हमको वर्त्तमान समय की गति का ही परिचय नहीं देते, वरन् वे हमको यह भी बतलाते हैं कि भविष्य में बङ्गाल और अन्य प्रान्तों में क्या होने वाला है।

आगे चल कर पण्डित जी ने कहा कि पहली निगाह में तो ऑर्डिनेन्स बड़ी अप्रसन्नता और रोष का भाव उत्पन्न करता है, पर दूसरे ही क्षण वे उसके कारण .खूब प्रसन्नता अनुभव करते हैं। इसको हम मार्शल-लॉ भी कह सकते हैं और यह बतलाता है कि अब गवर्नमेण्ट की दशा कहाँ तक शोचनीय हो गई है। मैं चाहता हूँ कि ऑर्डिनेन्स का हिन्दी और उर्दू में अनुवाद करके छपवाया जाय और उसे लाखों की संख्या में बाँटा जाय, जिससे जनता जान सके कि इङ्गलैण्ड भारत पर किस तरह शासन करता है और करना चाहता है। यह कहा गया है कि ऑर्डिनेन्स हिंसात्मक क्रान्तिकारियों के विरुद्ध बनाया गया है, पर सब लोग जानते हैं कि किस तरह कॉङ्ग्रेस के कार्यकर्ता, जिनको हिंसा से कुछ लेना-देना नहीं है, ऑर्डिनेन्स के फन्दे में फाँसे जाते हैं। इस समय तक बङ्गाल में क़रीब एक हज़ार व्यक्ति नज़रबन्द किए जा चुके हैं और प्रान्त के हर एक कोने से पीड़ा की पुकार सुनाई दे रही है। यह पुकार निराशाजनक नहीं है, क्योंकि बङ्गाल कितनी ही बार ऐसे सङ्कट का सामना कर चुका है और इस बार भी इस अग्नि-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर बाहर निकलेगा।

कॉङ्ग्रेस ने सदा अहिंसा पर ज़ोर दिया है और वह बराबर ऐसा ही करती रहेगी। हमने अपने उन साथियों को, जो दूसरे रास्ते पर चले गए हैं, तर्क और आग्रह द्वारा समझाने की चेष्टा की है। यही उनको अपनाने का एकमात्र मार्ग था और इसके द्वारा हम बहुतों को अपने मार्ग पर लाने में सफल हुए हैं। गवर्नमेण्ट की हिंसात्मक शक्ति के ज़बर्दस्त प्रदर्शन द्वारा यह सम्भव नहीं है कि हिंसात्मक उपायों को मानने वाले व्यक्ति समझाए जा सकें। यद्यपि कॉङ्ग्रेस हिंसात्मक आन्दोलन के पूर्णतया विरुद्ध है और हर तरह से उसे रोकने की चेष्टा करती रहेगी, पर सरकार के लिए, यह आशा करना बहुत ही अनुचित है कि कोई कॉङ्ग्रेसमैन व्यक्तिगत हिंसा को दबाने के लिए इन उपायों का समर्थन कर सकता है। कॉङ्ग्रेस सरकार के इस हिंसावाद में कभी साथी नहीं हो सकती। इसका मुक़ाबला वह अपने अहिंसा के अनुपम शस्त्र से करेगी।

पण्डित जी ने अन्त में अपनी हाल की कलकत्ता-यात्रा का ज़िक्र करते हुए कहा कि उनको बहुत खेद है कि उनके कुछ शब्दों का अर्थ ग़लत समझा गया है और उनसे उनके बङ्गाल के मित्रों को दुःख पहुँचा है। राजनीतिक सेना में बङ्गाल की महानता को कोई भुला नहीं सकता। उसने भूतकाल में और हाल में स्वाधीनता की वेदी पर जितना बलिदान किया है, वह भी सदा याद रहेगा। यह बङ्गाल की महानता ही है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसके पुत्रों से महान कामों की आशा करता है। मित्रों के बीच में स्पष्टवादिता का भाव होना आवश्यक है और उसी भाव से मैंने कलकत्ते में विद्यार्थियों की एक सभा के सम्मुख भाषण करते हुए कहा था कि बङ्गाल के सम्मान के रक्षक वे ही हैं और उनको पारस्परिक अविश्वास और दलबन्दी के भाव से पृथक रहना चाहिए। मुझे .खुशी है कि यह बात अभी से देखने में आ रही है और ऑर्डिनेन्स के सार्वजनिक ख़तरे के सामने सब एक भाव से मिल कर खड़े हो रहे हैं। मुझे विश्वास है कि बङ्गाल के सामने जो विकट परीक्षा का अवसर आ रहा है, उसका मुक़ाबला बङ्गाल अच्छी तरह से करेगा, जैसा कि वह पहले ज़माने में कर चुका है।

❀ ❀ ❀

७ दिसम्बर, सन् १९३१

स्त्रियाँ और स्वावलम्बन

इस समय भारतवर्ष में जितनी तरह के परिवर्तन हो रहे हैं, उनमें से एक मुख्य और अत्यन्त महत्व का परिवर्तन यहाँ की स्त्रियों में हो रहा है। अधिक समय की बात जाने दीजिए, जब कि स्त्रियों को अक्षर-ज्ञान कराया जाय या नहीं, यही बड़ी विकट समस्या समझी जाती थी और अधिकांश भारतवासी इस कार्य को अत्यन्त हानिकारक और अनुचित समझते थे, अभी दस वर्ष पहले तक भी सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का कोई स्थान न था। जो दस-बीस महिलाएँ सार्वजनिक क्षेत्र में दिखलाई पड़ती थीं, उनको प्रायः लोग अच्छी निगाह से नहीं देखते थे। पीठ-पीछे उनका उपहास किया जाता था और तरह-तरह के लाञ्छन लगाए जाते थे। पर गत वर्ष के राष्ट्रीय आन्दोलन ने यहाँ की स्त्रियों में एक विचित्र जागृति पैदा कर दी है और लोगों के मनोभाव में भी अद्भुत परिवर्तन दिखलाई देने लगा है। हिन्दू-समाज के विषय में एक कहावत मशहूर है कि पीछे से चाहे हाथी चला जाय, पर सामने से पूँछ भी नहीं निगल सकते। हमारे देश के कितने ही भागों में पर्दे की प्रथा अभेद्य समझी जाती थी और उसके कारण स्त्रियाँ अवनति और अज्ञान के गढ़े से किसी तरह निकल न पाती थीं। गत वर्ष के आन्दोलन में बिना किसी के कहे-सुने अप्रकट रीति से पर्दा-प्रथा का उच्छेद होने लगा और लाखों कुलीन तथा सम्भ्रान्त वंशों की स्त्रियाँ जुलूस और सभाओं में भाग लेने को बाहर निकल पड़ीं। यद्यपि वह एक क्षणिक भाव था और उसके बाद स्त्रियाँ फिर उसी प्रकार पर्दे में रहने लगीं। तो भी वह उनके हृदयों पर स्थायी प्रभाव छोड़ गया है, जो बराबर स्त्रियों को उन्नति की तरफ़ प्रेरित कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र में खींच रहा है। इससे और भी कितने ही शुभ परिणामों की आशा है और आश्चर्य नहीं कि कुछ ही वर्षों में यहाँ की स्त्रियों में एक नए युग का प्रादुर्भाव हो जाय।

पर स्त्रियों की उन्नति के लिए उनमें शिक्षा-प्रचार होना, पर्दे की प्रथा का उच्छेद और सार्वजनिक क्षेत्र में उनका आगे बढ़ना ही काफ़ी नहीं है। यह सच है कि ये सब बातें उन्नति के अङ्ग हैं, और इनके बिना स्त्रियाँ आगे नहीं बढ़ सकतीं। पर इनसे भी बढ़ कर आवश्यक एक और बात है, जिसको उन्नति का मूल-मन्त्र ही कहना चाहिए। वह है स्वावलम्बन। कोई व्यक्ति चाहे कैसा भी शिक्षित हो जाय, बहादुर बन जाय, बातें करने की चतुराई प्राप्त कर ले, स्वाधीन नहीं है, तो उसके सब गुण उसके काम न आकर दूसरे का हित-साधन करेंगे। पुराने ज़माने में कोई-कोई ग़ुलाम बड़े योग्य और विद्वान हो जाते थे, कितने ही बड़े शूरवीर भी होते थे; पर ये गुण उनके कुछ काम न आकर उनके मालिक का ही हित-साधन करते थे। यही दशा आजकल भारत ही नहीं, संसार के अधिकांश देशों में स्त्रियों की है। वे चाहे सर्वगुण-सम्पन्ना हों, चाहे कैसी भी योग्य हों, पर उनको पति, पुत्र अथवा अन्य किसी पुरुष के सहारे रहना पड़ता है, और इस अधीनता के कारण उनके सब गुणों पर पर्दा पड़ जाता है।

यह बात किसी से छिपी नहीं है कि वर्तमान युग रुपए का युग है। इसमें सारे काम धन के ज़ोर से होते हैं और उसी का सबसे बढ़ कर मान है। एक मशहूर कहावत है कि—"सर्वे गुणः कञ्चनमाश्रयन्ति।" पैसा होने से लोग मूर्ख और नीच व्यक्ति की भी प्रशंसा और ख़ुशामद करते हैं, और पैसे के अभाव से अच्छे-अच्छे विद्वानों को भी अपमानजनक परिस्थिति में रहना पड़ता है।

यह पैसे का अभाव ही स्त्रियों की अधीनता का मूल कारण है। कहने के लिए बहुत सी स्त्रियाँ भी असंख्य धन की स्वामिनी होती हैं, कितनी ही स्त्रियाँ दान-पुण्य और सदावर्त, धर्मशाला आदि में लाखों ख़र्च कर देती हैं, अधिकांश स्त्रियाँ ज़ेवरों की शौक़ीन होती हैं और हज़ारों-लाखों रुपए के सोने-चाँदी और जवाहरात के ज़ेवर पहिनती हैं। पर यह सब धन ऊपरी होता है। उसके असली स्वामी पुरुष ही होते हैं और उन्हीं की राज़ी से स्त्रियाँ उसका उपयोग कर पाती हैं। थोड़ी-बहुत स्त्रियाँ अपने धन की पूर्ण रूप से भी मालिक होंगी, पर वे अपवाद-स्वरूप हैं। वैसे भी समष्टि रूप से पुरुष ही धन के स्वामी होते हैं और धनवान स्त्रियों की उनके सामने कोई गिनती नहीं हो सकती।

स्त्री-पुरुषों की यह असमानता, यह भेदभाव आज का नहीं है। शायद अति प्राचीन काल में, जिसका कोई इतिहास नहीं है और जब कि मनुष्य पशुओं से कुछ ही उन्नत और बुद्धिमान थे, स्त्री और पुरुष प्रायः बराबरी का अधिकार रखते थे। चाहे शारीरिक बल में कुछ अधिक होने से कभी-कभी पुरुष स्त्री पर अत्याचार कर सकता था, पर वह एक अपवाद-स्वरूप बात थी। अधिकांश स्त्री-पुरुष स्वेच्छापूर्वक सम्मिलित या पृथक रहते थे और प्रत्येक पेट भरने के लिए कुछ न कुछ उद्योग करता था। कितनी ही बार तो भोज्य-पदार्थ संग्रह करने और गृहस्थी की आवश्यक वस्तुओं को तैयार करने का सारा भार स्त्रियों पर ही रहता था और समाज में उनकी ही प्रधानता मानी जाती थी।

पर जैसे-जैसे संसार आगे बढ़ता गया और अनुभव तथा ज्ञानवृद्धि के द्वारा भोजन और वस्त्रों की सुलभता होती गई, वैसे-वैसे ही पुरुष जीवन-निर्वाह के साधनों पर शक्ति द्वारा अपना अधिकार जमाता गया और स्त्रियों की सत्ता कम होती गई। स्त्रियों ने इसका विरोध किया और कहीं-कहीं उनको सफलता भी प्राप्त हुई, पर शक्ति में हीन होने से वे अधिक दिनों तक पुरुषों का मुक़ाबला न कर सकीं। अन्त में उनको दास-भाव से पुरुषों के साथ रहना पड़ा और जैसे-जैसे सभ्यता बढ़ती जाती है तथा जीवन-निर्वाह के साधनों की बहुतायत और सुलभता होती जाती है, वैसे-वैसे ही स्त्रियाँ पुरुषों की अधिकाधिक अधीन बनती जाती है।

हमारे कहने का आशय यह नहीं है कि स्त्री पुरुषों का साथ रहना कोई अनुचित या हनिकारक बात है, अथवा उनके कार्यों में भेद होना अर्थात् श्रम-विभाग में कोई बुराई है। हम यह स्वीकार करते हैं कि पुरुष और स्त्रियों की शारीरिक और मानसिक शक्तियों में प्राकृतिक तौर पर कुछ भेद रहता है और कुछ काम पुरुषों के विशेष रूप से अनुकूल होते हैं और कुछ स्त्रियों के। इन दोनों में श्रम-विभाग होने से काम अधिक अच्छी तरह हो सकता है और लोग अधिक सुख के साथ रह सकते हैं। पर इस श्रम-विभाग के कारण यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि पुरुष तो सारे धन-वैभव के स्वामी बन जायँ और स्त्रियाँ केवल उनकी जूठन खाने वाली दासी बन जायँ? इस जगह फिर हम अपनी यह बात दुहरा देना चाहते हैं कि यद्यपि स्त्रियाँ भी सब प्रकार के सुख-भोग करती हैं और घर भर का प्रबन्ध अपने हाथ में रखती हैं, पर इसमें उनका अपना कुछ नहीं होता। सब वस्तुओं का स्वामी पुरुष ही माना जाता है और वह जब चाहे, स्त्री को हटा कर दूर कर सकता है। यही इस मामले में सबसे अधिक निन्दनीय और आपत्तिजनक बात है। अगर श्रम-विभाग के कारण कोई व्यक्ति अपने न्यायोचित भाग से रहित हो जाय तो वह श्रम-विभाग किस काम का? जब यह स्पष्ट है कि संसार का काम पुरुष और स्त्रियों से मिल कर ही चल रहा है, और जीवन-निर्वाह के लिए पुरुष यदि एक तरह का काम करते हैं, तो स्त्रियाँ दूसरी तरह का, तो यह कैसे उचित कहा जा सकता है कि पुरुष को ही सब चीज़ों का मालिक माना जाय और स्त्री उसका मुख ताकने वाली बनी रहे। इसका तो यही अर्थ निकलता है कि पुरुषों ने स्त्रियों को जान-बूझ कर घर के भीतर का काम देकर कमज़ोर और बन्दी बना दिया है और वे न्यायानुसार नहीं, वरन् ताक़त के ज़ोर से सब चीज़ों के स्वामी बने हैं।

यह प्रश्न केवल धन-वैभव के अधिकार और जीवन-निर्वाह के स्वामित्व का ही नहीं है। इसके कारण स्त्री-जाति पराधीन और क़ैदी की तरह बन गई है और पराधीनता के कारण जैसे प्रत्येक देश, जाति और समुदाय में तरह-तरह के दुर्गुण घुस जाते हैं, वही दशा स्त्रियों की हुई है। आज हम बार-बार कहते हैं कि भारतवासियों में जो अनेकों महान दोष घुसे हुए हैं, उनका कारण पराधीनता है। इसी के कारण यहाँ के लोग भीरु, साहसहीन, मतमतान्तर की कलह में ग्रस्त बने हुए हैं। स्त्रियों में भी पुरुषों की अधीनता के कारण असंख्य बुराइयाँ पैदा हो गई हैं। इससे उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता है और उनको अपने तईं उसी साँचे में ढालना पड़ता है, जो पुरुषों को पसन्द हो। यही कारण है कि आजकल अधिकांश कुलीन और सम्भ्रान्त कहे जाने वाले घरों की स्त्रियाँ सजी हुई पुतलियों के नाम से पुकारी जाती हैं। उनमें कार्य-शक्ति और इच्छा-शक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है और वे कल से चलने वाले निर्जीव यन्त्र की तरह पुरुषों की केवल आज्ञा पालन किया करती हैं।

इस बुराई और दुर्दशा के सुधार का उपाय स्त्रियों का स्वावलम्बी होना है। अगर वे भी अपने अधिकार में सम्पत्ति और जीवन-निर्वाह के साधन उसी प्रकार रखती हों, जैसे पुरुष रखते हैं, तो उनको पुरुषों के इशारे पर नाचने की ज़रूरत न पड़े और न उनको ख़ुश करने के लिए अपना पतन करना पड़े। यह ज़रूरी नहीं कि उस दशा में वे सब से अलग होकर संसार में अकेली रहें। नहीं, उस समय भी वे अपने पति, पुत्र तथा भाइयों के साथ रह सकती हैं, पर जीवन-निर्वाह के सम्बन्ध में स्वाधीन रहने से उनको किसी का अनुचित व्यवहार बाध्य होकर सहन न करना पड़ेगा, जैसा आजकल प्रायः देखने में आता है।

आजकल तो दशा यह यह है कि स्त्री चाहे ज़हर खाकर या आग लगा कर या कुएँ में कूद कर जान भले ही दे दे, पर उसको इतनी सामर्थ्य और अधिकार नहीं कि अरुचिकर और कष्टप्रद परिस्थिति छोड़ कर संसार के अन्य प्राणियों के साथ स्वाधीन भाव से ज़िन्दगी बिता सके। पुरुष यदि अपने घर से, अपनी स्त्री से अथवा अन्य सम्बन्धियों से अत्यन्त विरक्त हो जाय तो वह उन्हें छोड़ कर देश या परदेश में अपना जीवन अलग रह कर व्यतीत कर सकता है और हम हर रोज़ इस तरह को असंख्य घटनाएँ देखते और सुनते हैं। पर यदि स्त्री घोर कष्ट पाकर या अन्य किसी कारण से इस तरह विरक्त हो जाय, तो उसके लिए अपनी जान दे देने के सिवाय मुक्ति का कोई रास्ता ही पुरुषों ने नहीं छोड़ा है। केवल एक रास्ता और भी है, और वह वेश्या बन कर जीवन बिताना। पर उस दशा में भी उसे पुरुषों के आधार पर ही रहना पड़ता है, उनके हाथों तरह-तरह के कष्ट और लाञ्छनाएँ सहन करनी पड़ती हैं।

अधिकांश लोग उपरोक्त सम्मति को समाज के लिए अत्यन्त अनिष्टकर समझते हैं। उन कूप-मण्डूकों की बात तो छोड़ दीजिए, जो इस तरह की कल्पना करना भी घोर पाप समझते हैं। अच्छी तरह पढ़े-लिखे और विचारवान लोग भी कहते हैं कि स्त्रियों के धन उपार्जन में लगने से गृहस्थी का आनन्द नष्ट हो जायगा और बच्चों के उचित पालन-पोषण और उन्नति में बड़ी बाधा पड़ जायगी। यह बात कुछ अंशों में सच है और हम भी स्त्रियों को क्लर्की, दुकानदारी और अन्य नौकरी करके जीवन निर्वाह करना बहुत अच्छा नहीं समझते। पर उनको बिलकुल पङ्गु बना देने और कष्टों से मुक्त पाने के लिए उनके पास आत्महत्या के सिवाय और कोई उपाय न रहने की अपेक्षा उपरोक्त नौकरी आदि की दशा बुरी नहीं कही जा सकती। स्त्रियों की दशा को सुधारने और उन्हें मनुष्यत्व प्रदान करने के दो ही उपाय हैं। या तो हम ख़ुद अपनी राज़ी से उनको जीवन-निर्वाह के साधनों की अधिकारिणी बना लें, अर्थात् जिस घर में जितनी सम्पत्ति हो, उस पर पुरुष और स्त्री का समान अधिकार हो और यदि किसी कारणवश स्त्री अलग होना चाहे तो आधा हिस्सा बँटा सके। क्योंकि यह हम ऊपर बतला चुके हैं कि सम्पत्ति की उत्पत्ति केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं होती। समाज का काम पुरुष और स्त्री दोनों से मिल कर चल रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी अपना काम बन्द कर दे, तो समाज को ख़ाली ही समझिए। इसलिए समाज जो कुछ उत्पन्न करता है या बनाता है, उसमें स्त्री और पुरुष सबका समान अधिकार है और सबको समान रूप से भोगने का अधिकार है। यदि ऐसा नहीं होता और पुरुष शक्ति के द्वारा स्त्रियों को उनके न्यायोचित भाग से वञ्चित रखते हैं तो फिर उनके लिए स्वयं जीविका-उपार्जन के कामों में लग कर यह दिखलाना पड़ेगा कि वे भी परिश्रम की रोटी खाती हैं, न कि पुरुषों की दी हुई ख़ैरात। इस तरह स्वावलम्बी हो जाने पर वे पुरुषों की दासता से छूट जायँगी और स्वाभाविक रूप से अपनी उन्नति और विकास कर सकेंगी, जिसका प्रवाह इस समय सर्वथा रुका हुआ है।

❋ ❋ ❋

आने वाला तूफ़ान

हिन्दुस्तान के राजनीतिक आकाश में फिर एक भयङ्कर तूफ़ान आने वाला है। यह बात अब लक्षणों से पूरी तरह प्रकट हो रही है। कितने ही लोग आशा लगाए बैठे थे कि राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में सरकार और भारत के राष्ट्रीय दल का समझौता हो जायगा और कम से कम कुछ वर्ष तक सब लोग शान्तिपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकेंगे, पर विलायत से और नई दिल्ली से जो ख़बरें हर रोज़ आ रही हैं, उनसे यही जान पड़ता है कि समझौते की आशा अभी कोसों दूर है और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने के स्थान में हमको एक ऐसी भयङ्कर परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, जिसकी कल्पना भी इस समय नहीं की जा सकती।

अभी पिछले सप्ताह में हाउस ऑफ़ लॉर्ड्स में भारत के सम्बन्ध में बहुत-कुछ चर्चा हुई थी। उसमें एक अङ्गरेज़ राजनीतिज्ञ ने साफ़ शब्दों में पूछा था कि म० गाँधी और उनके साथी पड्यन्त्रकारियों को पकड़ कर किसी दूरवर्ती टापू में बन्द क्यों नहीं कर दिया जाता है। उसके बाद म० गाँधी की एक पेरिस के प्रतिनिधि के साथ भेंट का समाचार आया था, जिसमें उन्होंने अपने तथा कॉङ्ग्रेस के तमाम नेताओं के पकड़े जाने की सम्भावना प्रकट की थी।

इधर दो-एक दिन से देश में जो चौंका देने वाली घटनाएँ हो रही हैं, उनसे मालूम होता है कि सरकार ने अपना कार्य आरम्भ भर दिया है। पिछली बार के आन्दोलन के सम्बन्ध में इङ्गलैण्ड और भारत के गोरे पत्रों ने यह आक्षेप किया था कि उसने नेताओं के पकड़ने में बहुत अधिक ढिलाई की और इसलिए आन्दोलन इतना बढ़ गया। मालूम होता है कि सरकार इस बार उस ग़लती को दुहराना नहीं चाहती और वह ऐसी योजना कर रही है कि अगर भविष्य में कोई आन्दोलन उठ खड़ा किया जाय तो वह बिना एक क्षण की देर लगाए, कुचल दिया जाय। 'लीडर' के सम्वाददाता ने नई दिल्ली से जो ख़बर भेजी है, उससे भी इस अनुमान का समर्थन होता है। उसका कहना है कि—"मुझे बहुत पक्की तौर पर मालूम हुआ है कि जैसे ही राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स ख़त्म होगी, भारत में घोर दमन आरम्भ हो जायगा और कॉङ्ग्रेस ग़ैरक़ानूनी संस्था क़रार दे दी जायगी। कुछ भी आश्चर्य नहीं, अगर महात्मा गाँधी इस देश में पैर रखने के बाद तुरन्त ही गिरफ़्तार कर लिए जायँ।"

इससे बढ़ कर भयङ्कर ख़बर 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्वाददाता ने भेजी है। उसका कहना है कि "अगर कॉङ्ग्रेस रचनात्मक उपाय के तौर पर या आक्रमण करने के उद्देश्य से सविनय क़ानून-भङ्ग आरम्भ करेगी तो भारत-सरकार ने भारत-मन्त्री की सम्मति से उसका प्रतिकार कड़े उपायों से करने का निश्चय कर लिया है। इस सम्बन्ध में विश्वस्त-सूत्र से ज्ञात हुआ है कि इस समय कितने ऑर्डिनेन्स तैयार हैं या तैयार किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स में प्रधान मन्त्री की घोषणा के बाद ही जारी कर दिए जायँगे।... इनमें से एक ऑर्डिनेन्स, जो सम्भवतः शीघ्र ही जारी किया जायगा, यू० पी० के लगानबन्दी आन्दोलन के और सीमाप्रान्त के 'रेडशर्ट' आन्दोलन के सम्बन्ध में है। अगर विलायती माल के बॉयकॉट का आन्दोलन जारी हुआ तो उसके लिए भी एक नया ऑर्डिनेन्स, जो पुराने पिकेटिङ्ग आन्दोलन की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक होगा, तैयार रक्खा है।

"मुझसे यह भी कहा गया है कि लन्दन में समझौते की जो बातें चल रही हैं, अगर वे पूर्णतया असफल हो गईं तो गवर्नमेण्ट उन सब नेताओं को पकड़ लेने में ज़रा भी सङ्कोच न करेगी, जिनकी कार्रवाइयों से उनके प्रान्तों में सविनय क़ानून-भङ्ग के आरम्भ होने की सम्भावना है। यह भी कहा जाता है कि महात्मा गाँधी के लौटने के पश्चात् सब नेताओं के मिल कर कोई प्रोग्राम तैयार करने की चेष्टा को भी सरकार पूर्ण न होने देगी। भारत-सरकार इसी समय ज़ोरदार दमन आरम्भ कर दे या कुछ दिन तक रङ्ग-ढङ्ग देखे, इस सम्बन्ध में अन्तिम आज्ञा लन्दन से आएगी। इस सम्बन्ध में सम्भवतः मन्त्री या सर सैमुअल होर प्रधान-मन्त्री की घोषणा के बाद म० गाँधी से साफ़-साफ़ बातें करेंगे और पूछेंगे कि क्या वे राउण्डटेबिल कॉन्फ्रेन्स के ख़ात्मे तक समझौते को जारी रखना चाहते हैं या भारत लौटते ही सविनय क़ानून-भङ्ग आरम्भ कर देना चाहते हैं। अगर गाँधी जी समझौते के लिए तैयार हुए, तो सरकार केवल हिंसात्मक आन्दोलन और यू० पी० के लगानबन्दी आन्दोलन को ज़ोरदार उपायों से दबाने में संलग्न रहेगी। पर यदि वे राज़ी न हुए तो कॉङ्ग्रेस के आन्दोलन को रोकने की हर तरह से चेष्टा की जायगी और अधिकारियों को परिस्थिति का मुक़ाबला करने के लिए पूर्ण अधिकार दे दिए जायँगे।"

'हिन्दुस्तान टाइम्स' के सम्वाददाता की बातें न भविष्यवाणी है, न कोई कल्पना-प्रसूत चित्र है, वरन् वे वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति से निकलने वाले स्वाभाविक परिणाम हैं। कॉङ्ग्रेस पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी है कि हम तब तक शान्त न होंगे, जब तक पूर्ण स्वराज्य प्राप्त न हो जाय। उधर ब्रिटिश सरकार ने भी घोषित कर दिया है कि वह प्रान्तीय स्वराज्य से अधिक कुछ देने को तैयार नहीं है। केन्द्रीय सरकार में कुछ परिवर्तन अवश्य होंगे और शायद फ़ेडरल शासन-विधान भी जारी हो जाय, पर वहाँ पर असली शक्ति हिन्दुस्तानियों को नहीं दी जा सकती। क्योंकि सरकार को भय है, और वह भय बिलकुल निराधार नहीं कहा सकता, कि यदि असली शक्ति एक बार हिन्दुस्तानियों के हाथ में पहुँच गई, तो फिर उसका वापस मिल सकना असम्भव है, और उसका अन्तिम फल भारत की पूर्ण स्वाधीनता ही होगा। इसलिए वह फूँक-फूँक कर क़दम बढ़ाना चाहती है और इस बात की चेष्टा में है कि जहाँ तक सम्भव हो, अधिक से अधिक दिन तक भारत के शासन का सूत्र उसी के हाथ में रहे। क्योंकि इसकी बदौलत वह इस देश से आर्थिक लाभ और अन्य तरह के फ़ायदे उठा रही है।

अब एक ही बात जानने को बाक़ी है कि इन सब का परिणाम क्या होगा? इसमें तो सन्देह नहीं कि सरकार सर्व-शक्ति-सम्पन्न है, उसके पास काफ़ी तादाद में सिपाही, अस्त्र-शस्त्र और जेलख़ाने हैं और चाहे जितने लोगों को पकड़ सकती है अथवा इससे भी कठोर उपाय से काम ले सकती है। पर भारतवासी तो अहिंसा और सत्याग्रह का अस्त्र पकड़े हुए हैं। यदि भारतवासी भी सरकार की तरह ही शारीरिक शक्ति का सहारा लेते, तब तो सरकार की विजय निश्चित थी, क्योंकि इस दृष्टि से वह बहुत बढ़ी-चढ़ी है। पर इन दोनों तरह के अस्त्रों की प्रकृति भिन्न-भिन्न हैं और उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार का अस्त्र भारतवासियों के अस्त्र पर अवश्य ही विजय पा जायगा।

❋ ❋ ❋

कर्तव्य-पालन

[श्री० रायज़ादा हरमोहन स्वरूप जी]

हा ! क्या सुन्दर थे वे दिन, जब पिता पुत्र से और पुत्र पिता से विदा हो-होकर स्वतन्त्रता की बलिवेदी पर निछावर हो जाते थे। माना कि वे विदेशी पञ्जे में जकड़े हुए नहीं थे, पर थे तो एक पाशविक शक्ति के अधीन ! फ़्रान्स में राजतन्त्र और प्रजातन्त्र में तुमुल युद्ध छिड़ा हुआ था। बहादुर गेर्विन के सामने विकट समस्या उपथित थी, वह क्या करे ?

एक ओर उसकी कोमल भावनाएँ अपने पितामह की सुफ़ेदी में खोती हुई मालूम होती थीं, और दूसरी ओर घोर विडम्बनापूर्ण, कण्टकमय, कर्तव्य-पथ उसके ख़ून को उबाल रहा था। यही नहीं, उसके पूज्य गुरुदेव स्मोरडम, जिन्होंने अपना प्रेम—वह प्रेम, जो यदि उन्होंने विवाह किया होता तो उनकी स्त्री पर और बच्चों पर केन्द्रित होता—गेर्विन पर केन्द्रित कर दिया था, प्रजातन्त्र की सेना में जा चुके थे।

एक तीसरी चीज़, जिसका लोभ उसे छू न गया था, वह था, उस क़िले का आधिपत्य, जिसका उस 'लाटौर' क़िले में ही नहीं, बल्कि बाहर भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उसके वर्तमान अधिपति मार्क़िस लेण्टिङ्ग, जो गेर्विन के दादा के सगे भाई थे, अब बिल्कुल बुड्ढे हो गए थे, और अपने जीवन-काल में ही अपने पोते को राज्य-भार सौंप कर छुट्टी पा जाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने आचार्य स्मोरडम जैसे महान व्यक्ति को गेर्विन की शिक्षा के लिए नियुक्त किया था।

परन्तु अपने पर विजय पाए हुए आचार्य स्मोरडम के शिष्य को अपनी शिक्षा का सच्चा उपयोग करना था। पितामह का प्रेम या क़िले का लोभ उसके स्वतन्त्र हृदय को ग़ुलामी की ज़ञ्जीर में बाँध न सका। वह एक लॉर्ड का उत्तराधिकारी होकर भी समझता कि वह भूमि के सच्चे स्वत्वाधिकारियों के साथ अन्याय करेगा, यदि वह उनका एकतन्त्र अधिकारी बन बैठा। परन्तु उसने अपने पितामह को प्रजा के दुख से दुखी तथा सुख से सुखी देखा था। उसने उनकी शासन-प्रणाली को सराहा था। परन्तु ये बातें भी उसे उस कण्टकाकीर्ण पथ से विचलित न कर सकीं। वह अपने आचार्य के चरणों में जा पहुँचा। राजकुमार गेर्विन भी प्रजातन्त्र की सेना का एक सैनिक बन गया।

२

प्रजातन्त्र की सेना की शक्ति बढ़ती चली जा रही थी। देश-प्रेम की धधकती ज्वाला में फ़्रान्सवासी पतङ्गों की तरह निछावर हो रहे थे। एक ओर रण-बाँकुरे एक निश्चित उद्देश्य की सिद्धि के लिए प्राण दे रहे थे और दूसरी ओर पाशविक शक्ति के पञ्जे में फँसे हुए वेतन-भोगी सिपाही अपने सञ्चित बल को राजा के चरणों पर अर्पण कर रहे थे। एक का लक्ष्य प्रजा को 'राजा' बनाना था और दूसरे का राजा को एकतन्त्र स्वेच्छाचारी।

इस समय अराजकता का क्या ठिकाना था ? सहस्रों कोमलाङ्गियाँ अपनी लाज बचाने के लिए घर-बार छोड़ कर वनों तथा पर्वतों की कन्दराओं में भटकती फिरती थीं। मादाम मेनज़रले भी अपने तीन बच्चों के साथ अपने पति को मातृभूमि के हेतु रचे गए यज्ञ में आहुति चढ़ाने के बाद योंही भटकती फिर रही थीं। वह इस समय यदि सुखी नहीं थीं, तो प्रसन्नचित्त अवश्य थीं, जो उनकी चेष्टा से साफ़ झलकता था। उनके पतिदेव प्रजातन्त्र की सेना में एक उच्च अधिकारी थे और अन्त समय तक बहादुरी से लड़े थे। मेनज़रले की शान्त आकृति मादाम मेनज़रले को केवल एक मौन मन्त्र बता गई थी—बच्चों को पिता के सच्चे पुत्र बनाना, और इसका वह निरन्तर पाठ किया करती थी। मादाम मेनज़रले ने भी उन्हें सच्चा देश-सेवक बनाने में कोई कसर नहीं रक्खी थी।

३

"क्यों बे, वह नोटिस पढ़ा था ?"—फ़ान्सिस ने बुसी से पूछा।

"कौन सा ?"—बुसी ने प्रश्न किया।

"अबे, वही इनाम वाला।"

"मेनज़रले के बच्चों के पकड़ने का ?"—बुसी ने फिर पूछा।

"हाँ। इस रक़म से गहरी छनेगी और वह भी एक-दो दिन नहीं, मुद्दत तक। और इज़्ज़त मिलेगी सो अलग।"—फ़ान्सिस ने कहा।

"इसमें क्या शक है ?"

"तो बोल, राज़ी है ?"

"लेकिन यार, कहीं मारे गए तो ?"

"क्यों, एक औरत और तीन बच्चों के पकड़ने में मारा जाना कैसा ?"

"इसके धोखे में मत रहना, परन्तु ख़ैर, चलो मैं तैयार हूँ।"—बुसी ने कहा।

"ओहदे का प्रलोभन और शराब जो न कराए।"

४

दोनों बड़ी सतर्कता से पहाड़ी-जङ्गलों की ख़ाक छानते फिर रहे हैं। इतने में एकाएक चौंक कर बुसी ने कहा—फ़ान्सिस, देख वह क्या है ?

"कहाँ ?"—फ़ान्सिस ने कहा।

"अबे, अब अवश्य गहरी छनेगी। वे अवश्य ही मादाम मेनज़रले और उसके दो बच्चे हैं। मगर होने तो तीन चाहिए थे।"—बुसी ने प्रसन्न होकर कहा।

वे इतने में उस टीले की चोटी से नीचे उतर चुके थे। वहाँ से प्रायः १०० गज़ की उतराई और बाक़ी थी, जहाँ मादाम दिखाई दी थीं। इतने में एक गोली उनके पास से निकल गई और सामने से एक ८ वर्ष का तेजस्वी बालक एक ज़ख़्मी हिरन के पीछे भागता हुआ दिखाई दिया। वे दोनों छिप कर देखने लगे। बालक के पास से गुज़रने पर उन्हें पूरा यक़ीन हो गया कि वह कैप्टेन मेनज़रले का ही लड़का है और नीचे वाली घाटी में उसकी माता मादाम मेनज़रले और उनके दोनों दूसरे बच्चे हैं।

"चल बे, लाटौर चल" फ़ान्सिस ने बुसी से कहा।

"क्यों ?"—बुसी ने कहा—"तक़दीर आज़माई करो।"

"अबे, क्या मरना चाहता है ?"

"तो ओहदा क्या मुफ़्त में ही लोगे ?"

"ज़्यादा बातें मत कर। एक तो यों भिड़ना ठीक नहीं है, मुमकिन है पिट जाएँ और कहीं इन्हें ख़बर मिल गई तो यह पन्द्रह दिनों की दौड़-धूप एकदम अकारथ चली जायगी। जल्दी चल, एक दस्ता ले आएँ"—फ़ान्सिस ने घबड़ाई हुई आवाज़ में कहा।

५

"मादाम मेनज़रले, तुम्हारे बच्चे कहाँ हैं ?"—एक अजनबी ने पूछा।

"कैसे बच्चे ? तुम किसे पूछते हो ?"

"देखो, छिपाओ मत। हम ख़ूब जानते हैं कि तुम मादाम मेनज़रले हो।"—उस सिपाहियाना पोशाक से दुरुस्त मनुष्य ने कहा।

"मैं कुछ नहीं जानती।"—स्त्री ने जवाब दिया।

"माँ !"—एक चीख़ सुनाई दी।

मादाम का ध्यान उसी तरफ़ को खिंच गया। उन्होंने देखा कि कुछ सिपाही उनके बच्चों को एक गुफ़ा में से खींच रहे हैं। मादाम का हाथ फ़ौरन जेब में पहुँचा और तुरन्त ही 'ठायँ' की आवाज़ हुई।

"मादाम मेनज़रले का बड़ा बच्चा तड़प रहा था और मादाम हँस रही थीं।

यह देख कर, उस नवागन्तुक ने, जो एक फ़ौजी अफ़सर मालूम होता था, मादाम के हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया तथा दो सिपाहियों ने उनके दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए।

वे सब दौड़ कर वहाँ पहुँचे, जहाँ एक फ़ौजी दस्ता सन्नाटे के आलम में खड़ा हुआ, एक ८ वर्ष के बच्चे को तड़पता और उसके हृदय से ख़ून का फ़व्वारा निकलता देख रहा था। मादाम मेनज़रले, जिन्होंने दौड़ते में अपने को आज़ाद कर लिया था, उससे लिपटती हुई बोलीं—"बेटा, अपने पिता से प्यार कहना। मैंने तुम्हें शत्रु के हाथों से बचा दिया। पर हाय ! अब इन दोनों को क्या करूँ !" "कैप्टैन ! कैप्टैन !! मैं तुमसे दो सेकेण्ड और दो गोलियों की भिक्षा माँगती हूँ।"—मादाम ने कहा।

"क्या करोगी ?"—अफ़सर ने पूछा।

"इन दोनों को अपने बाप की रक्षा में पहुँचा दूँ।"

"ये दोनों हमारी रक्षा में अच्छी तरह रहेंगे।"

इतने में मादाम मेनज़रले अपने हाथ आज़ाद पाकर झपटीं और चाहती थीं कि दोनों बच्चों की खोपड़ियाँ लड़ा कर तोड़ दें। इतने में 'ठायँ' की आवाज़ हुई और मादाम अपने बड़े बच्चे को छाती में छिपा कर लेट गईं !

६

"तीसरा बच्चा कहाँ है ?"—मारकुइस लेण्टिङ्ग ने पूछा।

सामने खड़ा हुआ अफ़सर चुप था।

"जल्दी बोलो।"—मारकुइस ने कड़ी आवाज़ में दोबारा कहा।

"माई लॉर्ड, इस सेवक से बड़ा क़ुसूर हुआ, क्षमा !"—अफ़सर ने झुक कर कहा।

"सच बतलाओ।"—मारकुइस ने कहा।

"हुज़ूर !" अफ़सर ने गहरी साँस खींचते हुए कहा—"हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि एक माता अपने बच्चे को यों गोली का निशाना बनाएगी। हुज़ूर, मैं दङ्ग रह गया और तब समझा कि क्यों उन बच्चों को क़ैद करने के लिए इतना बड़ा इनाम रक्खा

बनाने का प्रयत्न किया। सुधारों की एक सूची बनाई गई, जिसमें राजनीतिक क़ैदियों को छोड़ने तथा भूमि को किसानों की भलाई के लिए छोटे-छोटे भागों में बाँटने आदि की योजनाएँ शामिल थीं। ड्यूमा के कुछ सदस्य क्रान्ति का आह्वान करने लगे।

परिणाम-स्वरूप दोनों ड्यूमाएँ तोड़ दी गईं और ज़ार तथा उसके मन्त्रियों ने चुनाव की एक नवीन योजना तैयार की। इस योजना के अनुसार मताधिकारियों को निम्न-लिखित वर्गों में विभाजित कर दिया गया, जैसे ज़मींदार, व्यापारी, किसान तथा मज़दूर। इन वर्गों को भिन्न-भिन्न स्थान दिए गए। सबसे अधिक सीटें ज़मींदारों को दी गईं और सबसे कम किसानों तथा मज़दूरों को। फलतः सन् १९०५ का विधान बहुत अंशों में रद्द कर दिया गया।

उपर्युक्त नवीन योजना के परिणाम-स्वरूप तृतीय ड्यूमा ने ज़ार के कथनानुसार चलना अङ्गीकार किया, चौथी ड्यूमा भी ज़ार के इशारे पर चलती थी। इन ड्यूमाओं में जनता के सच्चे प्रतिनिधि न थे। चौथी ड्यूमा के कार्य-काल में यूरोपीय महायुद्ध का श्रीगणेश हुआ। इस ड्यूमा ने ज़ार का पूरा समर्थन किया। युद्ध के प्रथम दो वर्षों में रूस की सेना अनेक स्थानों पर बुरी तरह पराजित हुई। फलतः जनता में घोर असन्तोष फैल गया। जनता को सन्तुष्ट करने के लिए ड्यूमा ने ज़ार को कुछ आवश्यकीय सुधार जारी करने की सलाह दी, पर ज़ार ने ड्यूमा की सलाह स्वीकार नहीं की। ज़ार के सैनिक तथा सिविल विभागों की अयोग्यता प्रति क्षण प्रदर्शित हो रही थी। जनता क्रोध से पागल हो रही थी। ऐसे अवसर में ज़ार ने पक्के प्रतिक्रियावादियों को अपना मन्त्री चुना। इन मन्त्रियों ने घोर दमन से काम लेना प्रारम्भ कर दिया।

इस दमन के परिणाम-स्वरूप सन् १९१७ में, रूस में एक क्रान्ति हुई। इस क्रान्ति का श्रीगणेश पेट्रोग्राड में हुआ। वहाँ की भूखी जनता सड़कों पर निकल कर भोजन माँगने लगी। जनता को तितर-बितर करने के लिए सेना को आज्ञा दी गई। परन्तु सेना ने यह आज्ञा मानने से इन्कार कर दिया और वह जनता से मिल गई, इसके बाद जनता ने सेण्ट पीटर तथा सेण्ट पॉल नाम के क़िलों को घेर लिया और वहाँ के क़ैदियों को भगा दिया। नवीन मन्त्रि-मण्डल का निर्माण करके एक अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। जनता को विधान का आश्वासन दिया गया। ज़ार को सिंहासन छोड़ना पड़ा।

जिस समय अस्थायी सरकार बनाई गई, उसी समय पेट्रोग्राड में किसानों तथा मज़दूरों के सोवियट की स्थापना की गई। अस्थायी सरकार तथा सोवियट दोनों जनता पर शासन करने लगे। दोनों की आज्ञाएँ एक-दूसरे के विपरीत होती थीं। सोवियट ने प्राचीन सैनिक डिसप्लिन का अन्त कर दिया। अन्त में कुछ समय बाद सोवियट और अस्थायी सरकार ने मिल कर एक संयुक्त सरकार स्थापित की। परन्तु यह नवीन सरकार भी देश की आर्थिक तथा सैनिक स्थिति को सुधार न सकी और दिन पर दिन हालत बिगती रही रही। इसी बीच में बोलशेविकों ने शासन को अपने हाथ में लिया और फ़ौज की सहायता से अस्थायी सरकार का अन्त कर दिया।

तत्पश्चात् सोवियटों की कॉङ्ग्रेस ने जनता के प्रतिनिधियों की एक कौन्सिल नियुक्त की। निकोलाई लेनिन इस कौन्सिल का प्रधान था। इस नवीन सरकार ने युद्ध में भाग लेने वाले तमाम राष्ट्रों से सन्धि करनी चाही। परन्तु जब अन्य राष्ट्रों ने सन्धि करने से इन्कार कर दिया, तो उसने मित्र-राष्ट्रों का साथ छोड़ कर जर्मनी से पृथक सन्धि कर ली। इसके बाद नवीन सरकार ने निजी सम्पत्तियों का अन्त कर दिया और रेलों, बैङ्कों, फ़ैक्टरियों, खानों तथा भूमि को ग़रीबों को सौंप दिया। ज़ार तथा उसका परिवार मौत के घाट उतार दिए गए। ज़ार के समर्थक क़त्ल कर दिए गए, क़ैद कर लिए गए या देश से बाहर निकाल दिए गए। प्रत्येक स्थान के उद्योग-धन्धे सोवियट कमिश्नरों (प्रतिनिधियों) के अधिकार में कर दिए। प्राचीन गिर्जाघर तोड़ दिए गए। सारांश यह कि कुछ ही महीनों में तमाम देश कम्यूनिस्ट बना दिया गया।

सन् १९१८ में सोवियटों की काङ्ग्रेस ने जिसे अब अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस कहते थे, एक विधान स्वीकार कर लिया। इस विधान को बोलशेविक नेताओं ने तैयार किया था। इस विधान को न तो जनता द्वारा चुने हुए लोगों ने बनाया था, न इस पर जनता की राय ही ली गई थी। यह विधान ही सोवियट रूस का वर्तमान विधान है। यद्यपि इसमें सन् १९१८ के पश्चात् डिग्रियों द्वारा अनेक संशोधन कर दिए गए हैं।

सन् १९१८ के विधान में सबसे पहले रूस सोवियटों का एक प्रजातन्त्र राज्य घोषित किया गया है। तत्पश्चात् मूल अधिकारों की घोषणा की गई है। ये अधिकार तमाम जनता के न होकर केवल उन लोगों के हैं, जो मज़दूरी करते हैं। इसमें निजी सम्पत्तियों के अन्त करने के कार्य का समर्थन किया गया है। मताधिकार १८ वर्ष की उम्र के या उससे बड़े रूस के तमाम नागरिकों को दिया गया है, चाहे वे मर्द हों या औरत, उनका धर्म तथा उनकी जाति चाहे जो हो तथा उनका निवास-स्थान चाहे जहाँ भी हो। पर वे सब अपना जीवन निर्वाह-मज़दूरी (Productive Labour) द्वारा ही करते हों तथा "अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को नौकर न रखते हो।" निम्न-लिखित श्रेणी के लोगों को मताधिकार प्राप्त नहीं है और न वे किसी पद पर ही रह सकते हैं—(१) वे जो लाभ के लिए दूसरों को नौकर रखते हैं (आम घरेलू नौकर इसमें शामिल नहीं हैं); (२) जो ऐसी आमदनी पर रहते हैं, जो उनकी निजी मेहनत का परिणाम नहीं है (उदाहरणार्थ ब्याज और किराया आदि) (३) व्यापारी, एजेण्ट तथा अन्य सौदागर, (४) गिरजाघर के तमाम पदाधिकारी; (५) पुराने ज़ार के शासन के किसी विभाग से कभी सम्बन्ध रखने वाले मनुष्य और (६) वे मनुष्य, जिनका दिमाग़ दुरुस्त न हो, या जिन्हें किसी भीषण अपराध में सज़ा हो चुकी हो। विधान में यह भी कहा गया है कि विदेशी लोग जो रूस में मज़दूरी करके जीविकार्जन करते हैं, वे भी वोट दे सकते हैं। यह १८ वर्ष की उम्र की क़ैद स्थानीय सोवियट द्वारा कम की जा सकती है, यदि केन्द्रीय सरकार इसे स्वीकार कर ले।

पाठक कहेंगे कि रूस में तमाम जनता को मताधिकार प्राप्त नहीं है। केवल मज़दूरी करने वाले ही वोट दे सकते हैं, अन्य श्रेणी के लोग वोट नहीं दे सकते और यह लोकतन्त्र के सिद्धान्त के विपरीत है। पर पाठकों को भूलना न चाहिए कि उपर्युक्त विधान कम्यूनिस्ट विधान है, जिसका अभिप्राय है कि शासन की बागडोर मज़दूर-श्रेणी के लोगों के हाथों में हो, न कि तमाम जनता के हाथों में। कम्यूनिस्ट स्टेट में मज़दूर श्रेणी ही शासक होती है। अन्य श्रेणियों को शासन में कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। फलतः रूस में अन्य वर्गों के पुरुषों को मताधिकार नहीं दिया गया है।

सोवियट सामाजिक प्रजातन्त्रों के सङ्घ (Union of Soviet Socialist Republics) में उच्चतम शासकीय संस्था सोवियटों की कॉङ्ग्रेस (Congress of Soviets) है। इस कॉङ्ग्रेस में शहरों तथा सूबों के डेलीगेट रहते हैं। शहरों के सोवियटों से २५,००० मज़दूरों पीछे एक डेलीगेट लिया जाता है। सूबों की सोवियटों से १,२५,००० दिहातों में रहने वालों के पीछे एक डेलीगेट लिया जाता है। कॉङ्ग्रेस की वर्ष में एक बैठक होती है। जिस समय कॉङ्ग्रेस की बैठक नहीं होती उस समय काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष कॉङ्ग्रेस एक सङ्घ केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी (Union Central Executive Committee) चुनती है। इस केन्द्रीय कार्यकारिणी कमिटी की बैठक प्रत्येक तीसरे महीने १५ दिन के लिए होती है। इस कार्यकारिणी कमिटी में लगभग ४०० सदस्य होते हैं, जो दो चैम्बरों में बैठते हैं। बड़ी सभा में सोवियट के अन्तर्गत चारों प्रजातन्त्रों के प्रतिनिधि रहते हैं। ये प्रतिनिधि आबादी के लिहाज़ से चुने जाते हैं। कार्यकारिणी कमिटी का एक सभापति होता है। यह कार्यकारिणी कमिटी स्वयम् २१ सदस्यों की एक कमिटी चुनती है, जो कार्य का सञ्चालन करती है।

शासन का कार्य एक कैबिनट द्वारा होता है, जिसे जनता के कमिसरों की सङ्घ कौन्सिल (Union Council of People's Commissars) कहते हैं। इसमें १५ सदस्य होते हैं, जो कार्यकारिणी कमिटी द्वारा चुने जाते हैं। यह कैबिनट केवल कार्यकारिणी कमिटी के प्रति उत्तरदायी न होकर, सङ्घ कॉङ्ग्रेस के प्रति भी उत्तरदायी होती है। कैबिनट का एक सदस्य सभापति होता है तथा ४ सदस्य उपसभापति होते हैं। पर सभापति को छोड़ कर शेष सब सदस्य एक-एक विभाग के प्रधान होते हैं। इस कैबिनट के तमाम क़ायदे और क़ानूनों को सङ्घ के तमाम सदस्यों को अवश्यमेव मानना और उन्हें कार्यान्वित करना पड़ता है।

विधान ने केन्द्रीय शासन को बहुत अधिकार दिए हैं। केन्द्रीय शासन के कुछ अधिकार ये हैं—वैदेशिक नीति का सञ्चालन करना, युद्ध घोषित करना और सन्धि स्थापित करना, विदेशों से ऋण लेना, वैदेशिक व्यापार का सञ्चालन करना, रेल, डाक तथा तार विभागों का सञ्चालन करना, सैनिक सङ्गठन पर अधिकार रखना और देश भर में सिक्के तथा टैक्स की एक नीति निर्धारित करना, आदि-आदि। केन्द्रीय सरकार तमाम प्रजातन्त्रों के दीवानी और फ़ौजदारी क़ानूनों के लिए तथा स्कूलों के लिए आम सिद्धान्त निश्चित करती है।

सोवियट के अन्तर्गत प्रत्येक प्रजातन्त्र में अपनी सोवियट सरकार होती है। पर चारों प्रजातन्त्रों की सोवियट सरकारें एक दूसरे से बहुत मिलती-जुलती हैं। सोवियट सरकार में सबसे नीचे शहरों में फ़ैक्टरियों तथा कारख़ानों में मज़दूरों के गुट्ट होते हैं! देहातों में किसानों के गुट्ट होते हैं। ये गुट्ट (प्रत्येक फ़ैक्टरी तथा प्रत्येक ग्राम में) स्थानीय कौन्सिल या सोवियट चुनते हैं। तत्पश्चात ये स्थानीय सोवियटें उच्चतर शासनीय संस्थाओं के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती हैं। गाँव की सोवियटें अपने प्रतिनिधि ज़िले की सोवियटों की कॉङ्ग्रेस को भेजती हैं। तमाम ज़िले अपने प्रतिनिधि अपने से बड़ी कॉङ्ग्रेस को भेजते हैं। तत्पश्चात ये तमाम कॉङ्ग्रेस अपने प्रतिनिधि उसी प्रकार अपने से बड़ी कॉङ्ग्रेस को भेजते हैं। शहरों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि उच्चतर संस्थाओं को भेजती हैं। शहरों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि सीधे अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस को भेजती हैं। अखिल रूसी कॉङ्ग्रेस में देहातों की सोवियटें अपने प्रतिनिधि सीधे नहीं भेज पातीं। उनके प्रतिनिधि सूबों की तथा कमिश्नरी की कॉङ्ग्रेसों से चुन कर आते हैं। इस प्रकार पाठक देखेंगे कि प्रतिनिधित्व आबादी पर या वोटरों की संख्या में से किसी एक पर निर्भर नहीं करता। शहर के मज़दूरों को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हैं। शहरों का प्रतिनिधित्व वोटरों की संख्या पर निर्भर करता है। पर देहातों का प्रतिनिधित्व रहने वालों की संख्या पर निर्भर करता है। (अगले अङ्क में समाप्त)

शासनतन्त्र की परिभाषा

[श्री० नरसिंहराम जी शुक्ल]

आजकल सारे संसार में 'शासनतन्त्र' के विषय में ख़ूब चर्चा चल रही है। एक से एक नवीन नाम रक्खे जा रहे हैं। जैसे—प्रजातन्त्र, गणतन्त्र, स्वायत्त शासन, नौकरशाही शासन, एकतन्त्र और साम्राज्य आदि उनमें प्रधान और विशेष प्रसिद्ध हैं। अङ्गरेज़ी भाषा में इन्हें Republic, Limited Monarchy, Constitutional Kingship, National, Dominion and Federal आदि कहते हैं। शासनतन्त्र के ये भिन्न-भिन्न रूप और नाम हैं। अब हमें देखना है कि वास्तव में शासनतन्त्र चीज़ क्या है और उसकी परिभाषा क्या है?

शासनतन्त्र की परिभाषा सब देशों में एक सी नहीं होती। संसार के भिन्न-भिन्न भू-भागों में भिन्न-भिन्न प्रकार की शासन-प्रणालियाँ अनादि काल से चली आ रही हैं। इन बहुत सी प्रणालियों में केवल दो प्रणालियों का आदर्श स्वरूप लेकर हम अपने विषय को आगे बढ़ाएँगे।

प्रथम—ग्रीस (यूनान) का शासनतन्त्र। इतिहास में यूनान का शासनतन्त्र एक आदर्श राजतन्त्र माना जाता है; क्योंकि वास्तव में ग्रीस ही पाश्चात्य देशों के भिन्न-भिन्न राज्यों तथा शासनतन्त्रों का जन्मदाता है। प्रजातन्त्रवाद का जन्म भी पहले-पहल इसी भू-भाग में हुआ था। ग्रीस के बाद रोम-साम्राज्य का शासनतन्त्र भी प्रामाणिक माना जाता है। पाश्चात्य शासनतन्त्रों के ये ही दो आधार-स्तम्भ हैं। पाश्चात्य देशों में प्लेटो प्रजातन्त्र शासन-प्रणाली का तथा अरिस्टाटल राजशास्त्र सिद्धान्तों के प्रामाणिक सूत्रकर्ता माने जाते हैं।

आधुनिक राजशास्त्र पर टीका लिखने वाले—ब्लुण्ट्सलि का कहना है कि यद्यपि अरिस्टाटल ने राजशास्त्र की व्याख्या आज से दो सहस्र वर्ष पूर्व लिखी है, तथा उस समय से और आज के समय से किसी प्रकार का मिलान नहीं किया जा सकता, तथापि राजशास्त्र का सर्वोत्तम और प्रामाणिक आधार अरिस्टाटल ही हैं।

प्लेटो का कहना है कि राजतन्त्र का आधार सङ्गठन है। वह सङ्गठन केवल मनुष्यकृत ही नहीं हुआ करता, वरन् प्रकृति के साथ-साथ चलता है और प्रकृति-विरुद्ध किया गया सङ्गठन तथा उस सङ्गठन पर स्थित राजशास्त्र या शासन-प्रणाली आदर्श नहीं कही जा सकती। ऐसी शासन-प्रणाली जनसाधारण के लिए हितकर नहीं हो सकती।

प्लेटो के मतानुसार "सर्वोत्तम शासनतन्त्र वह है, जिसकी पहुँच समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक हो। यदि किसी शासनतन्त्र में समाज के किसी अङ्ग को भी हानि पहुँचती है, तो तमाम समाज का समाज उसी तरह उस दुख का अनुभव करता है, जिस तरह शरीर के किसी अङ्ग में यदि चोट लग जाय तो सारे शरीर को कष्ट होता है।"

शासनतन्त्र के मूल में सङ्गठन का जो स्थान है, उसके विरुद्ध कार्य करने से शासनतन्त्र की नींव मज़बूत नहीं होती। यही नहीं, वरन् ऐसे असङ्गठित राज्य वाले देश वा भू-भाग में परस्पर प्रेम न होकर विघटन हो जाता है। शासनतन्त्र का यूनानी आदर्श इसी सङ्गठन पर ही रक्खा गया है।

प्लेटो के कथनानुसार राजतन्त्रता मनुष्यों के सर्वोच्च गुणों में से एक है। मनुष्य ही मनुष्य में सद्भावों, सत्प्रेम का उद्भावक है। मनुष्य शक्तियों का सञ्चय करने वाला है। जैसे मनुष्य का हृदय तरङ्गमय होता है, उसमें इच्छाएँ उत्पन्न हुआ करती हैं और उन इच्छाओं तथा तरङ्गों पर तर्कमय बुद्धि शासन करती है, उसी तरह प्लेटो के विचार से, बुद्धिमान ही शासक बन सकते हैं, बहादुर योद्धा समाज की रक्षा कर सकते हैं तथा समाज के अन्य अङ्ग, जो और कामों में लगे हैं, उनका कर्त्तव्य उपर्युक्त दो अङ्गों का आज्ञा-पालन करना होना चाहिए। राजतन्त्र को सामूहिक रूप से विचारने से यही निष्कर्ष निकलता है कि राज के प्रत्येक अङ्ग को अपना-अपना काम करना चाहिए।

अरिस्टाटल कहता है कि समाज का सङ्गठित रूप 'नगर' है तथा समाज ही राजतन्त्र का उत्पादक और पालक है। नगर-समाज को वह समाज का आदर्श मानता है।

यहाँ अब प्रश्न यह उठता है कि समाज का विकास ग्रामों में हुआ या नगरों में। अरिस्टाटल के अनुसार समाज का जन्म ग्राम में ही हुआ। परन्तु वह ग्राम-समाज को आदर्श नहीं मानता। क्योंकि ग्रामों का शासन तथा तन्त्र वृद्धों के हाथ में होता है। ग्रामों में प्रायः (पहिले) एक ही वंश के लोग रहा करते थे। अतः सम्पूर्ण कुटुम्ब पर वृद्धों ही का शासन था। परन्तु नगर-समाज का शासन स्वतन्त्र व्यक्तियों के हाथ रहता है। नगर का शासन सभी लोग करते हैं। उनमें छोटे-बड़े का विचार नहीं होता।

नगरों के आविर्भाव के सम्बन्ध में एक यूनानी लेखक का कहना है:—

"जब बहुत से ग्राम एक-दूसरे से, आपस में विशेष सम्बन्धित हो जाते हैं, भिन्न-भिन्न ग्राम विभिन्न समाजों को मिला कर एक नए समाज का जन्म देते हैं, तो वही समाज एक 'नगर' के रूप में परिणत हो जाता है। उस समय ग्राम-शासन का अन्त और नगर-शासन का आरम्भ हो जाता है। ग्राम-शासन का अन्त किसी बाहरी दबाव से नहीं; वरन् आपस में सङ्गठन की भावना उत्पन्न होने से होता है।"

वह आगे कहता है—नगर तो स्वतन्त्र व्यक्तियों के इकट्ठे होने का एक स्थान है। वहाँ ऐसे व्यक्ति इकट्ठे होते हैं, जिन्हें जीवन की तमाम आवश्यकताओं को आपस में ही पूरी करने की आदत सी रहती है। इसी 'नगर' शब्द से 'नागरिक' शब्द निकला है। राजतन्त्र में 'नागरिकता' ही प्रधान वस्तु है, जिसे प्रत्येक नागरिक पाने के लिए उत्सुक रहता है।

नगर ऐसे ही लोगों के रहने का स्थान होता है। वहाँ भिन्न-भिन्न कुटुम्ब आनन्द से जीवन व्यतीत करने के लिए बसते हैं। ऐसा करने के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि एक नगर के रहने वाले आपस में सद्भाव और सत्प्रेम से रहें। इसलिए प्रत्येक नगर में सद्भाव तथा सत्प्रेम उत्पन्न करने के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की संस्थाएँ होती हैं। सभाएँ, सोसाइटियाँ, क्लब, नाटक, खेल-कूद, चहल-पहल, यज्ञ-भोज, उत्सव-समारोह आदि हुआ करते हैं। नगर की स्थापना का यही ध्येय है। जिस नगर में ये सब बातें नहीं हैं, उसे अपूर्ण कहना चाहिए। रहने के लिए ग्राम भी अच्छा स्थान, है परन्तु नगरों की सृष्टि केवल रहने के लिए ही नहीं हुई है, वरन् इसलिए हुई है कि नगरों में किस तरह रहना चाहिए।

अरिस्टाटल ने जो कुछ नगर के सिद्धान्त पर लिखा है, उसका आधार नीतिवाद पर स्थित है। नगरों का ध्येय केवल 'रहना' नहीं, वरन् 'किस तरह रहना' है। उसके अनुसार नगर के बाहर 'राज्य' का अस्तित्व नहीं है। अतः अरिस्टाटल की बताई हुई राजतन्त्र की परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती।

यूनान के आदर्श के पश्चात् अब आप रोम के आदर्श को देखें। ग्रीस देश में शासनतन्त्र का अभिप्राय जनता को सुख से जीवन व्यतीत करने के लिए सामग्री उपस्थित करना था, परन्तु रोम में राजतन्त्र का अभिप्राय जनता से राज्य की रक्षा कराने को था। उसके अन्तर्गत वे 'न्याय' को उच्च स्थान देते थे।

दोनों देशों के शासन-तन्त्रों पर टीका करते हुए ब्लुण्ट्सलि लिखता है—

"वे (यूनानी) शासनतन्त्र को मनुष्यों के स्वभाव के अनुसार बनाते थे। उनका कहना था कि केवल राज्य के अन्तर्गत ही मनुष्य अपनी सब आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है। उनके विचार से राजतन्त्र समाज का वह आदर्शमय सङ्घ है, जिसके अन्तर्गत मनुष्य अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है।"

रोमन लोगों का पहले-पहल "Law of Morality" धर्माचार के नियमों पर था। वे धर्माचार के नियमों को सङ्कलित कर उसको सुचारु रूप देते थे। इस तरह वे शासनतन्त्र के उच्च आदर्श को सामने लाते थे। वे राजतन्त्र की सीमा बना कर उसे अधिक मज़बूत बनाने के लिए प्रयत्न करते थे। परन्तु इतना होते हुए भी उनके राजतन्त्र का प्रथम आधार किसी प्रामाणिक धर्माचार के नियम पर अवलम्बित न था। वह केवल साधारण नियमों के परस्पर संयोग से बन गया था।

रोमन लोगों के विचार 'राज्य' के सम्बन्ध में इस प्रकार थे—

"राज्य जनता का एक सङ्गठन है, जनता की सभा ही उस पर नियन्त्रण रखती है। वही कार्यकर्ता चुनती है, वही राज्य के नागरिक अधिकारों को राष्ट्र के प्रत्येक कुटुम्ब को उचित-अनुचित विचार करके देती है।"

ग्रीस तथा रोम के शासनतन्त्र सम्बन्धी विचारों की संक्षिप्त पर्यालोचना के पश्चात् अब भारत की ओर आइए। पाश्चात्य देशों के राज्यशास्त्र-वेत्ताओं तथा इतिहास के पण्डितों के विचार से भारत में 'शासनतन्त्र' का कोई नियम ऐसा नहीं था, जो उल्लेखनीय हो। वास्तव में वे ऐसा कहते समय भारत के इतिहास को भूल जाते हैं। जर्मनी में, जहाँ पर कि भारत की भाषा तथा इतिहास का विशेष अध्ययन हुआ है, वहाँ के हिडलबर्ग विश्वविद्यालय के राजनीति के प्रोफ़ेसर मि० जे० के० ब्लुण्ट्सलि महोदय कहते हैं—

"राजशास्त्र के आरम्भ का तब तक नहीं पता लगता, जब तक कि हमें ग्रीक लोगों का ज्ञान नहीं होता है। जिस तरह धर्म और सदाचार आदि में ग्रीक सारे संसार का प्रवर्तक है, उसी तरह राजशास्त्र का भी है।"

प्रोफ़ेसर सिली भी अपनी पुस्तक 'The Government of Greece' की भूमिका में इसी तरह का वक्तव्य देता है। वह कहता है—

"हमें इसका अनुभव होता है कि प्राचीन काल

के लोग राज्य का अर्थ नगर ही समझते थे। जब मैं 'प्राचीन' कहता हूँ, तो मेरा मतलब यूनानी और रोमन लोगों से होता है। इन 'प्राचीनों' की सीमा के बाहर, अर्वाचीन काल में, रोम और अथेन्स की तरह 'कारथेज' नाम का एक नगर था। यही नहीं, वरन् मेसिडोनियन राज्य, फ़ारस-साम्राज्य तथा मिश्र राज्य ऐसे भी राज्य थे।"

उपर्युक्त दोनों सज्जनों को भारत के सम्बन्ध में बहुत ही कम ज्ञान रहा होगा, अन्यथा वे ऐसी भूल कभी न करते।

भारत का अर्वाचीन इतिहास भी ग्रीस और रोम, मिश्र और फ़ान्स से कहीं अधिक प्राचीन है। सर हेनरी मेइन अपनी 'पूर्व तथा पाश्चात्य के ग्राम' (Village Community in the East and West) नामक पुस्तक में लिखते हैं—

"हम अपने मत की पुष्टि के लिए यहाँ कुछ प्रमाण उपस्थित करते हैं। उन प्रमाणों के आधार केवल पुरानी बातें और इतिहास के पन्ने ही नह ीं हैं। जिस रीति-रिवाज तथा रहन-सहन का वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं, वह केवल सृष्टि और अन्वेषण के ही आधार पर नहीं, वरन् उनके जीते-जागते उदाहरण हमारे सामने वर्तमान हैं। जब हम अपने विचारों को उदार बनाते हैं, तब यह ख़्याल करते हैं कि संसार बड़ा लम्बा-चौड़ा है, अनेकों प्रकार के मनुष्य उसमें रहते हैं, एक से एक सभ्य देश इसमें मौजूद हैं। मैं यह कह सकता हूँ कि उच्चतम सभ्यता वाले देश पृथ्व के उस गोलार्द्ध पर स्थित हैं, जिसे हम अज्ञानवश केवल East (पूर्व) कह कर अपनी अनभिज्ञता का परिचय देते हैं, तो हमें मालूम होता है कि जो कुछ ज्ञान का भण्डार हमने अभी तक सञ्चय किया है, वह बहुत अधूरा है।"

वह आगे लिखता है कि पूर्व के देश बड़े उन्नतिशाली हैं, उनकी सभ्यता अत्यन्त प्राचीन है। सभ्यता का जो विकास पूर्व के देशों में हुआ है, वह पाश्चात्य के किसी भी भू-भाग में किसी भी काल में नहीं हुआ है।

वेन्सेण्ट स्मिथ अपनी "Early History of India" में इसी सम्बन्ध में लिखते हैं—"जब कि हमें पाश्चात्य देशों की सभ्यता का अध्ययन करने के लिए खण्डहरों, टूटे-फूटे मकानों, घिसे हुए सिक्कों, सड़े हुए पत्रों और पुस्तकों की शरण में जाना पड़ता है, तो भारत की सभ्यता का अध्ययन हम उसके जीते-जागते पृष्ठों से कर सकते हैं।"

राजशास्त्र पर जितनी पुस्तकें आजकल उपलब्ध हैं अथवा अनादि काल में जो लिखी गई हैं, उनके लिखे जाने के सहस्रों वर्ष पूर्व से ही राजतन्त्र का क्रमशः विकास होने लग गया था। भारत का प्रामाणिक राजशास्त्र सम्बन्धी पुस्तक कौटिल्य का अर्थशास्त्र ईसा से तीन सौ वर्ष पूर्व का माना जाता है। परन्तु ईसा से तीन सहस्र वर्ष पूर्व भारत की सभ्यता का पूर्ण विकास हो चुका था। वह मिश्र, रोम, वैविलोनिया और यूनान के साथ व्यापार करता था।* मोहेन्दोजारो नगर की खुदाई से यह अच्छी तरह प्रमाणित हो चुका है कि आज से पाँच सहस्र वर्ष पूर्व भारत में सभ्यता का पूर्ण विकास था। फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि उस समय में किसी आदर्श राज्य की स्थापना न हुई रही होगी।

मौर्य साम्राज्य-प्रणाली पर टीका करते हुए विन्सेण्ट स्मिथ अपनी पुस्तक 'प्राचीन भारत के इतिहास' में लिखता है—

* डॉक्टर साइस लेक्चर हरवर्ट यूनिवर्सिटी सन् १८८७

"जब हम ईसा की तीन शताब्दी पूर्व में भारत में मौर्य साम्राज्य जैसा सुव्यवस्थित राज्य पाते हैं, जिसकी ऐसी व्यवस्था आज बीसवीं शताब्दी की सभ्यता के युग में भी नहीं दिखाई देती तो भारतीयों के अतुलित ज्ञान-भण्डार पर आश्चर्य होता है।

उस समय भारत में अनेक प्रकार की शासन-प्रणाली प्रचलित थी। अजातशत्रु, जो फ़ारस के राजा दारा का समकालीन था, मगध का एकतन्त्र शासक था।

डॉक्टर राधाकुमुद मुकर्जी ने "प्राचीन भारत में प्रजात्मक शासन" नामक पुस्तक में मेगस्थनीज़ का एक कथन उद्धृत किया है, जिसमें उसने पाँच ऐसे राष्ट्रों का नाम बताया है, जोकि गणतन्त्र के नाम से पुकारे जाते थे। जहाँ कोई एकतन्त्र शासक न था। सिकन्दर महान के साथ आए हुए एक इतिहास-लेखक का कहना है कि मुझे कुछ जातियाँ ऐसी मिलीं जो स्वयं शासक का काम करती थीं। उनके देश में कोई राजा न था। स्वयं सिकन्दर को ऐसी कई एक जातियों से लड़ना पड़ा था। एरियन भारत के न्यासा नामक एक नगर-राज्य का उल्लेख करता है। वह लिखता है कि जब न्यासा का सभापति पकड़ कर सिकन्दर के सामने आया, तो सिकन्दर ने उससे कहा कि यदि तुम अपने नगर से सौ चुने हुए आदमियों को हमारे यहाँ भेज दो, तो मैं तुम्हें मुक्त कर

दूँ। सभापति ने कहा कि 'ऐ सिकन्दर, जिस नगर के सौ चुने हुए मनुष्य नगर छोड़ देंगे, उस नगर का शासन कौन करेगा?

चाणक्य का अर्थ-शास्त्र ही एक पूर्ण राजतन्त्र की व्याख्या है, जो मौर्य शासन-काल में लिखी गई थी।

जिस तरह पाश्चात्य देशों का राजतन्त्र नगरों से आरम्भ हुआ, उसी तरह भारत के राजतन्त्र का आधार हमारे ये छोटे-छोटे ग्राम थे। महाराज मनु, कौटिल्य, वृहस्पति, शुक्राचार्य आदि राजनीति के विद्वानों ने राजतन्त्र का आदर्श ग्राम ही माना है। यहाँ तक कि वे एक सुसम्पन्न गृहस्थ परिवार को भी उसका आदर्श मानते हैं।

कौटिल्य लिखते हैं—ऐसे १०० आदर्श सुसम्पन्न गृहस्थ परिवारों के इकट्ठा होने से ग्राम बनता है। ग्राम में ५०० से अधिक शूद्र वर्ण के खेतिहर नहीं होने चाहिए। ग्राम का क्षेत्रफल एक या दो कोस से अधिक न हो। गाँव की सीमा नदियों, पर्वतों या जङ्गलों द्वारा अलग-अलग हो तो अच्छा है। यदि नहीं तो मनुष्य-कृत सीमा बना लेनी चाहिए। मनुष्य-कृत सीमा बाँध, बाग़, तालाब और कुआँ अथवा पत्थर आदि लगा कर बनाई जा सकती है।

ग्राम-व्यवस्था पर वे आगे लिखते हैं—"प्रत्येक दस गाँव का एक मण्डल होना चाहिए। प्रत्येक २००,४०० या ८०० गाँव के बीच में एक सुरक्षित क़िला होना चाहिए। जो ग्राम राज्य की सीमा पर पड़े, उनकी पूरी मोर्चाबन्दी की जानी चाहिए।" महाराज मनु उक्त क़िले में फ़ौज के सम्बन्ध में लिखते हैं—"सेना का सञ्चालन एक विश्वासपात्र मनुष्य के हाथ में होना चाहिए, ताकि वह गाँवों के लोगों के जान-माल का संरक्षक बनाया जा सके। हर एक गाँव का एक शासक हो। हर दस, बीस, सौ तथा सहस्र ऐसे शासकों पर एक-एक प्रधान शासक नियुक्त किया जाए।*

शुक्र-नीति में हर एक के अधिकारों को और भी स्पष्ट कर दिया गया है। राज्य अथवा राष्ट्र को साम्राज्य माना गया है। उस साम्राज्य के सप्त अङ्ग बताए गए हैं।† ग्रामण, पूरण, देशन, ग्राम, नगर, मण्डल और ज़िला—ये सात विभाग हैं। ग्राम का विभाग १०;१००; १०००;१०,००० के हिसाब से शासन को सुलभ बनाने के लिए करना चाहिए।

शुक्र-नीति में अङ्गरेज़ी के स्टेट (State) शब्द के लिए 'राष्ट्राण' शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्राण को साम्राज्य और राज्य भी कहा गया है। चल-अचल सभी चीज़ें राज्य की सम्पत्ति मानी गई हैं। शासन के दस सुत्र माने गए हैं। यथा—

(१) राजा, (२) कर्मचारी, (३) व्यवस्थापिका सभा के सदस्य, (४) स्मृति, (५) शास्त्र, (६) मुनीम, (७) लेखक, (८) स्वर्ण, (९) जल और (१०) जनता।

न्यायालय की परिभाषा बताते हुए महर्षि शुक्राचार्य लिखते हैं—"न्यायालय वह स्थान है, जहाँ मनुष्य की आर्थिक, राजनैतिक, मानसिक तथा सामाजिक स्थिति का अध्ययन होता हो। यही नहीं, वरन् उनका अध्ययन धर्मशास्त्रों के अनुसार हो।" राजतन्त्र की परिभाषा महर्षि शुक्राचार्य इस तरह लिखते हैं—

"राज सात विभागों की सङ्गठित एक संस्था है। उस संस्था का एक शासक होता है। उन विभागों के नाम हैं—

(१) शासक, (२) सभा (Council), (३) ग्राम, (४) नगर, (५) ज़िला, (६) राज्य-नियम और (७) जनता के रीति-रिवाज।

ग्रीक, रोम और भारत की राज्य-व्यवस्था के भिन्न-भिन्न आधार हैं। उनकी भिन्न-भिन्न सभ्यताएँ हैं। उन्हीं सभ्यताओं पर उनके राजतन्त्रों का आधार अवलम्बित है। परन्तु यहाँ एक बात लिख देना आवश्यक है कि जब यूरोप के ग्रीस और रोम में एक-एक प्रकार के शासन की व्यवस्था थी, उस समय भारत में अनेक प्रकार की व्यवस्थाएँ थीं। भारतवर्ष के प्राचीन इतिहास के अध्ययन करने से निम्न-लिखित प्रकार के राजतन्त्रों का पता चलता है:—

(१) गृहस्थ-राजतन्त्र (कौटुम्बिक शासन), (२) ग्राम शासन, (३) कई एक ग्रामों का शासन, (४) नगर-राज्य, (५) प्रजासत्तात्मक राज्य, (६) साम्राज्य (७) राज्य और (८) एकतन्त्र शासन।

भारत में हर एक प्रकार के राजतन्त्रों और शासनों का उल्लेख मिलता है, परन्तु राष्ट्रीय शासनतन्त्र का कोई उल्लेख नहीं मिलता। राष्ट्रीयता को बाँधने वाली कोई शासन-प्रणाली यहाँ प्रकट नहीं हुई। भिन्न-भिन्न समाज-भाग को एकता के सूत्र में बाँधने के लिए यद्यपि धार्मिक , परन्तु ऐसा कोई राजतन्त्र न था, जो सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय राजतन्त्र का रूप धारण कर, भिन्न-भिन्न जातियों को एकता के सूत्र में पिरोता।

* अध्याय ७, पद ११४-११५

† अध्याय १, पद १२१

❀ ❀ ❀

गुरु नानकदेव और उनका मतवाद

[मुन्शी नन्नजादिकलाल जी श्रीवास्तव]

गत २६ नवम्बर को भक्त-प्रवर गुरु नानकदेव की जयन्ती थी। इसलिए इस अवसर पर हम भी गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदन करने के साथ ही उनका और उनके मिशन का संक्षिप्त परिचय 'भविष्य' के पाठकों को प्रदान करना चाहते हैं। गुरु नानक जी संसार के उन थोड़े से महापुरुषों में हैं, जिन्होंने भवभ्रान्ति में भटकते हुए मानवों के हृदयों में एकेश्वरवाद और ईश्वर-भक्ति का प्रदीप जला कर उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखाया था। गुरु नानक के आविर्भाव के पूर्व पञ्जाब की भूमि अज्ञान के घोर अन्धकार में पड़ी हुई थी। वहाँ के मुसलमान शासक धर्म के नाम पर उन पर नाना प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। हिन्दू ईश्वर को भूल कर गङ्गा और मदार की आराधना में लगे थे। ईश्वर का स्थान देवी-देवताओं तथा भूत-प्रेतों ने ले लिया था। पञ्जाब की वीरभूमि, जो अपनी वीरता के लिए सारे संसार में विख्यात थी, पराधीन और पददलित हो रही थी। गुरु ने अपनी शान्तिमय विमल वाणी द्वारा पञ्जाबियों को 'सत्-श्रीअकाल' का परिचय कराया। अपने मधुर, परन्तु अकाट्य तर्कों द्वारा हिन्दुओं तथा मुसलमानों के धार्मिक ढकोसलों की निस्सारता प्रतिपादित की। साथ ही एकता और साम्य का प्रचार किया। ईश्वर-भक्ति के साथ ही उन्होंने जन-समाज में पारस्परिक प्रेम और सहानुभूति का प्रचार किया और एक ऐसे मिशन की नींव दे गए, जिसने आगे चल कर हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म की रक्षा का श्रेय प्राप्त किया। गुरु नानक हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल प्रचारक थे। और इसका प्रभाव लोगों पर इतना पड़ा कि मुसलमान उन्हें मुसलमान समझने लगे। अपने मतवाद का प्रचार उन्होंने केवल पञ्जाब ही नहीं, वरन् मध्य एशिया और मक्का-मदीना तक किया था। क़ुरान की शिक्षा और महम्मद साहब के उपदेशों को भूल कर, संसार के समस्त इस्लामेतर मनुष्यों को 'काफ़िर' समझ कर उन पर नाना प्रकार के अत्याचार करने वाले मुसलमानों को 'काफ़िर' शब्द का अर्थ समझाया। साथ ही शतधाविच्छिन्न हिन्दू-जाति में एकता और राष्ट्रीयता का भी प्रचार किया।

गुरु नानक का आविर्भाव ईस्वी सन् १४६८, पठान सम्राट बहलोल लोदी के ज़माने में हुआ था। आपके पिता मेहता कुल्लूचन्द लाहौर के निवर्ती तिलवन्दी (जिसे आजकल नानकाना साहब कहते हैं) नाम के अधिवासी क्षत्रिय या खत्री थे।

भारत के प्रायः सभी महापुरुषों के जन्म-विवरण में किसी न किसी अलौकिक घटना का समावेश अवश्य पाया जाता है। कहते हैं, मेहता कुल्लू के कोई सन्तान न थी, इसलिए वे बहुत दुखी रहते थे। इतने में एक दिन एक फ़क़ीर उनके घर आया। वह भूखा था। मेहता स्वयं भी साधारण स्थिति के गृहस्थ थे। इसलिए फल-मूल जो कुछ घर में मौजूद था, उन्होंने बड़ी श्रद्धा-भक्ति के साथ अतिथि के सामने रक्खा और उसके भोजन कर लेने पर अपने मनोकष्ट की कथा भी उसे सुनाया। साधु ने उसी फल-मूल का कुछ बचा हुआ अंश कुल्लू जी को देकर कहा, इसे अपनी स्त्री को खिला दो। ईश्वर की इच्छा और कृपा से तुम्हें एक अद्वितीय पुत्र पैदा होगा। तुम्हारे पुत्र का जीवन बड़ा ही पवित्र और उज्ज्वल होगा। उसकी कीर्ति संसार में अमर होगी और उसके द्वारा तुम्हें विपुल सुयश प्राप्त होगा।

कहते हैं, साधु के आशीर्वचन के अनुसार कुल्लू जी की स्त्री ने यथासमय, अपने मायके, मारी नामक ग्राम में एक पुत्र प्रसव किया।

सन्तान न होने के कारण कुल्लू प्रायः विरक्त से रहते थे। गृहस्थाश्रम में उनका मन नहीं लगता था। परन्तु नानक के जन्म के बाद वे फिर तिलवन्दी लौट आए और व्यवसाय-वाणिज्य द्वारा जीविका निर्वाह करने लगे। कुछ दिनों के बाद एक कन्या भी पैदा हुई, जिसका नाम उन्होंने नानकी रक्खा।

चार वर्ष की अवस्था में नानक जी एक शिक्षक के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गए। संयोगवश उनके गुरु जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। वे अपने शिष्यों को अपने सिद्धान्त और विश्वास के सम्बन्ध में बहुधा उपदेश भी दिया करते थे। एक दिन बालक नानक ने गुरु जी के पास जाकर पूछा—"क्या इस बात का प्रमाण दे सकते हैं कि ईश्वर है?" एक चार वर्ष के अबोध शिशु के मुँह से यह प्रश्न सुन कर शिक्षक महोदय चकित रह गए। अन्त में उन्हें मालूम हुआ कि नानक का जन्म एक साधु के आशीर्वाद से हुआ है और नानक का यह ज्ञान भी उसी का फल है।

नानक को साधुओं के प्रति श्रद्धा थी। वे किसी महात्मा को देख पाते थे, तो अवश्य ही उसकी सेवा में लग जाते और उसके साथ कुछ काल तक सत्सङ्ग किया करते। एक दिन पिता ने उन्हें कुछ रुपए देकर नमक ख़रीद लाने का आदेश दिया। उन्हें आशा थी कि नमक के व्यवसाय द्वारा विशेष अर्थोपार्जन हो सकेगा। रास्ते में नानक ने देखा कि साधुओं की एक जमात चली जा रही है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम हुआ कि तीन रोज़ से इन लोगों को कुछ भोजन नहीं मिला है। उनकी इच्छा इन महात्माओं से कुछ उपदेश ग्रहण करने की थी। परन्तु तीन रोज़ के भूखे मनुष्यों से कुछ उपदेश प्राप्त करने की आशा ही क्या हो सकती है? नानक के पिता ने उन्हें नमक ख़रीदने के लिए जो रुपए दिए थे, उन्हें उन्होंने साधुओं की सेवा और उन्हें भोजन कराने में ख़र्च कर दिया। परन्तु जब पिता ने यह हाल सुना तो बहुत नाराज़ हुए। नानक जी ने पिता को समझाने की चेष्टा करते हुए कहा—"साधु-सेवा द्वारा जो कुछ मैंने अर्जन किया है, वह और किसी व्यवसाय द्वारा अर्जन नहीं हो सकता।"

सांसारिक कामों में पुत्र की अनास्था देख कर कुल्लू जी को बड़ी चिन्ता हुई। परन्तु वे किसी तरह भी उसे समझा नहीं सके। नानक सांसारिक भोग-विलास और ऐश्वर्य को अत्यन्त तुच्छ समझते थे। पिता ने सोचा कि अगर किसी कार्य का सम्पूर्ण दायित्व पुत्र के मत्थे डाल दिया जाय, तो शायद वह कुछ सुधर जाए। यह सोच कर उन्होंने सुलतानपुर नामक ग्राम में एक दूकान खोल कर उसका सारा भार नानक जी को सौंप दिया। परन्तु इसका भी कोई फल नहीं हुआ। नानक की उदासीनता और साधु-सेवा सम्बन्धी प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। यह देख कर पिता ने उनकी शादी कर दी। परन्तु इसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। विवाह हो जाने पर नानक जी ने साधु-सेवा से मुँह न मोड़ा। परन्तु अन्त में जब उन्हें मालूम हो गया कि सांसारिक बन्धन उत्तरोत्तर दृढ़ होता जाता है, तो उन्होंने एक दिन घर-बार ही छोड़ दिया और संन्यासी की तरह जीवन व्यतीत करने लगे।

यहीं से नानक जी की संसार-लीला का अवसान हुआ। इस समय इनकी अवस्था बहुत थोड़ी थी। परन्तु अपनी ग्यारह साल की उमर में ही उन्होंने साधुओं के साथ धर्मचर्चा और तर्क-वितर्क में अपनी प्रखर प्रतिभा का पूर्ण परिचय प्रदान किया था। संन्यासी जीवन के आरम्भ करते ही इस प्रतिभा का और भी विकास हो गया। इस समय कितने ही जिज्ञासुओं ने आपका शिष्यत्व ग्रहण किया। जिसमें मर्दाना नाम के एक मुसलमान युवक का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इसके सिवा बुद्ध और लोना नाम के दो शिष्य भी कम विख्यात नहीं हैं। आपके ये तीनों शिष्य भी विचित्र प्रतिभाशाली थे। इसके बाद ही गुरु अर्जुनदेव और हरगोविन्द ने भी गुरु नानक का शिष्यत्व स्वीकार किया।

इन शिष्यों के सहयोग और सहायता से गुरु ने अपने पवित्र और उदार मतवाद का प्रचार आरम्भ किया। मर्दाना साहब सङ्गीत विद्या के अच्छे मर्मज्ञ थे और इनका कण्ठ-स्वर भी अत्यन्त मधुर था। इनके भजनों द्वारा गुरु को प्रचार-कार्य में विशेष सहायता मिली।

गुरु नानक देव द्वारा प्रवर्तित मतवाद में सङ्कीर्णता या कट्टरता को कोई स्थान न था। आपके विचारानुसार मनुष्य मात्र को ईश्वर-भक्ति का अधिकार होना चाहिए। जिस समय गुरुदेव ने अपना कार्य आरम्भ किया, उस समय पञ्जाब में जाति-विचार और ऊँच-नीच का भेदभाव प्रबल रूप से प्रचलित था। निम्न श्रेणी वाले एक प्रकार से समाज द्वारा परित्यक्त और निर्वासित कर दिए गए थे। इन्हें बड़ी दुरव्यवस्था में जीवन बिताना पड़ता था। इन पददलितों की कोई सुनने वाला न था। उदार-हृदय गुरु ने सबसे पहले उन्हें हृदय से लगाया और अपने सम्प्रदाय में उन्हें सर्व-प्रथम स्थान प्रदान किया। उन्हें जाति-विचार के ढकोसले से कोई सम्बन्ध न था। इसलिए उन्होंने नीच और अछूत कहे जाने वाली जातियों में ही अपने मत का प्रचार आरम्भ किया। इसलिए बहुत शीघ्र आपके शिष्यों की संख्या भी काफ़ी बढ़ गई। इसके सिवा आपने मुसलमानों के प्रचार-कार्य और उनकी कट्टरता पर भी ख़ूब नज़र रक्खी थी। उस समय भारत में पठानों का राजत्व था। वे बल-पूर्वक हिन्दुओं को मुसलमान बनाया करते थे। इसलिए गुरु ने अपने उपदेशों और वाणियों द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के धार्मिक मतभेदों को दूर करके उनमें एकत्व और समानता के भावों का प्रचार करने की बड़ी काफ़ी चेष्टा की और सफल भी हुए। सगुण ईश्वरवाद का प्रचार आपके मतवाद का प्रधान अङ्ग था। आपने अपनी शिष्य-मण्डली को एक ईश्वर की उपासना करने का उपदेश प्रदान किया। आपके मतानुसार ईश्वर या 'अकालपुरुष' सर्वज्ञ सर्वव्यापी और सर्व-शक्तिमान है। मानव-हृदय की गम्भीरतम अनुभूति की भी उसे जानकारी होती है। वह मन और वाणी से अगोचर, अविनश्वर, नित्य और मुक्त है। मनुष्य का सारा ऐश्वर्य उसका दान मात्र है। विश्व-ब्रह्माण्ड का ध्वंस हो जाएगा, परन्तु उसका ध्वंस नहीं होगा। संसार का

प्रत्येक परमाणु जगदीश्वर के अस्तित्व का प्रमाण प्रदान करता है। वह सर्वत्र मौजूद है। उसके यहाँ ऊँच-नीच और छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं है। वह समदर्शी है। इस सिद्धान्त के अनुसार गुरु नानक संसार के प्राणि-मात्र में उसी अकाल पुरुष या अविनाशी परमेश्वर के अस्तित्व का अनुभव करते थे। उनके मतानुसार उसे पाने के लिए—उसके चरणों तक पहुँचने के लिए मनुष्य को निष्पाप और सत् होना चाहिए। उन्हें पुनर्जन्म पर विश्वास था। उनके मतानुसार साधु या सत्पुरुष ही मुक्ति के अधिकारी हो सकते हैं। जिन्हें भगवान के नाम पर आस्था नहीं, अथच वे सत् और निष्पाप हैं, तो भी उन्हें पुनर्जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। जिनका जीवन पापमय होगा, उन्हें मरने पर नीच योनि प्राप्त होगी। उनके किसी-किसी उपदेश-वाक्य से यह भी पता लगता है कि ईश्वर ने नरक या स्वर्ग में जाने का भार मनुष्यों को ही सौंप रक्खा है। मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार इन दोनों में से किसी एक का निर्वाचन कर सकता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य अपने अच्छे और बुरे कर्मों द्वारा ही स्वर्ग अथवा नरक का अधिकारी होता है।

गुरु नानक अपना अधिकांश समय भगवद्भजन और ईश-आराधना में ही अतिवाहित किया करते थे। उनके शिष्यों का विश्वास था कि उन्हें ईश्वर का दर्शन प्राप्त हो चुका है। उनके ग्रन्थों में लिखा है कि एक बार गुरु ने एक विचित्र प्रकार की आकाश-वाणी सुनी। मानो "वाह गुरुजी" "वाह गुरुजी" की तुमुल ध्वनि से सारा नभ-मण्डल गूँज उठा। गुरु को मालूम हुआ कि यह अद्भुत स्वर उन्हें बार-बार आह्वान कर रहा है। गुरु जब उस स्वर के पास पहुँचे, तो उन्हें सुनाई पड़ा कि "हे नानक, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, कलियुग में तुम मेरे नाम और मेरी महिमा का प्रचार करो।" गुरु ने उत्तर में कहा—"प्रभु! मैं एक तुच्छ और अल्पज्ञ मानव हूँ। मुझमें इतनी शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी महिमा का बखान कर सकूँ!" यह सुन कर अलौकिक शक्ति ने कहा—"चिन्ता नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ।"

इसके बाद से ही गुरु नानक ने अपूर्व उत्साह के साथ अपने मतवाद का प्रचार आरम्भ किया। उन्होंने आर्यावर्त तथा सिन्ध के अनेक स्थानों में भ्रमण किया था। इसके सिवा पश्चिम में मक्का और मदीना तक गए थे। परस्पर-विच्छिन्न आर्य जाति को मिलाने के लिए उनका मतवाद एक 'मिलन-मन्त्र' स्वरूप था।

आपकी अपूर्व वाणी और महिमा की उपलब्धि आपके सभी शिष्यों ने की थी। इसलिए उनकी संख्या भी उत्तरोत्तर बढ़ती गई। गुरु के सम्प्रदाय में गो-हत्या निषिद्ध थी, वह स्वयं भी बड़े गो-भक्त थे और गौओं की बड़ी भक्ति किया करते थे और अपने शिष्यों को भी गो-रक्षा के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया करते थे। वह अपने को महम्मद का परवर्ती अवतार मानते थे और उनकी भक्ति भी करते थे। परन्तु मुसलमानों के विधर्मी-विद्वेष और गो-हत्या आदि गन्दे कामों का कभी समर्थन नहीं करते थे।

गुरु नानक की सारी ज़िन्दगी प्रचार-कार्य में ही अतिवाहित हुई थी। आप बहुधा एक बट वृक्ष की शीतल छाया में बैठ कर साधुओं तथा अपने शिष्यों के साथ सत्सङ्ग किया करते थे। आपका अध्यात्म-चक्षु खुल गया था। आपमें अनुभूतिजात उच्छ्वास और आवेग जैसा था, उन्हें प्रकाश करने के लिए वैसी ही मधुर भाषा भी थी। इसीसे लोगों पर आपके उपदेशों का प्रभाव भी ख़ूब पड़ता था। उपासना करने के आपने कितने ही भक्तिरस-पूर्ण भजनों की रचना कर ली थी और प्रत्यह शिष्यों को लेकर उनकी आवृत्ति किया करते थे।

हम पहले लिख चुके हैं कि अपने मतवाद का प्रचार करने के लिए उन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों के सिवा मध्य एशिया के कई देशों का भी भ्रमण किया था। इस सम्बन्ध में एक सुन्दर आख्यायिका प्रचलित है। कहते हैं, अरब और ईरान आदि देशों से वापस आने पर आपने कुछ दिनों के लिए फ़क़ीराना बाना परित्याग कर दिया था। परन्तु प्रचार-कार्य और उपदेश नहीं परित्याग किया। यह देख कर कुछ हिन्दू-योगी उन पर सख़्त नाराज़ हुए और अपने योगबल द्वारा सिंह, बाघ, भालू, सर्प तथा अन्य हिंसक जन्तुओं के रूप में उनके पास आकर उन्हें भयभीत करने लगे। एक महापुरुष तो इतने बिगड़ उठे कि अपने योगबल से चारों ओर भीषण आग लगा दी और आकाश से तारे तोड़-तोड़ कर एक खण्ड प्रलय की सी सृष्टि कर डाली। परन्तु गुरु नानक पर इन करामातों का ज़रा भी प्रभाव न पड़ा और न वे इससे विचलित ही हुए। अन्त में हार कर योगियों ने उनसे किसी अलौकिक शक्ति के प्रदर्शन का अनुरोध किया। परन्तु गुरु ने उन्हें बताया, मुझमें कोई अलौकिक शक्ति नहीं है। मैं तो एक सामान्य साधु-मात्र हूँ और सत्य का प्रचार ही मेरे जीवन का उद्देश्य है।

इस आख्यायिका का तात्पर्य यह है कि गुरु को अपनी साधुता या योगबल का कोई घमण्ड न था। परन्तु सिक्खों के धर्म-ग्रन्थों में गुरु नानक जी के जीवन के साथ बहुत सी अलौकिक घटनाओं का सन्निवेश है।

गुरु नानक ने अपने मतवाद के प्रचार के लिए कई ग्रन्थों की रचना की थी, जिनके सम्पूर्ण संग्रह का नाम 'गुरु-ग्रन्थसाहब' है। सिक्ख बड़ी श्रद्धा और भक्ति से ग्रन्थ साहब की पूजा करते हैं। आपके प्रथम ग्रन्थ का नाम 'प्राणसाङ्कुली' है। इसकी रचना सिक्खों को सत्पथ पर लाने के अभिप्राय से की गई है। इसमें कतिपय नियमों का उल्लेख किया गया है। यह गुरु के पूर्व जीवन-काल की रचना है और गुरु-ग्रन्थसाहब में इसका सर्व-प्रथम स्थान है। इस ग्रन्थ के रचना-कार्य में गुरु नानक को एक राजा से बड़ी सहायता मिली थी। यह राजा उन्हें अपने राज्य का कुछ अंश भी प्रदान करना चाहता था, परन्तु गुरु ने उसे ग्रहण नहीं किया। उन्होंने कहा—"मैं तो संसार-त्यागी फ़क़ीर हूँ, मुझे राज्य और धन की कोई आवश्यकता नहीं।" यह राजा आपकी साधुता पर मुग्ध होकर आपका शिष्य भी हो गया था।

इसके बाद गुरु नानक ने अपने विख्यात ग्रन्थ की रचना की। उस समय आपका सम्प्रदाय बहुत विस्तृत हो गया था। फलतः उन्हें एक ऐसे ग्रन्थ की रचना करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे उनके शिष्यों को जीवन-यापन की प्रणाली का ज्ञान प्राप्त हो। इस ग्रन्थ में इसी सम्बन्ध की बातें हैं। इस पुस्तक में नानकदेव द्वारा प्रचारित मतवाद का सम्पूर्ण तथ्य निहित है। सिक्ख-धर्मावलम्बी इस ग्रन्थ को बड़ी श्रद्धा से देखते हैं। परन्तु आगे चल कर यह ग्रन्थ दो भागों में विभक्त हो गया। इसके प्रथम भाग का नाम 'आदि ग्रन्थ' पड़ा और इसमें और भी कई गुरुओं की रचनाएँ शामिल कर ली गईं। ग्रन्थसाहब के द्वितीय भाग की रचना इस सम्प्रदाय के दसवें 'बादशाह' गुरु गोविन्द जी ने की थी। इस भाग को 'दशम् बादशाह का ग्रन्थ' भी कहते हैं।

नानकदेव द्वारा प्रचारित सिक्ख-धर्म प्रतिहिंसा के बदले करुणा और मैत्री पर ही प्रतिष्ठित था। उन्होंने अपने शिष्यों को वैराग्य और त्याग का ही उपदेश प्रदान किया था। सांसारिक झमेलों से अलग रह कर शान्त और पवित्र जीवन व्यतीत करना ही गुरु के मतवाद का उद्देश्य था। परन्तु कालचक्र के फेर में पड़ कर सिक्खों को तलवार धारण करने की आवश्यकता पड़ गई। गुरु के आदि ग्रन्थ के उपदेशों को भूल जाने के लिए बाध्य होना पड़ा। इस परिवर्तन का कारण अन्यान्य धर्मावलम्बियों की सङ्कीर्णता और धार्मिक द्वेष था।

गुरु नानक ने अपने जीवन का अन्तिम भाग रावी नदी के तट पर व्यतीत किया था। यहीं वे अपने कतिपय शिष्यों और परिवार-वर्ग के साथ रहते थे। आपके दो पुत्र थे। एक का नाम लक्ष्मीदास और दूसरे का श्रीचन्द था। लक्ष्मीदास ने विवाह किया था और उनके वंशधर आज भी मौजूद हैं। परन्तु श्रीचन्द साधु थे और इन्होंने उदासी सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा की थी।

परन्तु कुछ लोगों का कथन है कि गुरु नानकदेव के कोई पुत्र आदि न था, बल्कि उपर्युक्त लक्ष्मीदास और श्रीचन्द उनके सगे चाचा के पौत्र थे। वास्तव में यही बात सच्ची भी मालूम होती है; क्योंकि नानक ने विवाह के बाद ही संसार छोड़ दिया था। अस्तु।

गुरु ने ७१ वर्ष तक 'सत्श्री अकाल' की महिमा का प्रचार करके ईस्वी सन् १५३९ में रावी के तट पर प्राण विसर्जन किया था। यह स्थान आजकल कोर्तिपुर के नाम से विख्यात है। यहीं गुरु की समाधि है।

*　*　*

रजत-रज

[सङ्कलयिता श्री० धनञ्जय भट्ट, 'सरल']

चन्द्रदेव प्रकृति को देख-देख कर मुस्कुरा रहे थे। प्रकृति, चन्द्रदेव का हँसना देख; उनके प्रति क्रोध प्रकट कर रही थी।

युवती कलिका अपनी जननी का उपहास न देख सकी; वह चट से खिल उठी और चन्द्रदेव को चिढ़ाने लगी।

❋

प्रभात की ज्योति पुष्प से पूछती है, क्या मेरा चुम्बन करने में तुम्हें लज्जा आती है?

❋

सूरजमुखी का फूल, एक अज्ञात फूल के साथ अपनी सजातीयता स्वीकार करने में लज्जित हुआ।

जब सूर्य उदय हुआ तो सूर्य ने मुस्कराते हुए उससे पूछा—मेरे बालक, तुम अच्छे तो हो?

❋

यह जीवन समुद्र-यात्रा के सदृश है, जिसमें हम लोग एक ही सङ्कीर्ण नौका में मिलते हैं।

मृत्यु तट पर पहुँचने की भाँति है, जहाँ से हम लोग अपने-अपने लोक को चले जाते हैं।

❋

यदि किसी को केवल शरीर में मिट्टी और भस्म मलने से ही मोक्ष मिल जाता हो तो धूल में लोटने वाले देहाती कुत्तों को तो सबसे पहले मुक्त हुए समझना होगा।

❋

पृथ्वी इतनी क्षमाशील है, कि उसे कुदाली से खोदो और वह खेती की उपज से हँस पड़ेगी।

❋

सुगन्धित पुष्प की शोभा डाली पर है, न कि माली के हाथों में।

❋　❋　❋

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

रायबरेली के अभागे किसानों का आर्तनाद

सूर्यकुण्ड (रायबरेली) नामक गाँव के किसान, जिन्होंने लगान न देने का निश्चय कर लिया है।

रायबरेली ज़िले की एक दुःखिनी महिला, जो अपने ज़मींदार को रो-रो कर अपनी कष्ट-कहानी सुना रही है।

अब सूबे भर के किसानों को और उनके नेताओं को सोच लेना है कि उनका क्या कर्तव्य है। उनके सामने दो तसवीरें हैं। एक में किसान कोड़े खा रहा है, जूते से पिट रहा है, ठोकरों से रुधिर उसके शरीर से बह रहा है, उसके घर लुट रहे हैं, उसके बच्चे सिसक रहे हैं, उसके घर की स्त्रियाँ बेइज़्ज़त हो रही हैं और आह मार रही हैं और वह स्वयं यह सब देखता हुआ अधिकारियों और ज़मींदारों के पैर चूम रहा है। दूसरी तसवीर में किसानों का सामूहिक सङ्घ है और वे मिल कर निहत्थे नम्रता, किन्तु दृढ़ता के साथ अपने घर की और अपने स्त्री और बच्चों की रक्षा के लिए गाँवों में मरदानगी के साथ खड़े हैं, पुलिस वाले, ज़मींदार और तहसीलदार उनसे लगान माँग रहे हैं और उनको बन्दूक़ों और भालों का डर दिखा रहे हैं, किन्तु ये दृढ़ता से लगान और मालगुज़ारी न देने पर डटे हैं और खुला हुआ जवाब दे रहे हैं कि जब तक हमारे साथ न्याय न होगा, हम लगान न देंगे। इस तसवीर में किसानों पर गोलियों और भालों की बौछार भी दिखाई पड़ती है, उनकी लाशें भी फड़कती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं। कॉङ्ग्रेस के नेता भी इस तसवीर में जेलख़ानों में घुसते और पुलिस की मार और गोलियों का शिकार होते किसानों के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, किन्तु दूर—इस तसवीर के आकाश में—ईश्वर की एक तेजोमय ज्योति नाच रही है।

इन दोनों तसवीरों में आप कौन चुनते हैं, यह आपके हाथ में है। मेरा हृदय तो दूसरी तसवीर खींच रहा है।

—पुरुषोत्तमदास टण्डन

रायबरेली की महिलाएँ, जो बाल-बच्चों सहित एक राजनैतिक सभा में भाग ले रही हैं।

रायबरेली में किसानों की महती सभा—'भविष्य' के इस चित्र में पाठक सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय कार्यकर्त्ता श्री० मेहरअली को व्याख्यान देते हुए देखेंगे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

☞ बूँदी के वर्तमान शासक हिज़ हाइनेस रायबहादुर ईसरी-सिंह जी।

☞ बूँदी के विद्वान पुरोहित—स्व० श्री० रामनाथ जी कुदाल, जिनको, कहा जाता है, पुलिस के सिपाहियों ने ९वीं जुलाई, १९३१ को सहस्रों नगरनिवासियों के सामने लाठी और लातों से मार डाला !

हाल ही में अमरावती (सी० पी०) में होने वाली नौजवान भारत सभा के प्रमुख कार्यकर्ताओं का ग्रूप—'भविष्य' के इस विशेष चित्र में पाठक बम्बई के प्रमुख राष्ट्रीय कार्यकर्ता श्री० मेहर अली (प्रधान) को बीच में बैठे देखेंगे।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

अपने सारे जीवन की सञ्चित धरोहर सहित सूर्यकुण्ड (रायबरेली) का एक अभागा किसान—जिसके नेतृत्व में करबन्दी का आन्दोलन हो रहा है।

श्रीमती काशीदेवी पाञ्चाल। आप रतलाम राष्ट्रीय सङ्घ के मन्त्री पण्डित उदयलाल जी पाञ्चाल की धर्मपत्नी हैं। आप मालवा की पहली वीरबाला हैं, जिन्होंने परदे की प्रथा को ठुकराया है। गत 'भगतसिंह-दिवस' पर जुलूस निकालने के अपराध में, कहा जाता है, आप पर कोड़ों की मार पड़ी थी, परन्तु तो भी आपने क्षमा-याचना नहीं की। आप अछूतोद्धार सम्बन्धी कार्यों में विशेष भाग लेती हैं।

भारत के अतिरिक्त, सीलोन (लङ्का) तथा अफ्रीका आदि प्रवासित भारतवासियों ने कितने उत्साह और समारोह से गाँधी-जयन्ती मनाई थी, इस सम्बन्ध के कई महत्वपूर्ण चित्र पाठक गत सप्ताहों में देख चुके हैं। 'भविष्य' के इस विशेष-चित्र में पाठक रङ्गून (बर्मा) के सच्चिदानन्द सभा के सदस्यों को गाँधी-जयन्ती के अवसर पर उपस्थित देखेंगे। बीच में फूलों से लदा हुआ महात्मा गाँधी का एक सुन्दर चित्र सुशोभित है।

'भविष्य' की साप्ताहिक चित्रावली का एक पृष्ठ

राय साहब गोपालदास, एम० एल० सी० (पञ्जाब)—आप पहले पञ्जाबी हैं जिन्होंने अपने लिए एक हवाई जहाज़ मँगाया है। यह चित्र उस समय का है, जब कि आप कराची में उसकी 'डिलेवरी' ले रहे हैं।

सेठ जगजीवनदास और उनकी सद्य-प्रणीता—इमरती बाई—सेठ जी जबलपुर के निवासी हैं और हाल में ही आपने वहीं के बनिता-आश्रम की अनाथा विधवा श्रीमती इमरती बाई से विवाह किया है। इस विवाह में नगर के बहुत से प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे।

श्री० पन्नालाल जी खेडिया—आप नागपुर के स्वयं-सेवक कोर के कप्तान और एक उत्साही कार्यकर्ता हैं। दस मास की सज़ा काटने के बाद, फिर दो साल के लिए जेल भेजे गए हैं।

श्रीमती के० साठेम्मा, जिन्हें पालाकोल (मद्रास) की जनता ने म्युनिसिपेलिटी की मेम्बरी के लिए नामज़द किया है। आप देशोन्नति सम्बन्धी कामों में विशेष रूप से भाग लिया करती हैं।

'भविष्य' के इस चित्र में पाठक रेल द्वारा बिना टिकट ही एक उद्दण्ड यात्री को सफ़र करते देखेंगे, जिसके भाई-बान्धवों ने रेलवे कम्पनी के नाक में दम कर रक्खा है। इस मँहगी के ज़माने में ऐसा तङ्ग करना हद्द दर्जे की नीचता है!

कुँवर मोहनवीरसिंह (दाहिनी ओर) ला० रतनलाल जी। आप दोनों ही सज्जन चन्दौसी, ज़िला मुरादाबाद के राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं और क्रमशः ६ तथा १५ मास के लिए जेल जा चुके हैं। कुँवर जी ने देश के लिए अपना जीवन ही अर्पण कर दिया है।

आँसुओं के साथ-साथ अब दिल से आता है लहू, आग पानी में लगाई है तो देखो सैर भी।
इस तरफ़ आए उधर दुनिया से रुख़सत हो गए, ऐसी जल्दी में मिला हमको न लुत्फ़े सैर भी।

हर आह नीमकश[1] है जिगर[2] में भरी हुई,
डूबी हुई लहू में, असर में भरी हुई।
आता है हौल दश्ते नवरदाने[3] इश्क़ को,
हैं वह तबाहियाँ मेरे घर में भरी हुई।
जो बेक़रारियाँ कि मेरे दिल में थीं निहाँ[4],
वह सब हैं तेरे शोख़ नज़र में भरी हुई।
नज़्ज़ारए[5] जमाल[6] से तेरे भड़क उठी,
वह आग थी जो क़ल्बो-जिगर[7] में भरी हुई।
देखा जो आँख भर के क़दहख़्वार[8] छक गए,
क्या कैफ़ियत थी तेरी नज़र में भरी हुई,
सैद-अफ़गनी[9] के ज़ौक़[10] में रहती है जो निगाह,
निकली है आज ख़ूने जिगर में भरी हुई।
शोरीदगी[11] के ज़ौक़ से फ़ारिग़[12] नहीं हिनोज़[13],
छींटें लहू की हैं मेरे सर में भरी हुई।
जिसके हर एक क़तरे में नासूर है निहाँ,
वह जूए[14] ख़ूँ है दीदए तर[15] में भरी हुई।
ख़िलक़त[16] के साथ वह भी मेरे साथ-साथ है,
दीवानगी है मेरे असर में भरी हुई।
सोचे न यह बुतों से मुहब्बत है ऐ "अज़ीज़",
रखनी थी एक आह असर में भरी हुई।

—"अज़ीज़" लखनवी

उलफ़त तुम्हारी मेरे जिगर में भरी हुई,
तस्वीर दर्द की है असर में भरी हुई।
छानूँगा ख़ाक दश्ते अबद[17] तक इसी तरह,
दीवानगी अज़ल[18] से है सर में भरी हुई।
ज़ालिम के दिल में चुभ गई वह तीर की तरह,
निकली जो मुँह से आह असर में भरी हुई।
दम भर में मेरे ख़िरमने[19] दिल को जला दिया,
बिजली थी उनकी शोख़ नज़र में भरी हुई।
दब जाय जोशे अश्क[20] यह कारे मुहाल[21] है,
नद्दी है मेरे दीदए तर में भरी हुई।
क़ातिल पे क्यों न गिरती वह बिजली सी कौंद कर,
"बिस्मिल" की आह थी जो असर में भरी हुई।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

मज़्ज़रे जज़बात[22] है ख़लवत[23] सराए दैर[24] भी,
काबा वालो फ़र्ज़ है तुम पर वहाँ की सैर भी।
आँसुओं के साथ-साथ अब दिल से आता है लहू,
आग पानी में लगाई है तो देखो सैर भी।

१—आधी खिंची हुई, २—कलेजा, ३—जङ्गल में फिरने वाले, ४—छिपा हुआ, ५—देखना, ६—सुन्दरता, ७—दिल, ८—शराब पीने वाले, ९—शिकार करना, १०—मज़ा, ११—दीवानगी, १२—फ़ुरसत, १३—अब तक, १४—नदी, १५—आँखें भीगी हुई, १६—संसार, १७—अन्त, १८—आदि, १९—खलिहान, २०—आँसू, २१—कठिन, २२—भावपूर्ण, २३—एकान्त, २४—मन्दिर,

ज़ेहन में आया न फ़र्क़े इम्तियाज़ी[25] आज तक,
मुद्दतों देखा है हमने काबा भी और दैर भी।
बज़्म[26] में उसको हया तक है यह हस्ती मुश्तबह,[27]
पर्दा उठ जाए तो फिर होगा न कोई ग़ैर भी।
मर गया है जिसके दीवारों पर कुछ लिख कर 'अज़ीज़'
कीजिए एक रोज़ उस ख़लवतकदे[28] की सैर भी।

—"अज़ीज़" लखनवी

'वह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर लड़ी है।'

[नाख़ुदाए सख़ुन हज़रत "नूह" नारवी]

क्यों आपको ख़िलवत[1] में लड़ाई की पड़ी है,
मिलने की घड़ी है, कि यह लड़ने की घड़ी है।
क्या चश्मे इनायत[2] का तेरी मुझको भरोसा,
लड़-लड़ के मिली है, कभी मिल-मिल के लड़ी है।
यह दिन भी किसी तरह, क़यामत से नहीं कम,
एक-एक बरस हिज्र[3] की एक-एक घड़ी है।
जाते हैं मेरे घर से वह अब ग़ैर के घर में,
आफ़त का है यह वक़्त, क़यामत की घड़ी है।
क्या जानिए क्या हाल हमारा हो शबे हिज्र,
अल्लाह अभी चार पहर रात पड़ी है!
यह मिलने के आसार, लगावट की हैं बातें,
वह आँख लड़ी क्या, मेरी तक़दीर लड़ी है।
हँसना वह तुम्हारा है, कि बिजली का चमकना,
रोना यह हमारा है, कि सावन की झड़ी है।
तलवार लिए वह नहीं मक़तल[4] में खड़े हैं,
इस वक़्त मेरे आगे मेरी मौत खड़ी है।
चलते हुए बालीं[5] से वह मुझको यह सुना कर,
कमबख़्त के मरने में अभी देर बड़ी है।
हरजाई है तुझसे भी तेरी आँख ज़्यादा,
लाखों से यह अटकी है, हज़ारों से लड़ी है।
जीने नहीं देते हैं, वह मरने नहीं देते।
ऐ "नूह" मेरी जान कशाकश[6] में पड़ी है।

१—अकेले, २—कृपादृष्टि, ३—विरह, ४—बलिवेदी, ५—सिरहाना, ६—खींचातानी।

❀ ❀ ❀

मज़हरे[29] नूरे जमाले एज़दी[30] है दैर भी,
आओ ऐ अहले हरम[31] कर लो यहाँ की सैर भी।
तूर पर मूसा ख़ुदा की ज़ात वाहिद[32] के सिवा,
यह बताओ तुम, नज़र आया था कोई ग़ैर भी।

२५—तमीज़, २६—सभा, २७—सुबह, २८—एकान्त, २९—प्रगट, ३०—ईश्वर की ज्योति, ३१—काबा वाले, ३२—एक ईश्वर,

इस तरफ़ आए उधर दुनिया से रुख़सत हो गए,
ऐसी जल्दी में मिला हमको न लुत्फ़े सैर भी।
इसमें उसमें एक जलवा, इसमें उसमें एक नूर,
जिसका घर काबा है, बस है घर उसीका दैर भी।
चाँदनी में देखते हैं वह लबे जू[33] आईना,
अपने मतलब की पसन्द आती है उनको सैर भी।
दोनों बातों का हुआ, 'बिस्मिल' को आकर तजरुबा,
कूचए महबूब[34] में कुछ शर[35] भी, है कुछ ख़ैर भी।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

किस तरह दिल को गवारा हो यह तलख़ी[36] क़हर[37] है,
साग़रे हस्ती[38] में मेरी ज़िन्दगानी ज़हर है।
सैकड़ों जलवे नज़र आए मगर बेएतबार,
है यह बिजली का ख़ज़ाना या तिलस्मे दहर[39] है।
उठके चमकी, और चमक कर होगई पानी में जज़्ब[40],
कुलज़मे[41] हस्ती में मेरी ज़िन्दगी एक लहर है।
देख कर गोरे[42] ग़रीबाँ दम मेरा रुकने लगा,
रहने वाले इसके कैसे हैं, यह कैसा शहर है।

—"अज़ीज़" लखनवी

जो तहोबाला[43] करे आलम को यह वह लहर है,
इन्क़िलाबे[44] दिल भी गोया इन्क़िलाबे दहर[45] है।
साँस भी लेनी क़यामत है, ग़ज़ब है, क़हर है,
हम न समझे थे कि जामे[46] ज़िन्दगी में ज़हर है।
चार दिन की ज़िन्दगी में इस क़दर किबरो[47] ग़ुरूर,
कोई देखे दीदनी कैसा तिलस्मे दहर है।
आज मर्गो[48] ज़ीस्त[49] का मतलब समझ में आ गया,
यह निगाहे लुत्फ़,[50] वह तेरी निगाहे क़हर है।
वक़्ते आख़िर कह रही है, मेरे माथे की शिकन,
जो करे बहरे फ़ना[51] में ग़र्क़ यह वह लहर है।
जामे हस्ती को न समझो साग़रे आबे हयात,[52]
मेरी नज़रों में तो क़तरा-क़तरा इसका ज़हर है।
दिल निगाहे मस्त की गर्दिश से चक्कर में फँसा,
और तुम कहते हो यह भी इन्क़िलाबे दहर है।
ध्यान अब आता नहीं इनको 'इलाहाबाद' का,
हज़रते "बिस्मिल" से पूछो क्या 'बनारस' शहर है।

—"बिस्मिल" इलाहाबादी

३३—नदी किनारे, ३४—माशूक़ की गली, ३५—फ़िसाद, ३६—कड़वापन, ३७—ग़ज़ब, ३८—ज़िन्दगी का प्याला, ३९—संसार का जादू, ४०—मिल जाना, ४१—समुद्र, ४२—क़ब्रिस्तान, ४३—उलट-पलट, ४४—क्रान्ति, ४५—संसार, ४६—प्याला, ४७—घमण्ड, ४८—मौत, ४९—ज़िन्दगी, ५०—कृपा, ५१—मौत का समुद्र, ५२—अमृत।

❀ ❀ ❀

दो दर्जन दाद की दवा और सब सामान ३॥) में

"दाद की अक्सीर दवा"—कैसा ही पुराना दाद क्यों न हो, सिर्फ़ १२ घण्टे में जड़ से आराम हो जाता है। अगर आराम न हो तो पूरा दाम वापस, २४ डिब्बी का दाम ३॥) रु०, साथ ही बेश क़ीमती सामान मुफ़्त, जो कि आज तक कहीं पाया न होगा और न सुना होगा, दो अदद सुन्दर "डमी रिस्टवाच", एक रेलवे टाइम 'डमी पाकिट वाच' एक मशहूर बरमा टाइमपीस गारण्टी १० साल, एक रूमाल, चश्मा, पिस्तौल, सेन्ट, फाउन्टेन पेन, शेरबीन, (बायसकोप), पाकिट चरख़ा, महात्मा गाँधी का फ़ोटो, एक जोड़ा बढ़िया जूता—ऑर्डर में पैर का नाप ज़रूर लिखें। पै० पो० अलग।

पता :—शरमा ब्रदर्स एण्ड को०
पो० ब० ६७६५, सेक्सन ७१, कलकत्ता।

मेरी लकड़ी छूट गई

नवाब मीर महमूद अली ख़ाँ उमर ७० साल हैदराबाद दक्षिण फ़रमाते हैं कि मैं बेहद कमज़ोर हो गया था, लकड़ी के सहारे चलता था। बहुत सी इश्तिहारी दवायें इस्तेमाल किया कोई फ़ायदा नहीं, आख़िर मैंने (मनोहर पिल्स चन्द्रप्रभा) एक शीशी इस्तेमाल किया कि जिसने मुझे पूरा ताक़तवर बना दिया और मेरा लकड़ी पकड़ना छूट गया, क़ीमत ५) छोटी शीशी २॥)

महासिव साहब ख़ुफ़िया पुलिस

मुहम्मद करीमुल्ला हैदराबाद दक्षिण व मीर क़ुरसिह अली इन्स्पेक्टर सी०आई०डी० परभनी तहरीर फ़रमाते हैं कि हम बवासीर से बेहद परेशान थे, लेकिन वै० भू० पं० मनोहरलाल की दवा (अर्श कुठार) ने २४ घन्टे में मेरी तकलीफ़ दूर कर दी और मुझे कामिल सेहत है क़ीमत ५) छोटी शीशी २॥)

आयुर्वैदिक मेडिकल हाल चौक मैदान ख़ाँ
हैदराबाद दक्षिण

दिवाली के उपलक्ष में केवल १ सप्ताह तक
लागत मात्र पर

मनचाही पुस्तकें तिहाई मूल्य में

हिन्दी इङ्गलिश टीचर—पृष्ठ १४४ मू० १), सच्ची करामात—पृष्ठ १५४ मू० १), विश्वव्यापार भण्डार—पृष्ठ ११२ मू० १), साबुनसाज़ी—पृष्ठ ६२ मू० १), बङ्गाल का जादू (सच्चा जादूगर) १), हारमोनियम दर्पण (४ भाग) मू० १), असली चौदह विद्या पृष्ठ २०८ मू० १॥), ८४ आसनों वाला कोकशास्त्र मू० १), परलोक (गुप्त) विद्या मूल्य ॥), वशीकरण मन्त्र—(पुस्तक) मू० ॥), इन्द्रजाल बड़ा—पृष्ठ ६०० मू० ३), टेलीग्राफ़ टीचर—तार लेना-देना ॥), वशीकरण यन्त्र—मू० ॥), सचित्र मेस्मिरेज़्म विद्या मू० १)

उपरोक्त जगतप्रसिद्ध पुस्तकों में से कोई सी ४॥) की केवल १॥) में, डाक-ख़र्च ।≡) एक लेने पर आधा मूल्य।

पता—हिन्दुस्तानी बुकडिपो, नं० ६, अलीगढ़

रजिस्टर्ड (नवजीवन विहार) स्वादिष्ट

शक्तिशाली, प्रमेह-प्रदर नाशक, रक्त-वीर्य रज-वर्धक एवं शोधक पौष्टिक है। थोड़े समय में विशाल शक्ति देता है। २ पौण्ड के डिब्बे का मूल्य ३।) रु०, आधा पौण्ड १) रु०, डाक-ख़र्च ॥=)

पता—श्रीजगदीश औषधालय,
डालीगञ्ज, लखनऊ,

पागलपन की दवा

डॉ० डब्लू० सी० रॉय, एल० एम० एस० की

(५० वर्ष से स्थापित)

मूर्च्छा, मृगी, अनिद्रा, न्यूरस्थेनिया के लिए भी मुफ़ीद है। इस दवा के विषय में विश्व-कवि रवीन्द्रनाथ कहते हैं कि—"मैं डॉ० डब्लू० सी० रॉय की स्पेसिफ़िक फ़ॉर इन्सेनिटी (पागलपन की दवा) से तथा उसके गुणों से बहुत दिनों से परिचित हूँ।" स्वर्गीय जस्टिस सर रमेशचन्द्र मित्र की राय है—"इस दवा से आरोग्य होने वाले दो आदमियों को मैं ख़ुद जानता हूँ।" दवा का दाम ५) प्रति शीशी।

पता—एस० सी० रॉय एण्ड कं०
१६७।३ कार्नवालिस स्ट्रीट,
या (३६ धर्मतल्ला स्ट्रीट) कलकत्ता
तार का पता—"Dauphin" कलकत्ता

इस प्रतिष्ठित फ़र्म से हम पूर्णतया परिचित हैं और हमारा विश्वास है कि यहाँ से माल मँगाने वालों को कभी शिकायत करने का मौक़ा न मिलेगा।

—स० "भविष्य"

ग्रामोफ़ोन, फ़ोटो का सामान, गृह-सिनेमा, घरेलू जर्मन औषधियाँ, परफ़्यूमरी इत्यादि के थोक तथा खुदरा विक्रेता—

बी० सराफ़ एण्ड कम्पनी

नं १५ चितरञ्जन एवेन्यु साउथ, कलकत्ता

सूचीपत्रों के लिए लिखें

असल रुद्राक्ष माला

-) आना का टिकट भेज कर १० दाना नमूना तथा रुद्राक्ष-माहात्म्य मुफ़्त मँगा देखिए।

रामदास एण्ड को०
३ चोरबागान स्ट्रीट, कलकत्ता

[डॉक्टर धनीराम प्रेम]

ब्रिटेन की धर्म-संस्थाएँ

'भविष्य' की पिछली संख्या में मैंने पाठकों को अङ्गरेज़ों के धर्म तथा धर्म-संस्थाओं के विषय में कुछ बताने को कहा था। प्रस्तुत लेख में उन्हीं विषयों पर कुछ शब्द लिखे जायँगे।

हमारी धारणा ईसाई-धर्म के विषय में अधिकतर यह होती है कि जिस प्रकार हिन्दू-धर्मान्तर्गत अनेक मत-मतान्तर हैं, अनेक शाखाएँ हैं, वेदान्त के अनेक सिद्धान्त हैं तथा अनेक प्रकार की धर्म-संस्थाएँ हैं, उस प्रकार ईसाई-धर्म में इस प्रकार के कोई मत-मतान्तर, शाखाएँ आदि नहीं। परन्तु हमारी यह धारणा ग़लत है। इसी धारणा के कारण, जब हम ईसाइयों के गिर्जों के साथ मैथोडिस्ट, ईपिस्कोपल, प्रैसबिटीरियन आदि नामों को देखते हैं, तो हमारी समझ में उनका कुछ भी अर्थ नहीं आता। यही नहीं, हमें इन नामों को सुन कर आश्चर्य होता है कि ईसाई-धर्म वाले तो संसार में कहते फिरते हैं कि ईसाई-धर्म एक है, उसमें अनैक्य को तनिक भी स्थान नहीं, आदि, परन्तु फिर उसमें इन नामों के होने का क्या कारण! वास्तव में इनमें से प्रत्येक नाम कुछ न कुछ अर्थ रखता है। और इन्हीं अर्थों को समझाने को यह पंक्तियाँ लिखी हैं।

यह तो अब सभी जानते हैं कि ईसाई-धर्म का प्रचार तथा प्रसार किस प्रकार हुआ था। जब ईसाई-धर्म का प्रचार हुआ था तो इसका केन्द्र इटली की राजधानी रोम था। जिस प्रकार हिन्दू-सनातन-धर्म में उसका सञ्चालन एकतन्त्रवादी गुरुओं तथा पुजारियों द्वारा होता था, उसी प्रकार ईसाई चर्च का सञ्चालन भी पुजारियों (Bishops) द्वारा होता था। ये सब पुजारी रोम के ग्राण्ड पोप के अधीन रहते थे। ग्राण्ड पोप, एक प्रकार से, ईसाई-धर्म तथा ईसाई धर्मावलम्बियों का एकछत्र सम्राट था। उसी को पुजारियों को पदारूढ़ कराने अथवा पद से हटाने का अधिकार था। धर्म के सम्बन्ध में किसी राजा अथवा प्रजा के किसी प्रतिनिधि को कुछ भी कहने का अधिकार नहीं था। पोप की व्यवस्था ही सर्वोपरि थी। इच्छा से या अनिच्छा से, राजाओं को पोप की आज्ञा के सामने सिर झुकाना ही पड़ता था।

जिस प्रकार एकतन्त्र शासन राजनीति में विषम फल लाता है, उसी प्रकार धर्म के शासन में भी। अतः फल-स्वरूप चर्च की दशा बड़ी शोचनीय होने लगी। परन्तु उस समय सारे ईसाई राज्यों—फ्रान्स, इङ्गलैण्ड, इटली, जर्मनी आदि—में पोप की अन्ध-पूजा होती थी, फिर कौन उसके विरुद्ध खड़ा होता? परन्तु अन्त में एक वीर आया। वह था जर्मनी का प्रातःस्मरणीय वीर मार्टिन लूथर। लूथर ने पोप के विरुद्ध विद्रोह प्रारम्भ कर दिया और धीरे-धीरे सारा जर्मनी उसके साथ हो गया। जर्मन-चर्च से पोप का अधिकार उठा दिया गया तथा नए चर्च का नाम प्रोटेस्टेण्ट चर्च (Protestant Church) रक्खा। इस प्रकार चर्च दो भागों में बँट गया—(१) रोमन कैथोलिक (Roman Catholic), जो पोप के साथ थे तथा हमारे यहाँ के सनातनधर्मियों की भाँति थे, (२) प्रोटेस्टेण्ट, जो आर्यसमाज की भाँति सुधारक थे।

इङ्गलैण्ड वाले लूथर के सिद्धान्तों के क़ायल न थे, परन्तु बादशाह हेनरी अष्टम के राज्य में एक ऐसी घटना हुई, जिससे इङ्गलैण्ड को भी पोप का विरोध करना पड़ा। हेनरी अष्टम अपनी रानी को तलाक़ देने के लिए पोप की आज्ञा चाहता था (क्योंकि रोमन कैथोलिक तलाक़ को अच्छा नहीं समझते थे), परन्तु पोप ने स्वीकृति नहीं दी। अतः बादशाह ने क्रौमवेल के परामर्श से पोप से सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया। यह घटना सन् १५३० ईसवी की है। हेनरी पोप का विद्रोही नहीं होना चाहता था, परन्तु विवश होकर उसे ऐसा करना पड़ा। हेनरी ने इङ्गलैण्ड में नया चर्च स्थापित किया, जिसका नाम उसने प्रोटेस्टेण्ट चर्च रक्खा। वह जर्मनी की भाँति इससे आगे नहीं जाना चाहता था, अतः उसने चर्च का शासन पादरियों (Bishops) द्वारा ही जारी रक्खा। स्वयं हेनरी चर्च का प्रमुख बना। पादरियों द्वारा शासन होने के कारण इस चर्च का नाम 'ईपिस्कोपल प्रोटेस्टेण्ट चर्च ऑफ़ इङ्गलैण्ड' पड़ा। अब इङ्गलैण्ड का सम्राट इसका प्रमुख होता है।

प्रारम्भ में इङ्गलैण्ड में रोमन कैथोलिक मतावलम्बियों तथा सुधारक-दल वालों में बड़े युद्ध होते रहे, परन्तु धीरे-धीरे रोमन कैथोलिकों की संख्या कम होती गई, क्योंकि राज्य का धर्म ही प्रोटेस्टेण्ट था। प्रारम्भ में रोमन कैथोलिकों पर भीषण अत्याचार किए गए थे। उनको राज्य में कोई पद न मिलता था। उनके बच्चों को ऑक्सफ़ोर्ड तथा केम्ब्रिज के विश्वविद्यालयों में स्थान नहीं मिलता था। वे एक प्रकार से अछूत समझे जाते थे। उन रोमाञ्चकारी भीषण अत्याचारों का वीभत्समय वर्णन करके हम पाठकों के हृदयों को आघात नहीं पहुँचाना चाहते। इतना ही कहना अलम् होगा कि आजकल हमारे यहाँ जो हिन्दू-मुस्लिम झगड़े होते हैं, वे उनके सामने कुछ भी नहीं हैं। आज इङ्गलैण्ड वाले उन झगड़ों और अत्याचारों की बात को भूल गए हैं, तभी तो वे भारतीय स्वराज्य के मार्ग में हिन्दू-मुस्लिम झगड़ों को एक बड़ी बाधा समझते हैं।

आयर्लैण्ड यद्यपि इङ्गलैण्ड के ही शासन में आ गया था, परन्तु वहाँ वालों ने नए धर्म को नहीं अपनाया, वे अपने नेता O'Connol के साथ अन्त तक लड़े और फलतः आज वहाँ रोमन कैथोलिक सिद्धान्तों का ही प्रचार है।

स्कॉटलैण्ड वाले प्रारम्भ में तो प्रोटेस्टेण्टों के अत्यन्त विरुद्ध थे, परन्तु पीछे से वे उनसे भी एक क़दम बढ़ गए। कॉलविन नाम के एक व्यक्ति ने यह बताया कि जो बुराइयाँ रोमन कैथोलिक मत में थीं, वे ही प्रोटेस्टेण्ट मत में भी थीं। दोनों ही एकतन्त्रवादी थे और प्रजा की सम्मतियों की अवहेलना करते थे। कॉलविन धर्म में तथा धर्म के शासन में भी प्रजातन्त्रवाद का प्रचार करना चाहता था। वह चर्च को Democratic lines पर चलाना चाहता था। उसके सिद्धान्तों के अनुसार चर्च का प्रमुख बादशाह को नहीं होना चाहिए था। उसीके सिद्धान्तों को अन्त में स्कॉटलैण्ड के निवासियों ने अपनाया और अपने स्वतन्त्र चर्च की स्थापना की। इस चर्च का शासन प्रजा द्वारा निर्वाचित एक सभा (Assembly) द्वारा होता था। नगरों और ज़िलों के गिर्जों के प्रबन्ध के लिए भी निर्वाचित की हुई सभाएँ होती थीं, जिन्हें प्रैसबिटेरी (Presbytery) कहा जाता था। इसी कारण स्कॉटलैण्ड के चर्च का नाम Presbyterian Church of Scotland (प्रैसबिटीरियन चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड) रक्खा गया। स्कॉटलैण्ड के गिर्जों के पुजारियों (Ministers) को भी ये प्रैसबिटेरी ही निर्वाचित करती थीं। इस प्रकार पाठकों को विदित हो जायगा कि अन्य चर्चों की अपेक्षा स्कॉटलैण्ड का चर्च अधिक स्वतन्त्रता-प्रेमी है।

इङ्गलैण्ड के चर्च में समय पाकर फिर परिवर्तन हुए। कुछ दिनों बाद सुधारकों का एक दल और खड़ा हो गया। ये लोग अपने को 'प्यूरीटन' (Puritans) कहते थे, क्योंकि इनका उद्देश्य चर्च की बुराइयाँ दूर करना था। जिन बातों से इन्हें विरोध था, वे संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

१—प्रार्थना के समय झुकना।
२—क्रॉस तथा मूर्तियों की पूजा।
३—ईसा के नाम पर सर झुकाना।
४—प्रार्थना-ढङ्ग आदि।

इन बेचारों को भी वे ही अत्याचार सहन करने पड़े, जो रोमन कैथोलिकों को। इनकी बड़ी भारी संख्या अमेरिका में जाकर बस गई। जो रह गए, उन्हें पीछे से धार्मिक स्वतन्त्रता प्रदान कर दी गई।

कुछ दिनों पश्चात् एक और नए सुधारक दल की उत्पत्ति हुई। इसका संस्थापक वैज़ले (Vasley) नाम का एक व्यक्ति था। इस दल की यह आपत्ति थी—"प्रार्थना के लिए एक नियत की हुई पुस्तक की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना का सम्बन्ध हृदय से है, अतः हृदय से निकली हुई प्रार्थना ही सच्ची प्रार्थना है।" इसके अतिरिक्त यह दल क़ायदा-क़ानून में भी कुछ सुधार चाहता था, अतः इसका नाम 'मैथोडिस्ट' (Methodist) चर्च पड़ गया। इनके अपने अनेक गिर्जे हैं, जहाँ ये अपने ढङ्ग से प्रार्थना करते हैं।

हम स्कॉटलैण्ड के चर्च के विषय में कुछ लिख आए हैं। वह चर्च था तो स्वतन्त्र, परन्तु था राज्य के अधीन। कभी-कभी राज्य द्वारा ऐसी बातें जारी की जाती थीं, जो प्रजा के लिए हानिकर होती थीं। राज्य चर्च की एसेम्बली के विरोध की भी परवाह नहीं करता था। इन सब बातों से ऊब कर ३६० पुजारियों ने मिल कर Free Church of Scotland नाम का चर्च अलग स्थापित किया। कुछ ऐसे भी गिर्जे थे, जिनका सम्बन्ध न तो राजकीय चर्च से था और न स्वतन्त्र चर्च से। इन गिर्जों ने भी मिल कर एक चर्च स्थापित किया, जिसका नाम उन्होंने रक्खा 'यूनाइटेड चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड' (United Church of Scotland)। कुछ दिनों बाद यूनाइटेड तथा फ़्री चर्च एक हो गए और इनके सम्मिलन से जो चर्च बना, उसका नाम रक्खा गया यूनाइटेड फ़्री चर्च ऑफ़ स्कॉटलैण्ड (United Free Church of Scotland)। लगभग दो वर्ष हुए, बड़े परिश्रम तथा उद्योग से सारे गिर्जों के पुजारियों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों की लम्बी कॉन्फ़्रेन्स के बाद स्कॉटलैण्ड के सब चर्च मिल कर एक हो गए और अब स्कॉटलैण्ड का जो स्थापित चर्च है, उसका नाम है United Free Established Church.

यह तो रहा चर्च का इतिहास। वास्तव में गिर्जों के प्रति अधिक लोगों को कोई भी श्रद्धा नहीं है। रविवार के दिन गिर्जों में चले जाना, लोक-दिखावे के लिए,

बस इससे अधिक कुछ नहीं। अब तो चर्च में ऐसे अनेकों व्यक्ति हैं, जो चर्च में विश्वास ही नहीं करते। वे इन बातों को ढोंग समझते हैं। इनका मत है कि गिर्जों की प्रार्थना के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। ईसा को परमेश्वर का मध्यस्थ नहीं मानना चाहिए, न पादरियों को धर्म का ठेकेदार। ये गिर्जों में कभी नहीं जाते, न पादरी को कभी Confession (जीवन-कथा) सुनाते हैं। वे पादरियों को स्वर्ग से उतरे हुए अल्लाह मियाँ के दलाल नहीं मानते, बल्कि अपने जैसा ही मनुष्य। यह विचार धीरे-धीरे बहुत बढ़ रहा है।

जिस प्रकार भारत में ईसाई मिशनरी इधर-उधर खड़े होकर धर्म-कथा सुनाते हैं, उसी प्रकार लन्दन के पार्कों में वहाँ के मिशनरी व्याख्यान देते हैं। मैं प्रति रविवार को लन्दन के पैकहम पार्क के सामने एक व्याख्याता को नियमपूर्वक व्याख्यान देते हुए पाता था, परन्तु किसी दिन भी उसके सामने कोई श्रोता मैंने नहीं देखा। वह एक स्टूल पर खड़ा होकर व्याख्यान दिया करता था, परन्तु उस व्याख्यान को या तो वह या उसका स्टूल ही सुना करता था। हाँ, हाइड पार्क में इन व्याख्याताओं के सामने कुछ श्रोता अवश्य पाए जाते थे। परन्तु वे श्रद्धा के भाव से वहाँ नहीं आते थे। वे आते थे केवल प्रश्न कर-करके इन व्याख्याताओं को तङ्ग करने के लिए। यही हाल मुक्ति फ़ौज (Salvation Army) के प्रचारकों का होता था।

यहाँ दो शब्द भारत के मिशनरियों द्वारा भारत के विषय में कही गई बातों के बारे में भी कह देना असङ्गत न होगा। इङ्गलैण्ड में अनेकों ऐसे व्यक्ति हैं, जो इन मिशनरियों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं तथा इनकी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करते। परन्तु अधिकांश ऐसे हैं, जो इन पर विश्वास करते हैं तथा इन्हें सहायता भेजते हैं। मिशनरियों के वृत्तान्तों में भारतवासियों और विशेषकर हिन्दुओं को एक विचित्र रूप में चित्रित किया जाता है। हमारी जितनी भी सामाजिक बुराइयाँ तथा कुरीतियाँ हैं, उनका तिल से ताड़ बनाया जाता है।

आश्चर्य तो यह है कि ऐसे व्यक्ति, जिन्होंने कभी भारतवर्ष की भूमि का दर्शन भी नहीं किया, वहीं बैठे-बैठे केवल मिशनरियों की रिपोर्ट के आधार पर ही हिन्दू-समाज के विषय में ग्रन्थ लिख मारते हैं। एक बार एक मित्र ने मुझे चाय के लिए बुलाया। यह एक आश्चर्य की बात थी, क्योंकि उससे पूर्व उन्होंने कभी चाय के लिए किसी भारतीय को नहीं बुलाया था। चाय पीते-पीते वह बोलीं—

'मैंने एक नाटक लिखा है, जो एक स्कूल के बच्चों के सामने खेला जायगा।'

'विषय क्या है?'—मैंने पूछा।

'हिन्दू-समाज।'

'हिन्दू-समाज! और आपने भारतवर्ष में कभी पैर भी नहीं रक्खा!'—मैंने आश्चर्य से पूछा।

'परन्तु मैंने अपने कुछ मिशनरी मित्रों से प्लॉट बनाने में सहायता ली है। अब मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे यह बता दें कि घटनाओं में कहीं अस्वाभाविकता तो नहीं आई।'

'प्लॉट क्या है?'

'विधवाओं के विषय में।'

मैंने उनका प्लॉट सुना। एक हिन्दू-विधवा किसी ग्राम में बीमार हो गई। हिन्दू डॉक्टर को, यहाँ तक कि लेडी डॉक्टर को भी, घर में विधवा के सम्बन्धियों ने आने नहीं दिया। तब एक ईसाई डॉक्टर ने किसी प्रकार घर में आने की आज्ञा प्राप्त कर ली। विधवा अच्छी हुई और फल-स्वरूप वह ईसा की चेली हो गई। यह कथानक का सार है। मैंने उनसे बहुत कुछ वाद-विवाद किया, परन्तु उन्होंने न माना और वह नाटक स्कूल में खेला ही गया।

❀ ❀ ❀

देहली षड्यन्त्र-केस की अत्यन्त मनोरञ्जक कार्यवाही

शनिवार २१ नवम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की सुनवाई आरम्भ होते ही अभियुक्त वात्स्यायन ने विशेष अदालत के अध्यक्ष को सम्बोधित करते हुए कहा—"मि० प्रेज़िडेण्ट, डॉ० किचलू के जिरह आरम्भ करने के पहिले मैं आपका ध्यान दिल्ली-जेल में हम अभियुक्तों के साथ होने वाले व्यवहारों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।" श्री० वात्स्यायन ने कहा कि "मुक़दमा शुरू होने के समय से हम लोग हमेशा पहिले जेल के भीतर-बाहर भी क्रान्तिकारी गाने और नारे लगाया करते थे। मगर बाद में हम लोगों का मेजर आरपिनल से समझौता हुआ और हम लोगों ने जेल की हिरासत के समय गाने और नारे बन्द कर दिए। परन्तु जेल के अधिकारियों के तबादले के साथ जेल-नियमों में भी परिवर्तन हो गया। नए सुपरिण्टेण्डेण्ट ने हम लोगों से कहा कि अदालत में भी जेल-हिरासत क़ायम रहेगी और जेल के बाहर भी क्रान्तिकारी नारे लगाना तथा क्रान्तिकारी गाने गाना बन्द कर दिया जाय। हम लोगों के इस नए नियम के न मानने के फल-स्वरूप, हम लोगों की वकीलों तक से मुलाक़ात बन्द कर दी गई है और तीन दिनों तक हम लोगों को कालकोठरियों में रखने का हुक्म हुआ है।" इसके अतिरिक्त श्री० वात्स्यायन ने कहा कि और भी दूसरी शिकायतें हैं, जिन्हें हम लोग एक प्रार्थना-पत्र में लिख कर सोमवार को अदालत के सामने उपस्थित करेंगे। आज हम लोग जो चाहते हैं, वह यह है कि अदालत हम लोगों को अपने वकीलों से अदालत के कमरे में बातें करने की आज्ञा दे।

अभियुक्तों की यह प्रार्थना स्वीकार की गई।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति ने डॉ० किचलू की जिरह में कहा कि "दिल्ली में कोई काम नहीं शुरू किया गया। निर्धारित नियमों के अनुसार दिल्ली में काम नहीं किया गया था। पार्टी का नाम 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन' रक्खा गया था। मैं दल के इस नाम से सहमत था। मैं अब भी उससे सहमत हूँ। दल के उद्देश्य प्रजातन्त्रात्मक सरकार स्थापित करना था और प्रजातन्त्रात्मक सरकार से मेरा मतलब जनसत्तात्मक सरकार से है। प्रजातन्त्र का आधार दल के समक्ष रूस का प्रजातन्त्र था। रूस का प्रजातन्त्र अन्य प्रजातन्त्रों से अधिक स्पष्ट है। दल का उद्देश्य रूस के बोलशेविक ढङ्ग की सरकार स्थापित करना था। इस तरीक़े की सरकार अभी तक किसी देश में स्थापित नहीं हुई है। इस प्रकार की सरकार स्थापित करने का उपाय सशस्त्र क्रान्ति समझा जाता था। मैंने 'हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन' के नियम पढ़े हैं। मैंने उनको समझा है और वे अब तक मुझे याद हैं।

दल का उद्देश्य

"मैं अपनी याददाश्त से कहता हूँ कि जहाँ तक मुझे ठीक-ठीक याद है, दल का उद्देश्य जनसत्तात्मक सरकार स्थापित करना था। यह कहना ग़लत है कि दल का उद्देश्य 'फ़ेडरल रिपब्लिक ऑफ़ दि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इण्डिया' स्थापित करना होगा। दल के नियमों के अनुसार जो मालूम होता है, वह यह है कि वह उद्देश्य हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का नहीं। अब मुझे हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नियमों में विश्वास नहीं रहा। अब मुझे हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नियमों में विश्वास है, जिसका यह कहना है कि दल का उद्देश्य सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ इण्डिया स्थापित करना होगा।"

प्रश्न—आप सङ्घ प्रजातन्त्र और जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र में क्या भेद समझते हैं?

उत्तर—सङ्घ प्रजातन्त्र का मतलब स्वतन्त्र प्रजातन्त्र हो सकता है। जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र का मतलब वह होगा, जिसका उद्देश्य जनसत्तावाद है। इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं विधानात्मक परिभाषाएँ नहीं जानता। मैंने उनका कभी अध्ययन नहीं किया।

प्रश्न—क्या आप फ़ेडरेशन (सङ्घ) का केन्द्रीय अर्थ समझा सकते हैं?

उत्तर—फ़ेडरेशन का अर्थ स्वतन्त्रता है। मैं सङ्घ प्रजातन्त्र के रूप के अन्तर को नहीं समझा सकता। मैंने उनका अध्ययन नहीं किया है। इसी प्रकार मैं जनसत्तात्मक सरकार के रूप को नहीं समझा सकता।

प्रश्न—क्या आप बतला सकते हैं कि सङ्घ प्रजातन्त्र और सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस में क्या अन्तर है?

उत्तर—मैं नहीं बतला सकता कि सङ्घ प्रजातन्त्र, जनसत्तात्मक प्रजातन्त्र और सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस में क्या अन्तर है।

प्रश्न—क्या आपने नई सरकार के रूप का कार्यक्रम तैयार किया था?

उत्तर—मैंने नई सरकार के रूप का कोई कार्यक्रम नहीं तैयार किया था।

प्रश्न—क्या आपने सङ्घ प्रजातन्त्र, प्रजासत्तात्मक प्रजातन्त्र और सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस के सम्बन्ध में कोई कार्यक्रम तैयार किया था?

उत्तर—मैं सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस के सम्बन्ध में कार्यक्रम तैयार कर रहा था। यह मेरी निजी सूझ थी, परन्तु मैं इसे सलाह लेकर कर रहा था।

प्रश्न—सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस से आप क्या मतलब समझते हैं?

उत्तर—जब मैं इसका कार्यक्रम बना रहा था, सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का अर्थ मैंने समझा था वह संस्था, जो साम्यवाद स्थापित कर सके।

प्रश्न—क्या आपने साम्यवाद का अध्ययन किया है?

उत्तर—मैंने पूर्ण रूप से उसका अध्ययन नहीं किया है।

श्रमजीवियों और किसानों का सङ्गठन

आगे चल कर गवाह ने कहा कि—"हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य देश को सशस्त्र क्रान्ति के लिए तैयार करना था। यही उद्देश्य सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का था, जिसे सङ्गठित करने का मेरा इरादा था। परन्तु इस ध्येय को प्राप्त करने के उपाय में अन्तर था। अब मैं यह नहीं बतला सकता कि किस उपाय का मैं अवलम्बन करता। उनमें से अधिकांश मैं भूल गया हूँ। इतना मुझे याद है कि उद्देश्य श्रमजीवियों और किसानों को सामूहिक क्रान्ति के लिए सङ्गठित करना था। सामूहिक क्रान्ति साम्यवाद प्राप्त करने के लिए थी। यह किसी विशेष समुदाय के विरुद्ध न थी। यह उन लोगों से लड़ने के लिए थी, जो साम्यवाद की स्थापना का विरोध करते। पूँजीपतियों का समुदाय ख़ास समुदाय था, जिसके विरुद्ध साम्यवाद का सङ्घर्ष होता। सरकार पूँजीपतियों के समुदाय में शामिल थी। वह किसानों और श्रमजीवियों के हित के विरुद्ध थी। इसी कारण से मैंने इस तरीक़े की सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था। अब भी मेरी यही राय है। मैं नहीं कह सकता कि अगर मैं छोड़ दिया जाऊँ, तो इसी उद्देश्य की पूर्ति करूँगा। अपनी रिहाई के बाद मेरा कार्यक्रम क्या होगा, इसे मैंने अभी निश्चय नहीं किया है। जब मैंने अपना बयान पुलीस के सामने देना शुरू किया था, उस समय मुझे विश्वास हो गया था कि मैंने अपना राजनीतिक जीवन समाप्त कर दिया और भविष्य में मैं कुछ भी करने के लिए असमर्थ हूँ! मैंने अपनी गिरफ़्तारी के दो या तीन महीने पहिले सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का अपना कार्यक्रम लिखना शुरू किया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। जहाँ तक मुझे याद है, मेरे कार्यक्रम में व्यक्तिगत आघात के लिए कुछ रोक थी। जब मैंने पार्टी को त्याग देने का निश्चय किया था, मैंने अपना कार्यक्रम तैयार करना शुरू किया और उसके बाद मैंने किसी भी हिंसात्मक कार्य में हिस्सा नहीं लिया और न कोई ऐसा अवसर ही आया, जिसमें किसी व्यक्तिगत आघात के काम में मुझे हिस्सा लेने की ज़रूरत पड़ती।

"सङ्घ प्रजातन्त्र के अन्दर साम्यवाद नहीं आता। मेरी राय में फ़ेडरलिज़्म और सोशलिज़्म में अन्तर है। यह सम्भव है कि अवसर उपस्थित होने पर दोनों के हितों में सङ्घर्ष हो जाय। पर मुझे मालूम नहीं कि उनमें सङ्घर्ष कैसे हो सकता है।

साम्यवाद का सिद्धान्त

"जब मैं अपना कार्यक्रम लिख रहा था, मैं पार्टी के कामों में भी हिस्सा लिया करता था। निस्सन्देह मैंने मेम्बरों पर नियन्त्रण रखने का प्रयत्न करने में कभी दिलचस्पी नहीं ली। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने पार्टी से सम्बन्ध त्यागने का निश्चय करने के बाद कोई नया मेम्बर नहीं बनाया। हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नियमों में अनिवार्य अन्तर था, फ़ेडरेटेड रिपब्लिक के स्थान पर सोशलिस्ट रिपब्लिक स्थापित करना। इसके अतिरिक्त और कोई अन्तर न था।

"मनुष्य का मनुष्य द्वारा शोषण सम्भव बनाने वाले तरीक़े को नष्ट करने का सिद्धान्त साम्यवाद का भी सिद्धान्त था। यही सिद्धान्त हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नियमों का भी आधार था। साम्यवाद के तरीक़े की सरकार का स्थापित करना हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों का उद्देश्य था, केवल 'साम्यवाद' शब्द हिन्दुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नियमों में न था।

"परन्तु मैंने इसे पार्टी से सम्बन्ध जोड़ने के समय नहीं समझा था। अब मैंने इसे अच्छी तरह समझ लिया है। मेम्बरों से भर्ती किए जाने के पहिले कहा जाता था कि पार्टी का उद्देश्य मनुष्य द्वारा मनुष्य का शोषण बन्द करना और साम्यवादी सरकार का स्थापित करना है। मुझे याद नहीं है कि मैंने किसी मेम्बर से भर्ती करने के समय यह कहा था।"

आगे चल कर गवाह ने कहा कि—"मैं लन्दन की गोलमेज़ कॉन्फ़्रेन्स की फ़ेडरेल स्ट्रक्चर सब-कमिटी की कार्रवाइयों को पढ़ता रहा हूँ। मैंने फ़ेडरेशन की इसकी स्कीम के सम्बन्ध में कोई विचार स्थिर नहीं

किया। मैंने उसके फ़ेडरेशन के सिद्धान्तों से अपने सिद्धान्तों का मिलान भी नहीं किया। मेरे दिमाग़ में जो फ़ेडरेटेड रिपब्लिक था और जिसकी स्थापना के लिए मैं अपनी पार्टी की शक्तियों को लगाने को था, उसकी मैं कोई मिसाल नहीं दे सकता।"

गवाह ने इस बात से इन्कार किया कि उसने अपनी सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस का कार्यक्रम पुलिस को धोखा देने या गिरफ़्तारी बचाने के उद्देश्य से लिखा था।

गवाह ने कहा कि—"लाहौर षड्यन्त्र केस के शुरू होने के बाद मुझे मालूम था कि पुलिस ने उन सभी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया, जिनको वह जानती थी और गिरफ़्तार करना चाहती थी। मुझे यह मालूम था कि इस सम्बन्ध में अब और कोई गिरफ़्तारी न होगी, सिवा उन लोगों के जो फ़रार घोषित कर दिए गए हैं। मैं उस मामले में फ़रार था और मुझे यह भय था कि मैं गिरफ़्तार किया जा सकता हूँ। परन्तु मुझे विश्वास था कि मैं कुछ दिनों तक गिरफ़्तार नहीं किया जाऊँगा। मुझे यह सब 'सोशलिस्ट कॉङ्ग्रेस' का कार्यक्रम लिखने के पहिले मालूम था।

"केन्द्रीय कौंसिल प्रान्तों तथा प्रान्तीय प्रचारकों द्वारा आने वाले समाचारों पर विश्वास करती थी। प्रान्तीय प्रचारक कोई काग़ज़ात नहीं रखते थे। सब काम याददाश्त से होता था। दिल्ली में पार्टी, काम के कम होने की वजह से नियमित रूप से प्रचार शुरू न कर सकी। न तो अख़बार का ही सङ्गठन हो सका और न व्याख्यान का ही और इसी कारण से बहुत सा काम, जो हो जाना चाहिए था, नहीं हो सका। कोई भी स्थायी डिपार्टमेण्ट सङ्गठित नहीं हुआ। श्रमजीवियों और किसानों में कोई प्रचार का काम न हो सका। न तो मैंने और न पार्टी के किसी दूसरे मेम्बर ने श्रमजीवियों और किसानों में काम किया, हालाँकि यह हि० रि० ए० और हि० सो० रि० ए० दोनों के नियमों के अनुसार आवश्यक था। पार्टी ने सिवा सहानुभूति रखने वालों से रुपए लेने के कभी किसी अन्य प्रकार से चन्दा नहीं उठाया। पर अगर किसी व्यक्ति ने रुपए दिए तो वह अस्वीकार नहीं किया गया। रुपए एकत्र करने का साधारण तरीक़ा चोरी और डाके थे। परन्तु रुपए अन्य उपायों से भी एकत्र किए गए, मगर धर्म के नाम पर नहीं। कोई ऐसी निश्चित फ़ीस नहीं थी, जो मेम्बरों से अदा करने को कही जाती थी।"

जलपान करने के बाद अदालत उठ गई। शेष समय अभियुक्तों को वकीलों से बातचीत करने के लिए दिया गया।

२३ नवम्बर की कार्यवाही

सोमवार २३ नवम्बर को दिल्ली षड्यन्त्र केस की कार्रवाई फिर शुरू हुई। गत १३ नवम्बर को इस मुक़द्दमे की कार्रवाई शुरू होने पर विशेष अदालत ने दिल्ली जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअली की अभियुक्त विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने से इन्कार करने के सम्बन्ध में गवाही लेने के बाद यह हुक्म सुनाया था कि १० दिनों तक अभियुक्त की हाज़िरी की अदालत में कोई ज़रूरत नहीं है। आज उस अवधि के समाप्त होने पर मियाँ सफ़दरअली फिर गवाही देने के लिए बुलाए गए। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत के हुक्म को अभियुक्त के सामने पढ़ सुनाया था, मगर उन्होंने अदालत में आने से इन्कार किया और प्रतिरोध किया। अभियुक्तों के वकील ने मियाँ सफ़दरअली से जिरह करने से इन्कार किया और कहा कि हमारी स्थिति आज भी वही है, जो पिछले अवसरों पर थी। अभियुक्त वात्सायन ने गवाह से बहुत देर तक यह सिद्ध करने के लिए जिरह की कि गवाह गवाही देने का अधिकारी नहीं है, यह कि जो कुछ उसने कहा सब ग़लत था, यह कि अदालत का हुक्म विमलप्रसाद जैन को नहीं सुनाया गया और यह कि गवाह विमलप्रसाद जैन के पास गया तक नहीं, क्योंकि वह सुबह से लेकर अभियुक्तों के अदालत आने के समय तक दूसरे अभियुक्तों के पास था। वात्सायन ने आगे चल कर विरोध-स्वरूप जिरह करना बन्द कर दिया; क्योंकि अदालत ने उनकी प्रश्नावली को रोक दिया था। उनका अन्तिम प्रश्न यह था—"क्या यह बात ठीक नहीं है कि जेल के अधिकारियों ने विमलप्रसाद जैन को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि उनके लिए अदालत में आना असम्भव हो गया?" वात्सायन ने यह भी कहा कि अगर हेड वार्डर बुलाया जाने वाला है और उसकी गवाही ली जाने वाली है, तो इससे स्पष्ट हो जायगा कि मियाँ सफ़दरअली ने बिल्कुल झूठा बयान दिया। अदालत ने इस बात को अस्वीकार करते हुए और मियाँ सफ़दरअली की गवाही की सत्यता में विश्वास करते हुए यह हुक्म दिया कि अभियुक्त विमलप्रसाद जैन की हाज़िरी की ७ दिनों के लिए ज़रूरत नहीं है।

मुलाक़ात नामञ्ज़ूर

आज अदालत के बैठने पर अभियुक्तों और अभियुक्तों के वकील दोनों ने बड़ा ज़बरदस्त विरोध किया। मि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी बैरिस्टर ने कहा कि रविवार को प्रातःकाल मैं अभियुक्तों से उस दरख़्वास्त के सम्बन्ध में हिदायतें लेने के लिए जेल गया था, जो जेल के अधिकारियों के विरुद्ध कुछ शिकायतों के सम्बन्ध में अभियुक्त लोग आज अदालत में पेश करने वाले थे। मुझे जेल के किसी भी ज़िम्मेदार अफ़सर से मिलने के लिए बहुत देर तक इन्तज़ार करना पड़ा। बाद में एक अफ़सर मिले और उन्होंने मुझसे कहा कि आप अभियुक्तों से रविवार या किसी भी छुट्टी के दिन नहीं मिल सकते, यह उन लोगों को जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट का हुक्म न मानने के लिए सज़ा दी गई है। जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने यह हुक्म दिया था कि "अभियुक्त जेल के अन्दर या बाहर न तो क्रान्तिकारी गाने गाएँ और न क्रान्तिकारी नारे लगाएँ।" मि० अन्सारी ने यह भी कहा कि यह बिल्कुल असाधारण बात है। साधारण क़ायदा यह है कि वकीलों को अफ़सरों की ओर से वे सब परिवर्तन बता दिए जाते हैं, जो उनके मुवक्किलों के सम्बन्ध में जेल में होते हैं। कोई भी कामकाजी आदमी व्यर्थ के लिए इतना अधिक समय नष्ट नहीं कर सकता।

सरदार रघुबीरसिंह ने भी विरोध प्रकट किया और कहा कि निस्सन्देह शनिवार के दिन अदालत में अभियुक्तों ने वकीलों से कह दिया था कि वे लोग रविवार के दिन जेल में अभियुक्तों से नहीं मिलने पाएँगे, इसलिए अदालत ने उस दिन जलपान के बाद अभियुक्तों को वकीलों से अदालत के कमरे में ही मिलने की इजाज़त दे दी थी। परन्तु इस प्रकार की मुलाक़ात काफ़ी न थी और मैं अभियुक्तों से मिलने के लिए जेल दौड़ा गया। बहुत देर तक इन्तज़ार करने के बाद मुझे जेल के अन्दर जाने की आज्ञा दे दी गई, किन्तु मुझे एक ही साथ सब अभियुक्तों से मिलने की इजाज़त नहीं मिली, क्योंकि अभियुक्त काल-कोठरियों में बन्द थे। मैं सिर्फ़ अभियुक्त वात्सायन से मिल सका। यद्यपि अभियुक्त विद्याभूषण और ख़्यालीराम गुप्त को मुझे कुछ महत्वपूर्ण काग़ज़ात देने थे, किन्तु जेल-अधिकारियों ने उन्हें मुझसे मुलाक़ात नहीं करने दी। सरदार रघुबीरसिंह ने कहा कि इस सबका मतलब यह है कि सफ़ाई के काम में बड़ी बाधाएँ हैं।

जेल के अधिकारियों का रुख़

डॉ० किचलू ने अपने साथी वकीलों की बातों का समर्थन करते हुए कहा—"मैं ऐसी छोटी बातों में बहुत कम दिलचस्पी लेता हूँ। मैं दूसरी तरफ़ के अपने मित्रों को अनुचित परिस्थिति में नहीं डालना चाहता। परन्तु मि० प्रेज़िडेण्ट, मैं आपका मार्ग-प्रदर्शन चाहता हूँ। मैं आपकी सहायता चाहता हूँ। मैं आपकी सहानुभूति चाहता हूँ। इस सबसे ऊपर मैं अपने कर्तव्य-पालन में आपकी अधि-रक्षा चाहता हूँ। कुछ अर्थों में जेल-अधिकारियों का रुख़ असह्य हो गया है। जितना हम लोग गवारा कर सकते हैं, उससे वह अधिक हो गया है। मैं यह बात स्वीकार करता हूँ कि आपने बड़ी कृपा करके अपना बहुमूल्य समय लेने की आज्ञा दे दी है। आपने अदालत के वक़्त में हम लोगों को अभियुक्तों से बातचीत करने का हुक्म दिया है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम लोगों ने उस अवसर से पूरा लाभ उठाया है।

"परन्तु हम अपना काम समाप्त नहीं कर सके। इन लोगों ने समय नष्ट नहीं किया, हमने काम किया है। परन्तु हम अपना काम समाप्त नहीं कर सके। जैसे ही अभियुक्त जेल में वापस लाए गए, मैंने अपने जूनियर वकीलों को अभियुक्तों से मिलने और उनसे शेष हिदायतें लेने के लिए जेल भेजा। परन्तु यह नहीं हो सका। जेल-अधिकारियों ने मुलाक़ात नहीं होने दी। शुरू से आख़ीर तक जेल-अधिकारी और एकज़ेक्टिव अधिकारी बराबर सफ़ाई के मार्ग में बाधा डालते रहे हैं। हमारी मुलाक़ातों पर जो ये विचित्र रोक लगाई जाती हैं, वे बहुत विचलित कर देती हैं। अगर सरकारी पक्ष—वह सरकारी पक्ष, जिसकी पीठ पर वाइसरॉय से लेकर पुलिस कॉन्स्टेबिल तक समस्त सरकारी शासन-तन्त्र का हाथ है—की मन्शा अनावश्यक रूप से सताना ही है, तो हम लोग फिर अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करें। अभियुक्त लोग अपना सफ़ाई का अधिकार ही बिल्कुल छोड़ दें। मुझे ख़्यालीराम गुप्त से उनको सफ़ाई के सम्बन्ध में कुछ हिदायतें लेनी थीं। परन्तु मैं नहीं ले सका। मेरा जिरह करने का अपना ढङ्ग है। मैं उसे अभी प्रकट नहीं करना चाहता। परन्तु चूँकि मुझे अपने मुवक्किल से कोई हिदायत नहीं मिली, मैं लाचार हो गया। मैं नहीं समझता कि क्या करूँ। मेरी दृष्टि आप पर सहानुभूति और न्याय के लिए है। मेरी प्रार्थना यह है कि मुक़दमे की कार्रवाई स्थगित कर दी जाय, ताकि मैं अपनी स्थिति ठीक कर सकूँ और अपनी जिरह शुरू करूँ। मैं अपने मुवक्किलों से बातें करने और उनसे हिदायतें लेने के लिए कार्रवाई का स्थगित होना चाहता हूँ।"

अभियुक्त वात्सायन ने भी कार्रवाई मुल्तवी करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा—"हम लोग काल-कोठरियों में बन्द थे, इसलिए हम एक दूसरे से मिल न सके। परन्तु मुक़दमे का क्रम ऐसा है कि परस्पर सलाह ज़रूरी है। इसके अलावा कोठरियों में रोशनी नहीं थी और सूर्यास्त के बाद हम लोगों का जागते रहना शारीरिक रूप से असम्भव था। शाम को जब हम लोग लौट कर जेल गए, तो व्यक्तिगत रूप से भी मामलों पर विचार करने के लिए समय बहुत कम था। प्रातःकाल हमें अदालत में आने के लिए तैयार होना होता है और इसमें कुछ वक़्त लगता है। हम लोग देर नहीं कर सकते, क्योंकि जेल-अधिकारियों ने हमें धमकी दे रक्खी है कि अगर समय से तैयार नहीं रहोगे, तो हम अदालत से कह देंगे कि उन लोगों ने अदालत में आने से इनकार कर दिया है।"

इसके बाद अदालत जलपान के लिए उठ गई।

मुख़बिर कैलाशपति से जिरह

जलपान के बाद अदालत के फिर बैठने पर कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुई। जिरह में गवाह ने कहा—"यूरोप और अमेरिका सदृश विभिन्न देशों में साम्यवादी दल सङ्गठित किए जा रहे हैं। इङ्गलैण्ड में भी साम्यवादी दल है। मैं नहीं कह सकता कि यह दल मज़दूरों और श्रमजीवियों के कार्यक्रम के अनुसार कार्य कर रहा है। यह ट्रेड यूनियनें सङ्गठित करता है और उन्हीं के द्वारा कार्य करता है। इस दल का साम्यवाद पूँजीपतियों के विरुद्ध लगाया जा रहा है। यह मनुष्य के मनुष्य द्वारा शोषण को बन्द करने के लिए प्रयत्न कर रहा है। इस दल के मेम्बर पार्लामेण्ट के समय-समय के मेम्बरों में से चुने जाते हैं। मैं जानता हूँ कि इङ्गलैण्ड में कम्यूनिस्ट दल भी है। यह बहुत अच्छी तरह सङ्गठित है। इसके मेम्बर, हालाँकि वे कम संख्या में हैं, पार्लामेण्ट के भी मेम्बर हो गए हैं। मैं नहीं जानता कि मैं इङ्गलैण्ड के साम्यवादी दल से सहमत हो सकता हूँ या नहीं, क्योंकि मैंने कभी उसका अध्ययन नहीं किया है। मैं कम्यूनिस्ट पार्टी के कार्यक्रम को नहीं जानता। मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। सोशलिज़्म और कम्यूनिज़्म में अन्तर है, इसी प्रकार सोशलिज़्म और बोलशेविज़्म में भी अन्तर है। मैं जानता हूँ कि रूस में बोलशेविज़्म विद्यमान है। और उस देश की सरकार उसी तरीक़े पर आधारित है। और रूसी सरकार समाज का उसी आधार पर सङ्गठन कर रही है। मैं नहीं कह सकता कि बोलशेविज़्म और कम्यूनिज़्म में अन्तर है या नहीं। मैंने बोलशेविज़्म का कभी अध्ययन नहीं किया। मैं उसके प्रधान रूप को नहीं जानता। हमारे दल के कार्यक्रम की प्रमुख मदें आदमियों को देश के बाहर भेज कर सीखना और लौट कर देश में प्रचार करना थीं। हमारे कार्यक्रम का एक अङ्ग विदेशों से सम्बन्ध स्थापित करना भी था। परन्तु उनमें से कोई भी कार्यरूप में परिणत नहीं किया गया। मैं यह नहीं जानता कि दल ने किसी बाहरी मुल्क से किसी तरह की सहायता, जिसमें आर्थिक सहायता भी शामिल है, माँगी। हमारे दल का किसी भी देश की किसी सोशलिस्ट, कम्यूनिस्ट या बोलशेविस्ट पार्टी से सम्बन्ध न था। रूस ने कभी भारत के या रूस के हमारे दल से सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न नहीं किया। मैंने कभी इस बात का अध्ययन नहीं किया कि रूस में गवर्नमेण्ट के किस तफ़सीलवार कार्यक्रम का अनुसरण किया जाता है। यह ठीक नहीं है कि हमारे दल ने रूस या इङ्गलैण्ड के इसी प्रकार के दलों के लिए या उनकी मातहती में काम किया। हमारे कार्यक्रम का रूस से किसी प्रकार का सम्बन्ध न था, हमारा रूस से सिद्धान्त में या कार्य में कोई तअल्लुक़ न था। मैं पूँजीवाद और साम्राज्यवाद के बीच का कोई तफ़सीलवार अन्तर नहीं बतला सकता। परन्तु उन दोनों में कुछ अन्तर है, साम्राज्यवादी शासक हैं और पूँजीवादी ज़मींदार और व्यापारी हैं। ब्रिटिश सरकार में पूँजीवाद का अंश बहुत है। मैं उनकी तफ़सीलवार व्याख्या नहीं कर सकता।

"यह सच है कि अपनी गिरफ़्तारी से पहिले मैं रुपए के 'ऐक्शन' के लिए अजमेर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं स्वयं इस रुपए के ऐक्शन का सङ्गठन कर रहा था। मैं उस रुपए के ऐक्शन में, यदि आवश्यकता होती तो, किसी को भी गोली मारने को तैयार था। यह काम आज़ाद के मना करने पर नहीं हुआ। आज़ाद ने मुझसे रुपए के ऐक्शन में भाग लेने के लिए जाने को नहीं कहा था। रुपए का ऐक्शन १-११-३० को होने वाला था। पर मैं नियुक्त तारीख़ के दो या तीन दिन पहले गिरफ़्तार कर लिया गया। अगर मैं गिरफ़्तार न कर लिया जाता, तो मैंने उसमें अवश्य भाग लिया होता। यह काम मेरी ही सूझ थी। मेरी सहायता का कोई प्रश्न न था। मैंने प्रसन्नता के साथ अपने कन्धों पर ज़िम्मेदारी ली थी।

"मि० पील को गोली मारने का कार्यक्रम आज़ाद का था, मेरा नहीं। यह मेरी गिरफ़्तारी के एक महीने या उससे कुछ कम के समय की बात थी। आज़ाद ने मुझसे इस सम्बन्ध में इन्तज़ाम करने को कहा था। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि मैं इसमें हिस्सा लेता या नहीं। जब आज़ाद ने मुझसे कहा, तो मैंने उसके लिए इन्तज़ाम करना स्वीकार कर लिया। अगर अवसर उपस्थित होता, तो मैंने मि० पील को गोली मारा होता। मैंने सरदार भगतसिंह की फाँसी के बाद मि० पील को गोली मारने का इरादा किया। यह मेरी निजी इच्छा थी और किसी व्यक्ति द्वारा मैं बाधित नहीं किया गया था। मैं कह नहीं सकता कि यदि मैं २८-१०-१९३० ई० को पकड़ा न गया होता, तो अपने इस इरादे को पूरा करता या नहीं। अपनी गिरफ़्तारी के समय तक मेरा यही इरादा था।

"हमारे दल के अतिरिक्त और दूसरे क्रान्तिकारी दल थे, जो दिल्ली में काम कर रहे थे। मैं कह नहीं सकता कि ये दल एक-दूसरे को जानते थे या नहीं, मुझे उनके सङ्गठन या काम के बारे में कोई व्यक्तिगत जानकारी न थी। मैं एक ध्रुवदेव को जानता हूँ। मैं नहीं जानता कि वह दल का मेम्बर था या नहीं। मैंने सुना था कि उसने पुलिस के सामने कुछ रुपए के सम्बन्ध में बयान दिया था। यशपाल ने मुझसे कहा था कि यह बयान उसको गिरफ़्तार कराने के लिए था। कोई कारण न था कि यशपाल मुझसे झूठ क्यों बोलता। मुझे इस पर विश्वास करने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, क्योंकि बहुत से मामलों में पुलिस ऐसा करती थी।

"मैं याददाश्त से यह नहीं कह सकता कि नियमों के अनुसार ज़िला-प्रचारकों की क्या योग्यताएँ थीं।

मज़दूर और किसान-पार्टी

"हमारे दल का उद्देश्य श्रमजीवियों और किसानों को साम्यवाद स्थापित करने के लिए सङ्गठित करना था। हम लोग इसके लिए भी तैयार थे कि यदि अवसर उपस्थित हो तो पूँजीवादी और साम्राज्यवादी समुदायों से लड़ा जाय। यह लड़ाई गाँधी जी के अहिंसा की लड़ाई न होती, बल्कि बोलशेविकों की तरह 'लाल' ढङ्ग की होती। क्रान्ति के समय समाज का क्रम अस्त-व्यस्त हो जाता। तैयारी की अवधि में भी समाज की शान्ति भङ्ग हो जाती। व्यक्तियों और समूहों, दोनों में आतङ्क छा गया होता। पूँजीवादी और साम्राज्यवादी स्वभावतः ही हमारी आकांक्षाओं को दबाने में मिल जाते। वे लोग भी आतङ्ककारी काम करने लगते और हम लोगों को गोली मार देने का प्रयत्न करते। वे हमारे आन्दोलन को कुचलने के लिए ऐसा करते। हमारे नियमों में यह स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है कि जब हम पर हमला किया जाय, तो हम शस्त्रों की शरण लें।

"यह ठीक है कि हम लोग प्रतिहिंसा की तौर पर ही गोली चला सकते हैं। दल ने यदि किसी व्यक्तिगत और स्वतः काम की ज़िम्मेदारी न ली होती तो किसी भी व्यक्ति के ऐसा काम करने पर, जिससे नियम भङ्ग होता है, उसके विरुद्ध वह क़ायदे की कार्रवाई करता। किसी व्यक्ति को यह अधिकार न था कि वह अपनी इच्छा से किसी मेम्बर को गोली मार देता। आज़ाद नियमों का अपवाद था। उसको विशेष अधिकार थे, हालाँकि इसके लिए कोई ख़ास नियम न थे, बल्कि वह दल के पुनसंङ्गठन के अनुसार थे, जोकि प्रथम लाहौर षड्यन्त्र के पता लगने के बाद हुआ था। आज़ाद हम लोगों का फ़ौजी नायक था। ये बातें नए नियमों में जोड़ दी जातीं। हिन्दुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नियमों में आम आतङ्ककारी कार्यों का विधान था। परन्तु अनावश्यक रूप से उन्हें करने की आज्ञा न थी।"

जिरह समाप्त नहीं हुई और अदालत दूसरे दिन के लिए स्थगित की गई।

जेल-अधिकारियों की शिकायतें

दिल्ली षड्यन्त्र केस की मङ्गलवार २४ नवम्बर की कार्यवाही में प्रमुख मुख़बिर कैलाशपति से जिरह आरम्भ होने के पहिले अभियुक्तों ने जेल-अधिकारियों की शिकायत करते हुए अदालत के सामने एक प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया। प्रार्थना-पत्र में अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित आरोप जेल-अधिकारियों पर लगाए गए थे :—

"यह कि जेल-अधिकारी पिछले कुछ दिनों से अभियुक्तों को मित्रों और रिश्तेदारों से नहीं मिलने दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त जेल-नियमों के विरुद्ध मुलाक़ातों के सम्बन्ध में सब प्रकार की रोक लगा रहे हैं।

यह कि क्रान्तिकुमार नामक एक व्यक्ति, जो मि० धन्वन्तरि से उनकी सफ़ाई के सम्बन्ध में मुलाक़ात करने के लिए लाहौर से आया था, जेल-फाटक के बाहर ही पुलिस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया।

यह कि विमलप्रसाद नामक एक व्यक्ति, जो अभियुक्त विमलप्रसाद जैन से मुलाक़ात करने के लिए आया था, के मकान की तलाशी ली गई और वह पुलिस द्वारा गिरफ़्तार भी कर लिया गया।

यह कि मि० फूलचन्द जैन, जो सफ़ाई के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और जो सफ़ाई के वकीलों की सहायता कर रहे हैं, के मकान की भी अभी तीन दिन हुए पुलिस द्वारा तलाशी ली गई थी। उन्हें प्रतिदिन सी० आई० डी० वाले अन्य तरीक़ों से परेशान करते हैं।

यह कि प्रार्थियों (अभियुक्तों) को हम अभियुक्तों से भी नहीं मिलने दिया जाता।

पत्र रोके जाते हैं

यह कि प्रार्थियों की सफ़ाई में सहायता करने वाले दिल्ली के और दिल्ली के बाहर रहने वाले वकीलों के पत्र खोले जाते हैं, रोके जाते हैं और कभी-कभी तो बिल्कुल रख ही लिए जाते हैं।

यह कि एक्ज़ेकेटिव अधिकारीगण जेल में प्रार्थियों की हिरासत और विचाराधीन क़ैदियों को क़ानूनन् मिलने वाली सुविधाओं के सम्बन्ध में अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप करते हैं।

यह कि मि० विमलप्रसाद जैन ने अपनी मुलाक़ातें बिल्कुल रोक दी जाने के कारण जेल-अधिकारियों के हुक्म मानने से इन्कार कर दिया।

यह कि १० सितम्बर, १९३१ को कोर्ट-क्लर्क को हिदायत दी गई कि वह अदालत का हुक्म मि० विमलप्रसाद जैन के पास पहुँचा दे, और उस दिन वह अदालत में उपस्थित हुए।

यह कि जेल-अधिकारियों ने जान-बूझ कर मि० विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने के मार्ग में रोड़े अटकाए और कार्यवाही में भाग लेना उनके लिए असम्भव कर दिया।

यह कि जेल-अधिकारियों की ज़्यादतियों के कारण विमलप्रसाद जैन की अनुपस्थिति की वजह से एक्ज़ेकेटिव अधिकारियों ने श्रीमान वायसरॉय से एक ऑर्डिनेन्स पास करा लिया।

भविष्य

बिना ज़रूरत के ऑर्डिनेन्स

यह कि श्रीमान वाइसरॉय ने बिना किसी ज़रूरत के और विमलप्रसाद जैन के अदालत में आने के कारण सफ़ाई के वकीलों से मालूम किए हुए उपर्युक्त ऑर्डिनेन्स पास कर दिया, जो बिना किसी आवश्यकता के पास किया गया है।

यह कि ऑर्डिनेन्स जारी होने के समय से अदालत के हुक्म मि० विमलप्रसाद जैन के पास ठीक-ठीक नहीं पहुँचाए गए और उनकी उपस्थिति के लिए कोई काफ़ी प्रयत्न नहीं किया गया था तथा उनकी तरफ़ से उनकी सफ़ाई की देख-भाल के लिए कोई वकील नहीं नियुक्त किया गया।

यह कि १२ नवम्बर, १९३१ को जजों ने २३ नवम्बर, १९३१ तक के लिए मि० विमलप्रसाद जैन की हाज़िरी से अदालत को बरी कर दिया। इस बीच में किसी भी व्यक्ति ने उनसे अदालत में चलने के लिए नहीं कहा, जो कार्रवाई १९३१ के ऑर्डिनेन्स ८ के आशय के विरुद्ध है।

यह कि आपके प्रार्थियों को जेल-अधिकारियों द्वारा दिया जाने वाला भोजन नाकाफ़ी है। आपके प्रार्थियों को दिए जाने वाले भोजन की क़िस्म ख़राब है और मनुष्य के भोजन के लिए अयोग्य है। उपर्युक्त कारणों से आपके प्रार्थियों का स्वास्थ्य ख़राब हो गया है, उनमें से अधिकांश छोटी-मोटी बीमारियों से पीड़ित हैं।

अभियुक्त काल-कोठरियों में

यह कि आपके प्रार्थियों को दिल्ली-जेल के पूर्व सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर अस्पिनेल द्वारा अदालत आते समय जेल-फाटक के बाहर नारे लगाने और गाने की आज्ञा दी गई थी। अदालत ने भी अभियुक्तों को अदालत के कमरे में जजों के आने के पहिले नारे लगाने और गाने की मूक-भाव से आज्ञा दे दी थी।

यह कि उसी समझौते के अनुसार आपके प्रार्थी प्रतिदिन नारे लगाते और गाते रहे हैं और अब भी ऐसा ही करते हैं। उसी के कारण आपके प्रार्थियों को वर्तमान जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट द्वारा २१ नवम्बर को ३ दिन काल-कोठरियों में बन्द करने की सज़ा दी गई है और उसके बाद आज सुबह ४ दिन की और काल-कोठरियों में बन्द करने की सज़ा दी गई है।

यह कि आपके प्रार्थियों पर अदालत के कमरे में निगाह रखने के लिए उनके साथ जेल का एक असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट भेजा जाता है। यह कृत्य केवल अदालत के अधिकारों में हस्तक्षेप करना है, क्योंकि आपके प्रार्थी अदालत में लाए जाने के लिए पुलिस को सुपुर्द किए जाने के वक़्त से जब तक वे अदालत के हुक्म से जेल-अधिकारियों को न सौंपे जायँ, तब तक वे जेल-हिरासत में नहीं, अदालत की प्रत्यक्ष हिरासत में रहते हैं।

कहीं हिजली-काण्ड न हो जाय

यह कि जेल के अन्दर आपके प्रार्थियों के बैरकों के चारों तरफ़ हथियारबन्द पहरा रक्खा जाता है, जिसके कारण आपके प्रार्थियों को अपनी जानों का ख़तरा रहता है और यह भय लगा रहता है कि इस जेल में भी कहीं हिजली की सी दुर्घटना न हो जाय।

इसलिए यह प्रार्थना की जाती है कि इस प्रार्थना-पत्र में वर्णित आपके प्रार्थियों की शिकायतें पूर्ण रूप से दूर की जायँ या यदि अदालत सुविधाएँ देने और शिकायतें दूर करने में असमर्थ है, तो आपके प्रार्थी ज़मानत पर छोड़ दिए जायँ।"

दूसरा प्रार्थना-पत्र

इसके अतिरिक्त एक और प्रार्थना-पत्र अभियुक्त धन्वन्तरि और भागीरथलाल की ओर से पेश किया गया। उसमें यह प्रार्थना की गई थी कि अदालत में क्रान्तिकारी नारे लगाने के लिए अभियुक्तों को सज़ा के तौर पर जो काल-कोठरियों में रक्खा गया है, उसमें रोशनी देने का हुक्म दिया जाय, अभियुक्तों को आपस में परामर्श करने के लिए काफ़ी समय दिया जाय और प्रार्थियों के काग़ज़ात तथा उनकी चीज़ों को सुरक्षित रूप से रखने के लिए आज्ञा दी जाय।

सफ़ाई के काग़ज़ात की भी तलाशी

अभियुक्त धन्वन्तरि ने एक अलग प्रार्थना-पत्र में निम्न-लिखित अभियोग और उपस्थित किए :—

"यह कि जब आपके प्रार्थी अदालत में रहते हैं, उनके काग़ज़ात की नक़ल और उनके सफ़ाई के अन्य काग़ज़ात उनकी अन्य चीज़ों के साथ काल-कोठरियों में ही रहते हैं।

यह कि रविवार के दिन जिन बैरकों में आपके प्रार्थी काल-कोठरियों में जाने से पहले रोके गए थे और जहाँ कि अब भी सफ़ाई के काग़ज़ात तथा अन्य चीज़ें पड़ी हुई हैं, उनकी आपके प्रार्थियों की अनुपस्थिति में जेल-अधिकारियों द्वारा तलाशी ली गई।

यह कि विद्याभूषण की एक फ़ाइल, जिसमें सफ़ाई के काग़ज़ात तथा जिरह के नोट थे और जो उपर्युक्त बैरक में पड़ी थी; वहाँ नहीं मिल रही है।

यह कि अब काल-कोठरियों में पड़े हुए काग़ज़ातों के खो जाने का भय है, क्योंकि इस बात का ख़तरा है कि जेल-अधिकारी उनमें पड़ी हुई उन चीज़ों में आपके प्रार्थियों की अनुपस्थिति में दख़लन्दाज़ी करेंगे।"

अदालत का फ़ैसला

पहले प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में अदालत के प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि यह बात अदालत के अधिकारों के बाहर की है; क्योंकि इससे ऑर्डिनेन्स को पास करने के वायसरॉय के अधिकारों पर चैलेञ्ज होता है। डॉ० किचलू ने सफ़ाई की ओर से कहा कि यह वायसरॉय के अधिकारों पर चैलेञ्ज करना नहीं है, बल्कि क़ानून पर चैलेञ्ज है। उन लोगों का ख़्याल है कि क़ानून बनाने की कोई आवश्यकता न थी। उन लोगों की यह इच्छा है कि यह मामला वायसरॉय की जानकारी में लाया जाय, ताकि ऑर्डिनेन्स वापस लिया जा सके।

दूसरे प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि उसमें के कुछ पैराग्रॉफ़ सन्दिग्ध हैं। इस बात को डॉ० किचलू ने भी स्वीकार किया। अन्त में प्रेज़िडेण्ट ने कहा कि सब प्रार्थना-पत्रों पर २६ नवम्बर को विचार होगा।

वकील की शिकायत

इसके बाद जब डॉ० किचलू से कहा गया कि वे कैलाशपति से जिरह शुरू करें, तो डॉ० किचलू ने बतलाया कि चूँकि उन्हें जेल में अभियुक्तों से मिलने की आज्ञा नहीं दी गई, इसलिए उन्हें ठीक-ठीक हिदायतें अभियुक्तों से नहीं मिल सकीं। उन्होंने अदालत को यह भी बतलाया कि आज जेल में कुछ कहा-सुनी हो गई थी, क्योंकि अभियुक्तों को गन्दी तौलियाएँ दी गई थीं और हरकेश नामक अभियुक्त ने अदालत में भी आने से इन्कार कर दिया था, किन्तु बड़ी मुश्किलों से वह अदालत में लाया गया। उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि न्याय के नाम पर वकीलों को अभियुक्तों से परामर्श करने दिया जाय। अदालत ने इस अनुरोध को स्वीकार किया और दूसरे दिन अभियुक्तों से मुलाक़ात कराने का प्रबन्ध किया गया।

वात्सायन की यह प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई कि प्रार्थना-पत्रों पर विचार करने तक के लिए मुक़दमे की कार्यवाही स्थगित रक्खी जाय।

विद्याभूषण की भी यह प्रार्थना नामञ्ज़ूर कर दी गई कि अभियुक्तों को सज़ा से बचने के लिए जजों के सामने क्रान्तिकारी नारे लगाने दिया जाय।

चन्द्रावती के अभियोग

इसके बाद कैलाशपति से जिरह आरम्भ हुई। उसने कहा कि—"जेल में मुझसे मुलाक़ात करते वक़्त चन्द्रावती अपने सम्बन्ध में और अपने प्राइवेट मामलों तथा कष्टों के सम्बन्ध में मुझसे बातें किया करती थी। उसने मुझसे कभी किसी पुलिस-अफ़सर द्वारा सतीत्व भङ्ग करने के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की। जब वह हिरासत से छूटी, तो उसने मुझसे कहा कि हिरासत में लाला नन्दकिशोर डी० एस० पी० ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था और वह इस सम्बन्ध में शिकायत करना चाहती थी। मैंने उसे सलाह दी कि वह इस मामले को मि० पील के सामने उपस्थित करे। मुझे उसकी यह शिकायत सुन कर अधिक कष्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं जानता था कि यह तो पुलिस-अफ़सरों की आदत ही है। मैं अब भी उससे प्रेम करता हूँ और उसके लिए; यदि आवश्यकता हो, तो त्याग करने को भी तैयार हूँ।"

मुख़बिर कैलाशपति की प्रेम-कहानी

कैलाशपति ने कहा कि—"मैं जब पुलिस की हिरासत में था, उस वक़्त मैंने 'प्रेम के तत्व' पर एक लेख लिखा था, उस लेख की हस्त-लिपियों को कुछ और काग़ज़ात के साथ मैंने उसके पास रखने के लिए भेज दिया था।" इस पर डॉ० किचलू ने उपर्युक्त हस्त-लिपियाँ कैलाशपति को दीं और उन्हें उसने अदालत के सामने पढ़ सुनाया। उसने यह स्वीकार किया कि वह लेख लिखते समय प्रेम के भावों में अवश्य विचरण करता रहा होगा। यह तो प्रेम के सिद्धान्त का साधारण नियम है, और वह चन्द्रावती को लक्ष्य कर नहीं लिखा गया था। डॉ० किचलू ने कैलाशपति से पूछा कि चन्द्रावती के प्रति तुम्हारा प्रेम अज्ञात प्रेम था, अन्धा प्रेम था या बन्दरों का सा प्रेम था (इन तीनों प्रकार के प्रेम की परिभाषा कैलाशपति के लेख में की गई थी)। उसने कहा कि मैंने चन्द्रावती के प्रति अपने प्रेम के सम्बन्ध में इन पहलुओं पर विचार नहीं किया था और यह कि मैं उस प्रेम को पसन्द करता हूँ, जो अनारकली और बादशाह जहाँगीर के बीच में था।

कैलाशपति ने अदालत को बतलाया कि क्रान्तिकारी दल के सङ्गठनकर्ता के लिए भारत का इतिहास जानना आवश्यक है।

पति का दुर्व्यवहार

कैलाशपति ने कहा कि—"चन्द्रावती ने मुझसे कभी अपने पति के दुर्व्यवहारों के सम्बन्ध में शिकायत नहीं की। एक दिन उसने मुझसे कहा था कि उसको अपने बच्चे को पति द्वारा मार खाने से बचाने का प्रयत्न करते हुए कुछ चोट लगी थी और यह झूठ है कि उसने मुझसे यह कहा था कि उसके पति ने उससे यह पूछते हुए कि यह बच्चा उसने किससे और कैसे पाया, मारा था।

"लाहौर में मैं राजबलीप्रसाद के नाम से रहता था। उस वक़्त तक मैं न चन्द्रावती और न राजबलीसिंह को जानता था।"

आगे चल कर उसने कहा कि उसकी पार्टी की केन्द्रस्थ कमिटी के मेम्बरों की संख्या ५ से ७ तक थी।

मैंने कोई प्रान्तीय कमिटी नहीं बनाई थी। वायसरॉय की गाड़ी पर हमले के पहिले करसिया गार्डेन की मीटिङ्ग में केन्द्रस्थ कमिटी के तीन सदस्य आज़ाद, वीरभद्र तिवारी और स्वयं मैं उपस्थित थे। चूँकि दिल्ली में कोई ज़िला-कमिटी न थी, सब ज़िम्मेदारी प्रान्तीय प्रचारक की हैसियत से मुझ पर थी। मेरा काम हथियार, अस्त्र-शस्त्र के सामान, बम-शेल, बारूद आदि इकट्ठा करना था और इसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से केन्द्रस्थ कमिटी के सामने उत्तरदायी था।

पार्टी से विश्वासघात

इसके बाद कैलाशपति ने अपने द्वारा प्रान्तीय प्रचारक की हैसियत से किए जाने वाले कामों की पारिभाषिक बातों पर प्रकाश डाला। उसने कहा कि किसी आदमी को मेम्बर बनाने के पहिले मैं उसे पक्का कर लेता था और उसको वे सारी दिक़्क़तें बतला देता था, जो पार्टी के मेम्बरों के मार्ग में आया करती हैं, साथ ही पुलिस द्वारा कष्ट और प्रलोभन आदि के सम्बन्ध में बतला देता था। उसने कहा कि मैं नए मेम्बरों को आगाह कर देता था कि अगर वे पार्टी के साथ विश्वासघात करेंगे, तो वे मार डाले जायँगे।

उसने कहा—मैं इस बात का अवश्य अनुभव करता हूँ कि जो वादे मैं अपने भर्ती किए हुए लोगों से कराया करता था, मैंने स्वयं उन्हें तोड़े। यह भी कहा जा सकता है कि मैंने पार्टी के साथ विश्वासघात किया।

संसार की सभ्यता

आगे चल कर उसने कहा कि—"संसार की सभ्यता में भारत ने संसार को वैदिक सभ्यता भेंट की, जिसका आधार अध्यात्मवाद है, जबकि पश्चिमी सभ्यता का आधार पार्थिववाद है। उसने कहा कि मेरी पार्टी के सामने उसका स्पष्ट रूप न था और वह वैदिक सभ्यता के विरुद्ध न थी। मेरी पार्टी का शीघ्र ध्येय पार्थिववाद पूँजीपतियों के स्थान पर श्रमजीवियों का संस्थापन था। मैं नहीं कह सकता कि वैदिक सभ्यता ने भारत को क्या लाभ पहुँचाया। मैंने ईसाई सभ्यता का अध्ययन नहीं किया है और न मैंने वैदिक सभ्यता का ही नियमित रूप से अध्ययन किया है।"

इतिहास का ज्ञान

उसने कहा—"मैं यह स्वीकार करता हूँ कि लेनिन और मार्क्स द्वारा प्रचारित साम्यवाद ही यथार्थ है और वे ही दोनों साम्यवाद के सम्मानित नेता थे। मेरी पार्टी के कार्यक्रम में अध्यात्मवाद के लिए स्थान न था। वैदिक सभ्यता वर्ण-व्यवस्था के आधार पर स्थित है, जिसमें मेरा विश्वास नहीं है, क्योंकि यह साम्राज्य के लिए भयावह है। मैं जानता हूँ कि महात्मा गाँधी सदृश कॉङ्ग्रेस के बड़े-बड़े नेता वर्ण-व्यवस्था के विरुद्ध हैं, पर मैं यह नहीं कह सकता कि भारत के किसी दल या संस्था ने उस व्यवस्था को नष्ट करने का प्रयत्न किया हो। मैं जहाँ तक अध्यात्मवाद का सम्बन्ध है, वैदिक सभ्यता में विश्वास करता हूँ।

इस समय रायबहादुर कँवरसेन ने डॉ० किचलू से पूछा कि क्या आप मुख़बिर के इतिहास के ज्ञान की परीक्षा ले रहे हैं? डॉ० किचलू ने उत्तर दिया कि यह प्रश्न क्रान्तिकारी दल के नियमोपनियम में से उठ खड़ा हुआ है।

बहस समाप्त नहीं हो पाई थी कि अदालत तीसरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई।

गुरुवार २६ नवम्बर, १९२६ को दिल्ली-षड्यन्त्र केस के सम्बन्ध में विशेष अदालत ने अभियुक्तों की ओर से गत २४ नवम्बर को उपस्थित किए गए प्रार्थना-पत्रों का मामला पेश हुआ। अभियुक्तों के वकील डॉ० किचलू ने प्रार्थना-पत्र का समर्थन करते हुए एक्ज़ेकेटिव अधिकारियों (विशेषतः पुलिस) पर भीषण अभियोग लगाए। उन्होंने कहा कि वायसरॉय का ऑर्डिनेन्स बम की भाँति आ पड़ा और जजों, सफ़ाई के वकीलों तथा मुक़दमा चलाने वालों तक से बिना परामर्श किए वह जारी कर दिया गया।

प्रार्थना-पत्र को पेश करते हुए डॉ० किचलू ने प्रार्थना-पत्र की गम्भीरता का ज़िक्र किया और कहा कि उसमें अभियुक्तों और सफ़ाई के मार्ग की अनेक बाधाओं का वर्णन किया गया है। डॉ० किचलू ने सफ़ाई-पक्ष के विरुद्ध प्रायः लगाए जाने वाले इस अपराध का तीव्र विरोध किया कि सफ़ाई वाले मुक़दमे को अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं और अदालत को यह विश्वास दिलाया कि अभियुक्तों और सफ़ाई-पक्ष वालों की यह बहुत इच्छा है कि मुक़दमे को कार्यवाही प्रतिदिन हो।

डॉ० किचलू ने न्याय और ईमानदारी के नाम पर अदालत से अपील की कि वह सब प्रकार की बाधाएँ, दिक़्क़तें और तकलीफ़ें अभियुक्तों पर से हटा दें। उन्होंने कहा कि पुलिस उन लोगों को अभियुक्तों से न मिलने देकर तङ्ग करती है। इसके पहिले अभियुक्तों को बहुत-सी सुविधाएँ थीं और जेल के अन्दर तथा उसके बाहर नारे लगाने और गाना गाने में किसी प्रकार का एतराज़ नहीं किया जाता था।

इसके बाद एक समझौता हुआ और जेल में ये बातें बन्द कर दी गईं। उन्होंने कहा कि विमलप्रसाद के अतिरिक्त—जिसकी शिकायत न्यायोचित थी—किसी भी अभियुक्त के जान-बूझ कर मुक़दमे की कार्यवाही में देर लगाने की एक भी मिसाल नहीं दी जा सकती। इसके अलावा विमलप्रसाद स्वयं अदालत में आए और उन्होंने भी अपने साथियों द्वारा अदालत को सूचित कर दिया कि उनमें अदालत के प्रति कोई अपमान का भाव नहीं है।

फूलचन्द, जो विमलप्रसाद के रिश्तेदार और सफ़ाई-कमिटी के सदस्य थे, जो बहुधा विमलप्रसाद से मिलने आया करते थे और जिनके विरुद्ध पुलीस वालों तथा जेल-अधिकारियों को कोई शिकायत न थी, एकाएक उनका विमलप्रसाद से मिलना बन्द कर दिया गया।

डॉ० किचलू ने कहा कि मुझे मालूम हुआ है कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह जानने की परवा न थी कि अभियुक्तों से कौन मुलाक़ात करने आता है। उन्होंने कहा कि यह पुलीस वाले ही थे, जो यह चाहते थे कि फ़लाँ आदमी से मुलाक़ात न कराने दी जाय। उन्होंने कहा कि मैंने अदालत से यह प्रार्थना की थी कि जल-पान के समय में बातचीत करने की आज्ञा दी जाय, क्योंकि इसी तरह के अन्य मामलों में ऐसी बातचीत होने दी गई है।

मुलाक़ातों में बाधा

डॉ० किचलू ने कहा कि एक्ज़ेकेटिव अधिकारी सीधे वायसरॉय के पास पहुँचे और मुझे नहीं मालूम कि अदालत से इस मामले में राय ली गई है। अदालत और फ़रीक़ैन की ओर से यह दरियाफ़्त करना चाहिए था कि इस प्रकार के ऑर्डिनेन्स पास करने की क्या आवश्यकता थी। उन्होंने कहा कि वायसरॉय या किसी भी उच्च अधिकारी के प्रति मुझसे तनिक भी अपमान का भाव नहीं है, किन्तु मुझे उनके कार्यों की आलोचना करने का विधानात्मक अधिकार है।

आगे चल कर डॉ० किचलू ने अदालत को बतलाया कि जेल-नियमों के अनुसार जेल के अधिकारी विचाराधीन क़ैदियों को उनके मित्रों, रिश्तेदारों और सफ़ाई के वकील से बातचीत कराने से इन्कार नहीं कर सकते।

रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि क्या जेल-मैनुअल की दफ़ा २४८ के अनुसार मुलाक़ातें नहीं रोकी जा सकतीं? इसका उत्तर देते हुए डॉ० किचलू ने कहा कि कुछ मामलों में जेल-अधिकारियों को अपने विवेकपूर्ण अधिकारों का प्रयोग करना होता है।

तदनन्तर डॉ० किचलू ने कहा कि जेल के अधिकारियों को विचाराधीन क़ैदियों के सम्बन्ध में अदालत के हुक्मों पर चलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पहिले मुलाक़ातों पर किसी प्रकार की बाधा न थी। इसके बाद रविवार और बैङ्क की छुट्टी के दिनों उनकी मुलाक़ातें बन्द की गईं और अब उनके वकील भी उनसे किसी वक़्त नहीं मिल सकते।

उन्होंने कहा कि जेल के अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं है कि वे सप्ताह में किसी भी दिन इस प्रकार कोई रोक लगा सकें।

अधिकारों का प्रश्न

रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि क्या मुलाक़ातें रोक देना अभियुक्तों को एक प्रकार की सज़ा है? डॉ० किचलू ने जवाब दिया कि जेल-मैनुअल में इस तरह को सज़ा का हुक्म नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बल्कि सफ़ाई के वकीलों को सज़ा देना है। उन्होंने कहा कि जेल-अधिकारियों की ज़िम्मेदारी उस वक़्त समाप्त हो जाती है, जब वे विचाराधीन क़ैदियों को पुलीस के हवाले कर देते हैं और पुलीस वाले अदालत के प्रति ज़िम्मेदार हैं। अदालत की ज़िम्मेदारी कहीं भी समाप्त नहीं होती, जेल के अन्दर भी नहीं होती।

जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दर-अली ख़ाँ सिर्फ़ पिछले कुछ दिनों से अदालत में आ रहे थे, इसलिए यह प्रश्न उठा कि वह क्या जजों की आज्ञा से अदालत में आते हैं या पुलीस की आज्ञा से। उन्होंने कहा कि अभियुक्त अदालत की लिखित आज्ञा से लाए जाते हैं और कुछ कार्रवाई मुझे असाधारण मालूम होती है। डॉ० किचलू ने अदालत से अनुरोध किया कि वह कोई ऐसा तरीक़ा निकाले, जिससे सब बातें ख़ूबसूरती से होती जायँ।

रायबहादुर कँवरसेन—क्या आप मुक़दमे को ख़ूबसूरती के साथ चलाने के लिए नारों का लगाना नहीं रोक सकते?

डॉ० किचलू—हम लोगों ने एक समझौता करा दिया है कि जेल के अन्दर न गाने गाए जायँगे और न नारे लगाए जायँगे।

मि० ह्वाइट—क्या यह न्यायोचित न होगा कि अदालत में भी नारे न लगाए जायँ?

अभियुक्तों पर जेल-अधिकारियों के अधिकार सम्बन्धी बहस के दौरान में रायबहादुर कँवरसेन ने पूछा कि जिस वक़्त अभियुक्त एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं, उस वक़्त उनके व्यवहारों के लिए कौन ज़िम्मेदार है? डॉ० किचलू ने कहा कि इसके बारे में कोई नियम नहीं है और इसका निर्णय अभी होना है।

अन्य शिकायतें

डॉ० किचलू ने अन्य शिकायतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि आस-पास इतनी ज़्यादा पुलिस रहती है कि उसका गवाहों की विवेक-बुद्धि पर प्रभाव अवश्य पड़ता है।

उन्होंने अदालत को इस बात से भी आगाह किया कि जेल के अन्दर हथियारबन्द फ़ौजियों का रहना जोश पैदा करेगा और बातें क़ाबू से बाहर हो सकती हैं।

डॉ० किचलू की अन्य शिकायतें यह थीं कि सफ़ाई के वकीलों की चिट्ठियाँ रोकी जाती हैं, अभियुक्तों से मुलाक़ात करने वालों के मकानों की तलाशियाँ ली जाती हैं और उन्होंने यह भी कहा कि क्रान्तिकुमार

नामक एक व्यक्ति, जो लाहौर से आया था और लाहौर-सफ़ाई कमिटी का सदस्य है, पुलीस द्वारा गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद में छोड़ा गया। उन्होंने कहा कि यदि एक्ज़ेकेटिव अधिकारी साधारण कार्यवाहियों से सन्तुष्ट नहीं हैं, तो वे दूसरा ऑर्डिनेन्स क्यों न जारी करा दें। डॉ० किचलू ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सफ़ाई के वकीलों पर हर प्रकार की बाधा डालना वकीलों का और उनके पेशे का अपमान है।

काल-कोठरी की सज़ा

अन्त में डॉ० किचलू ने कहा कि यदि जेल के अधिकारी अदालत की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो अदालत को चाहिए कि वह अभियुक्तों को ज़मानत पर छोड़ दे।

उन्होंने और भी अन्य शिकायतों का ज़िक्र किया और उनकी बहस समाप्त होने पर अदालत दूसरे दिन के लिए मुल्तवी हो गई।

ख़बर है कि अभियुक्त क्रान्तिकारी नारे लगाने और गाना गाने के कारण काल-कोठरी की सज़ा भुगत रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा जाता है कि पहिले उन्हें तीन दिनों की काल-कोठरी की सज़ा दी गई थी, बाद में चार दिनों की फिर दी गई और उसके बाद १० दिनों की कर दी गई।

शुक्रवार, २७ नवम्बर को मुक़दमे की कार्यवाही आरम्भ होने पर अभियुक्त वात्सायन ने अभियुक्तों की ओर से उपस्थित किए गए प्रार्थना-पत्र पर बहस की।

उन्होंने तीन बातों पर ज़ोर दिया :—

(१) यह कि जेल में अभियुक्तों की हिरासत पर अदालत का अधिकार है। जेल के अधिकारियों को बिना सज़ा दिए गए क़ैदियों को काल-कोठरी में रखने का कोई अधिकार नहीं है, अभियुक्त बिना अदालत के हुक्म के जेल-अधिकारियों द्वारा एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते।

(२) यह कि अदालत जाते समय अभियुक्त जेल-अधिकारियों के अधिकार में नहीं रहते, बल्कि वे पुलिस के अधिकार में रहते हैं। उन्होंने लाहौर-केस का उदाहरण दिया, जहाँ कि यद्यपि मुक़दमा जेल के अन्दर ही होता है, किन्तु नारे लगाए जाते हैं और कोई भी जेल-अधिकारी अदालत के अन्दर नहीं आने पाता।

(३) यह कि जेल के अधिकारियों को यह मन्शा है कि अभियुक्त इस बात के लिए बाध्य हों कि वे अदालत में उपस्थित न हों।

वात्सायन ने कहा कि जेल-मैनुअल में जेल के सुपरिण्टेण्डेण्ट को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वह विचाराधीन क़ैदियों को काल-कोठरी की सज़ा दें और न यही अधिकार है कि वह अभियुक्तों को अलग काल-कोठरी की सज़ा बराबर बढ़ाते जायँ। तीन दिनों की अलग काल-कोठरी की सज़ा के बाद जेल-मैनुअल के अनुसार अभियुक्तों को तीन दिन एक साथ रखने के बाद तब दुबारा सज़ा दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि क़ानून यह है कि विचाराधीन क़ैदी जेल-अधिकारियों की निगाह के सामने मुलाक़ात करें, किन्तु वे इतनी दूर पर रहें कि जेल-अधिकारी उनकी बातें सुन न सकें। उन्होंने कहा कि अभी तक अभियुक्तों को कोई ऐसी मुलाक़ात नहीं करने दी गई, जो जेल-अधिकारियों के सुनने से परे रही हो।

पत्र-व्यवहार पर सेन्सर

इसके बाद वात्सायन ने यह शिकायत की कि अभियुक्तों को टिकट, पोस्टकार्ड और लिफ़ाफ़े, बहुत कम संख्या में दिए गए हैं और उन पर भी जेल की मुहर लगी रहती है। उन्होंने कहा कि यह इस अभिप्राय से किया गया कि उनके पत्र आसानी से सेन्सर किए जा सकें। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पत्र जेल-अधिकारियों द्वारा सी० आई० डी० के दफ़्तर में भेजे गए और वे डिस्पैच रजिस्टर में तथा चपरासी की किताब में चढ़ाए गए और उनके प्राप्त होने का हस्ताक्षर भी मँगाया गया। यह पूछने पर कि ये बातें मालूम कैसे हुईं, वात्सायन ने कहा कि मैं यह भेद नहीं खोल सकता। मगर जज लोग इस मामले में स्वयं अपना इतमीनान कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि जेल-सुपरिण्टेण्डेण्ट कोई भी मुलाक़ात नहीं रोक सकते और अगर वह ऐसा करते हैं, तो उनको ऐसा करने का कारण जेल-जर्नल में लिखना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों ने मुलाक़ात करने वालों की तलाशियों पर एतराज़ नहीं किया, किन्तु साथ ही सभी सलाहकारों और रिश्तेदारों को बिना किसी प्रकार की रोक के मिलने देना चाहिए, रोक केवल समय और जगह की लगाई जा सकती है।

उन्होंने प्रश्न किया कि जेल के असिस्टेण्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट मियाँ सफ़दरअली ख़ाँ क्यों प्रतिदिन अदालत में आते हैं?

वात्सायन का दूसरा आरोप यह था कि यह बात घोषित कर दी गई है कि अभियुक्तों के साथ बी-क्लास के क़ैदियों का व्यवहार हो रहा है, किन्तु जो खाना उनको दिया जाता है, वह उसके आधे के समान भी नहीं होता, जैसा क़ायदे के अनुसार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के दिनों में नींबू आदि चीज़ें दी जाने की आज्ञा जेल-मैनुअल में है, किन्तु नए प्रबन्ध के अनुसार वे भी रोक दी गई हैं।

जेलों के इन्सपेक्टर जनरल ने यह सिफ़ारिश की थी कि अभियुक्तों को ठीक-ठीक कपड़े दिए जायँ, पर उस सम्बन्ध में भी अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

वात्सायन ने अपनी बहस के अन्त में इस बात की चुनौती दी कि अभियुक्तों के साथ न्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि जेल और एक्ज़ेकेटिव अधिकारियों के बीच चलने वाले पत्र-व्यवहार से स्पष्ट मालूम होता है कि जेल-अधिकारी चाहते हैं कि अभियुक्तों के लिए बातें असम्भव हो जायँ।

दूसरा प्रार्थना-पत्र

सफ़ाई के जूनियर वकील सरदार रघुवीरसिंह ने दूसरा प्रार्थना-पत्र उपस्थित किया और कहा कि काल-कोठरियों में रखना, अभियुक्तों को मिलने वाली रोशनी का नाकाफ़ी होना और अभियुक्तों की चीज़ों का सुरक्षित रूप से न रहना, सब ग़ैर-क़ानूनी हैं।

उन्होंने कहा कि मालूम होता है कि जेल-अधिकारी संसार के इस सत्य की भी अवहेलना करते हैं कि आदमी एक सामाजिक जीव है और उन लोगों ने अभियुक्तों को काल-कोठरियों में रक्खा। उन्होंने कहा कि अभियुक्त विद्याभूषण की कोठरी की तलाशी के कारण उनके काग़ज़ात की एक महत्वपूर्ण फ़ाइल खो गई।

सरकारी वकील की बहस

सफ़ाई के वकील और अभियुक्तों द्वारा कही गई बातों का खण्डन करते हुए सरकारी वकील चौधरी अमीनउद्दीन ने दूसरे पक्षवालों द्वारा समस्त एक्ज़ेकेटिव की निन्दा करने के अनौचित्य का ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि ख़ास मिसालें दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि सफ़ाई, अदालत और जेल में क्या समझौता हुआ था, किन्तु अब अभियुक्तों और सफ़ाई-पक्ष पर निर्भर है कि वे अपने समझौतों को त्याग दें और क़ानून के अनुसार कार्य करें।

उन्होंने कहा कि विमलप्रसाद जैन के मामले को बहुत महत्व दिया गया है, किन्तु अदालत को मैं स्मरण दिलाता हूँ कि अभियुक्त ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसे अदालत या जेल के अधिकारियों में कोई विश्वास नहीं है। अगर उसने अपनी तकलीफ़ें बतलाई होतीं, तो उसकी शिकायतें दूर कर दी जातीं। वह जेल में चुपचाप और बिना किसी वकील के बैठा था और अदालत में लगाए गए आरोप किम्वदन्ती हैं।

सरकारी वकील ने कहा कि अदालत का अभियुक्तों पर पूर्ण अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरा आशय अदालत का किसी प्रकार का अपमान नहीं है, किन्तु अदालत के अधिकार और नियन्त्रण की कुछ क़ानूनों में व्याख्या की गई है। उन्होंने कहा कि अभियुक्तों को अदालत भेजने के वक़्त अभियुक्त अदालत के अधिकार में नहीं रहते, बल्कि जेल-अधिकारियों के अधिकार में रहते हैं और उस बीच में वे वैसे ही समझे जायँगे, जैसे जेलख़ाने में समझे जाते हैं। पुलिस या कोई भी दूसरी हिरासत केवल जेल-अधिकारियों को सहायता देती है। अब तक कोई जेल का अधिकारी अदालत क्यों नहीं आता था, इसका कारण यह है कि अब तक इस तरह का कोई सवाल नहीं उठा था।

सरकारी वकील ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर जेल का अफ़सर अदालत में मौजूद रहे, तो उसका पूरा नियन्त्रण रहता है। जेल-अफ़सर की उपस्थिति में अगर जज लोग मौजूद भी हों, तो अभियुक्त जेल के ही नियम के अन्दर रहते हैं। अदालत का भी उन पर अधिकार है और उसे यह भी अधिकार है कि वह देखे कि जेल का अफ़सर क़ानून के अनुकूल आचरण करता है। जेल का अफ़सर जेलों के इन्सपेक्टर जनरल की मातहत में रहता है और अदालत उसे किसी प्रकार बाध्य नहीं कर सकती। अदालत जो कुछ कर सकती है, वह यही है कि वह अभियुक्तों को जेल की हिरासत से निकाल ले और उन्हें ज़मानत पर रिहा कर दे।

उन्होंने कहा कि दरख़्वास्त बहुत सन्दिग्ध है और उसमें कोई विशेष घटना का उदाहरण नहीं है। इस वक़्त प्रधान जज ने सरकारी वकील से कहा कि उन लोगों ने उन्हें हिदायत दी थी कि ऐसे उदाहरण ढूँढ़ निकालें। इस पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके पास कोई साधन नहीं है और न उन्हें इसका अधिकार ही है कि वह वाक़यात को ढूँढ़ निकालें। प्रधान जज ने यह स्वीकार किया कि कुछ बातें सन्दिग्ध हैं, किन्तु उनमें से बहुत सी बिल्कुल स्पष्ट हैं और यह कि वह स्वयं नहीं कह सकते कि उन बातों को वह कैसे जानें।

वकील ने यह बात फिर दुहराई कि मेरा जेल पर कोई अधिकार नहीं है और मेरे लिए केवल यही मार्ग है कि प्रान्तीय सरकार से अनुरोध किया जाय, और जिसमें समय लगेगा।

इस पर प्रधान जज ने अदालत को वकील को आवश्यक बातें जानने का समय देने के अभिप्राय से सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया।

डॉ० किचलू ने अदालत से अनुरोध किया कि अभियुक्तों को मिलने वाली सज़ा रोक दी जाय, किन्तु अदालत ने उस सम्बन्ध में कोई आज्ञा नहीं दी।

इसके बाद मि० फ़रीदुलहक़ अन्सारी ने अदालत से कहा कि जैसा लाहौर-केस में हुआ है, एक वकील को हज़ारीलाल से बातें करने के लिए पटना जाने का ख़र्च दिया जाय।

(क्रमशः)

❋ ❋ ❋

[हिज़ होलीनेस श्री० वृकोदरानन्द जी विरूपाक्ष]

भला, यह जान कर किसे प्रसन्नता न होगी कि श्रीमती सरकार ने बङ्गाल से विद्रोह का बाल-बाल उखाड़ फेंकने के लिए बड़ी मज़बूती से कमर कस लिया है और लक्षणों से प्रतीत होता है कि वहाँ का सारा झाड़-झङ्खाड़ साफ़ करके उसे क़यामत तक थिरकने के उपयुक्त समतल बना कर ही वे दम लेंगी।

❀

माशा अल्लाह, अभी से चहल-पहल आरम्भ हो गई है। दल के दल आशिक़े़ज़ार दामे उल्फ़त के शिकार हो रहे हैं। मानो दौलते हुस्न का दरवाज़ा खुल गया है—जवान, बूढ़े, बाल और बनिता, सब पर समान भावेन कृपा-वारि की वर्षा हो रही है! अमाँ, इस समय 'जौ' और 'घुन' की विवेचना करने की फ़ुर्सत किसे है? अभी तो सब धानों का भाव बाईस पसेरी है।

❀

ऑर्डिनेन्स-शक्ति-सम्पन्ना आयुष्मती पुलिस अपने चिरभ्यस्त अन्दाज़े-माशूक़ाना के साथ कभी किसी व्यायाम-समिति पर चढ़ाई कर देती हैं तो कभी किसी 'स्पोर्टिङ्ग' क्लब पर टूट पड़ती हैं। आयुष्मती का नाज़ो-अन्दाज़ देख कर रूस की स्वर्गवासिनी ज़ारशाही भी निहाल हो रही है। मालूम होता है, आयुष्मती बङ्गाल के सारे नवयुवकों को एक साथ ही निहाल करके छोड़ेंगी।

❀

कॉङ्ग्रेस वालों से तो आयुष्मती की पुरानी यारी ही ठहरी। फलतः इस शुभ अवसर भला उन्हें कैसे भूल सकती थीं? इसलिए गाहे-बगाहे उन्हें भी अपने आलिङ्गन-पाश में आबद्ध करके 'नेह को नातो' निभाए जा रही हैं।

❀

एक बार हिन्दुओं के देवताओं ने अपना तिल-तिल भर सौन्दर्य देकर 'तिलोत्तमा' नाम की एक अपूर्व रूपवती अप्सरा की सृष्टि की थी और माशा अल्लाह, बी· तिलोत्तमा के हुस्न का जादू भी ख़ूब चलता था। वही हाल इस समय बङ्गाल की पुलिस का है। मेसर्स विलियर्स मूर एण्ड कम्पनी से लेकर विलायत के राजर्षि मण्डल अर्थात् लॉर्ड-सभा का आशीर्वाद प्राप्त करके आयुष्मती जी इस समय सर्वेसर्वा हो रही हैं। बङ्गाल की ख़ुदाई इस समय उन्हीं के हाथों में है। "वह चाहें सुमेरु को छार करैं, अरु छार को चाहें सुमेरु बनावैं!"

❀

लाट तो इस देश में एक से एक बढ़ कर तिरछे-बाँके आए, मगर मालूम होता है, जितनी सुख्याति और सुयश श्रीमान लॉर्ड वेलिङ्गडन महोदय बटोर ले जायँगे, उतनी शायद ही किसी भागवान के बाँटे पड़ी हो। अभी आपका पहला ही साल है। पाँच वर्ष के बाद जब आप इङ्गलैण्ड की ओर चलेंगे तो कबीर बाबा की यह उक्ति अक्षरशः चरितार्थ हो जाएगी :—

चिउँटो चलीं नैहर को नौ मन सिन्दूर लगाइ,
हाथी मार बगल तर रख लीं ऊँट लिहलीं लटकाई।

❀

कारण यह है कि ऑर्डिनेन्स जारी करने में आपने मासिक अण्डे देने वाली मियाँ मदारबख़्श की मुर्ग़ियों को भी मात कर दिया है। ग्यारहवें महीने का ग्यारहवाँ ऑर्डिनेन्स अभी गत ३० नवम्बर को निकला है और माशा अल्लाह, निकलते ही चटगाँव में वह चौगान आरम्भ कर दिया है, कि ख़ुदा की पनाह!

❀

इस ऑर्डिनेन्स में त्याग, वैराग्य और मुक्ति सब कुछ है। इस ऑर्डिनेन्स के अनुसार श्री० जगद्गुरु के सोंटे पर भी सखा का बपौती अधिकार है। पुलिस और पल्टन चाहे जिससे जो काम करा सकती है और एक-दो अपराध के लिए महल्ले और गाँव भर को दण्ड दिया जा सकता है। फाँसी, जेल, जुर्माना आदि किसी बात की कमी नहीं। बस, एक वाक्य में समझ लीजिए एक यह ऑर्डिनेन्स 'मार शियाल' (Martial Law) का भी बाबा है।

❀

फलतः चटगाँव वालों को अब वैतरणी पार की ज़रा भी चिन्ता न रहेगी। दो-चार पुण्यात्माओं का पुण्य-बल ही सारे ज़िले के अधिवासियों को स्वर्गधाम पहुँचा देने के लिए काफ़ी होगा। न गोदान की आवश्यकता होगी, न तुलादान की। महाराज यमराज को भी अपने स्वर्ग-साम्राज्य की आबादी के लिए महामारी और प्लेग भेजने की आवश्यकता नहीं।

❀

चटगाँव में पूरी 'प्रेक्टिस' कर लेने के बाद इस ऑर्डिनेन्स की दुन्दुभी सारे बङ्गाल में बजेगी, श्रीमती नौकरशाही का राज्य हिमालय की तरह अटल-अचल हो जायगा और विलियर्स तथा मूर की सन्तान अनन्त काल तक भारत के विशाल वक्षस्थल पर 'क्रिकेट और फ़ुटबॉल' खेलती रहेगी।

❀

इसके बाद बारहवें 'कुमार' की बारी है और दिल्ली की धात्रियों के मतानुसार ये भी गर्भ में आ गए हैं। इनका शुभ नाम शायद 'किसान-नाथ' होगा। क्योंकि इनकी उत्पत्ति मुख्यतः संयुक्त प्रान्त के किसानों को ही भव-बन्धन से विमुक्त करने के लिए होगी। इसलिए ये शायद जन्मते ही किसान-मेध आरम्भ करेंगे।

❀

इस मुख्य काम के अलावा इनके ज़िम्मे कुछ गौण कार्य भी होंगे। जैसे, लालकुर्ता आन्दोलन का दमन, विदेशी वस्त्र पर से पिकेटिङ्ग निवारण और अपने देशवासियों को ब्रिटिश राज्य की सुधा (शराब) से वञ्चित करने वालों की ख़बर लेना। बस, इनके जन्मते ही भारतवासी ऐसे पुलकित हो जाएँगे, कि विलायती वस्त्र की गाँठ देखते ही मधुमक्खी की तरह उस पर टूट पड़ेंगे।

❀

अब वैष्णवों को चाहिए कि कण्ठी-माला खूँटी पर टाँग कर भगवती बोतल-वासिनी की आराधना आरम्भ कर दें और चेलों को भी हिदायत कर दें कि बाबा, यह ऑर्डिनेन्स युग है, इस युग में शराब न पीना, विलायती वस्त्र न पहनना या इन दोनों के व्यवहार के लिए किसी को मना करना अपराध—दण्डनीय अपराध है!

❀

महिष खाइ करि मदिरा पाना।
गरजा कुम्भकरन बलवाना॥

बाद मुद्दत के, उस दिन कलकत्ते के 'ग्राण्ड होटल' में तुलसी बाबा की इस उक्ति की पुनरावृत्ति सुन कर अपने राम का कर्ण-कुहर सार्थक हो गया। वास्तव में जब 'खान' के साथ 'पान' का संयोग हो जाता है तो 'दून' के बजाय 'चौगुन' की सूझ जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं।

❀

क़िस्सा यह है, कि उस दिन उपर्युक्त ग्राण्ड होटल के भैरवी चक्र में कैलिडोनिया के विख्यात साधु पुरुष सेण्ट ऐण्ड्रयूज़ का सांवात्सरिक श्राद्ध था। श्वेत और रतनारे महापात्रों की महामण्डली जुड़ी हुई थी। स्वयं बङ्गेश्वर बहादुर चक्राधीश के आसन पर सुशोभित थे। ह्विस्की-सिञ्चित-जिह्वा द्वारा उच्चरित 'विप्लवी-कुल उत्सादय, उत्सादय स्वाहा' ध्वनि से गगन-मण्डल गूँज उठा था।

❀

ह्विस्कीपूर्ण चषक (प्याला) द्वारा पूर्णाहुति प्रदान करके चक्रेश्वर जी बोले—साधक वृन्द, तुम्हारी साधना सफल हो गई। महामहिम अलमाइटी—सर्व शक्तिमान् गवर्नर जनरल देव की अनुकम्पा से एकादशी-ऑर्डिनेन्स-कृत्या* का आविर्भाव हो चुका है। बस, आप लोग अनन्त काल तक चैन की वंसी बजाते रहिए।

❀

यह भीमा-भयङ्करी कृत्या विप्लववाद के साथ ही साथ देश-प्रेम का ठूँठ जड़ तक चाट जायगी। महा-प्रभु ऑर्डिनेन्साचार्य ने इसे अमोघ और अप्रतिम शक्ति प्रदान की है। इसकी आँखें अप्रतिहत शक्ति रूपी आसव से लाल हैं। इसके एक हाथ में सिविल और दूसरे में मिलिटरी शक्ति मौजूद है। इसके मस्तक पर स्पेशल ट्रिब्यूनल का वरद पाणि रहेगा, इसके श्रवण युगल गुप्तचर-विभाग और इसके पादद्वय पेषण-यन्त्र-स्वरूप होंगे। तुम लोग इस देवी की बन्दना करो!!

❀

समस्वर से ध्वनि उठी—'हिप-हिप हुर्रे!' जय ऑर्डिनेन्स-कृत्या की जय। आलमाइटी गवर्नर की जय! जय विलियर्स-मूर गोष्ठी की! इस ऑर्डिनेन्स कृत्या की कृपा से बङ्गाल में शान्ति की मन्दाकिनी प्रवाहित होगी। बङ्गालियों के दिलों में ब्रिटिश-साम्राज्य-प्रेम का तूफ़ान उठेगा और यह घर में गौराङ्ग महाप्रभु के सबूट चरणों की आराधना आरम्भ होगी। फलतः श्रीजगद्गुरु की ओर से भी—'हिप-हिप हुर्रे!'

*तान्त्रिकों की शत्रु-विनाशिनी देवी या राक्षसी।

❀ ❀ ❀

हमारी नई पहेली

फिर २५) का नक़द पुरस्कार

कृपया नीचे लिखी बातों को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लीजिए।

(अ) उत्तर 'भविष्य' में छपे हुए ख़ानों में ही भरना चाहिए। सादे काग़ज़ पर लिखे हुए उत्तर नियम-विरुद्ध समझे जायँगे और उन पर कुछ भी विचार नहीं किया जायगा।

(आ) उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। काग़ज़ पर हाथ से लिखा हुआ कूपन काम न देगा।

(इ) उत्तर देने से पूर्व पहेली पर पूर्ण विचार करके यह देख लेना चाहिए कि क्या पूछा गया है। अनेक पाठकों ने ख़ानों को ख़ाली छोड़ा है और तालिका के शब्दों के आगे उत्तर लिखे हैं। कुछ पाठकों ने केवल एक या दो ख़ाने ही भरे हैं।

(ई) 'भविष्य' के पृष्ठ के अतिरिक्त उत्तर और किसी काग़ज़ पर न लिखा हो। न कोई पत्र ही उसके भीतर रक्खा हो। कुछ पाठक लम्बे-लम्बे पत्र साथ में रख देते हैं। कुछ 'शब्दों' को समझाने और उनके लिए संस्कृत पुस्तकों आदि के उद्धरण देने में ख़ूब काग़ज़ रँग कर साथ में रख देते हैं। इन बातों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, न साथ में पुस्तकों आदि की सूची भेजने की ही आवश्यकता है। हम सफल उत्तर-दाताओं से स्वयम् ही उनकी इच्छित पुस्तकों के नाम पूछ लेंगे।

(उ) जहाँ तक हो सके, उसी लिफ़ाफ़े में कविता, लेख, मैनेजर को पत्र आदि नहीं रखने चाहिएँ। यदि रक्खे भी जायँ, तो उनके साथ प्रतियोगिता के सम्बन्ध की कोई बात न हो। पत्र पर पता इस प्रकार लिखा हो।

'भविष्य'—प्रतियोगिता विभाग,
चाँद प्रेस लिमिटेड, इलाहाबाद

याद रखिए, लिफ़ाफ़े पर व्यवस्थापक, मैनेजर या किसी व्यक्ति का नाम कदापि न लिखा हो।

(ऊ) पाठकों को अपने उत्तर की नक़ल अपने पास रखनी चाहिए, ताकि वे भविष्य में निकले हुए सही उत्तर के साथ उसे मिला सकें। 'भविष्य' की पिछली पहेली के सम्बन्ध में एक महाशय का पत्र आया है। उन्होंने लिखा है कि सम्पादक के उत्तर से उनका उत्तर अच्छा था और पौमपी यूरोप का कोई भी नगर नहीं है, अतः पुरस्कार उन्हें मिलना चाहिए। हम यहाँ पर यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस प्रकार की पहेलियों के कई उत्तर हो सकते हैं। सम्पादक के पास उनमें से एक उत्तर रहता है। उसी उत्तर के अनुसार पाठकों के उत्तरों की परीक्षा की जाती है। यदि पाठक चाहें तो वे एक से अधिक कूपन भेज सकते हैं, परन्तु प्रत्येक उत्तर के साथ 'भविष्य' में छपा हुआ कूपन अवश्य आना चाहिए। साथ ही यह भी बता देना चाहते हैं कि उत्तरों को हम कई बार सावधानी से देखते हैं। अतः इस सम्बन्ध में कोई भी पाठक हमसे किसी प्रकार की लिखा-पढ़ी न करें, न श्री० सहगल जी के नाम कोई पत्र लिखें। यदि किन्हीं को अपना उत्तर फिर दिखाना हो तो उसके लिए १) फ़ीस साथ आनी चाहिए।

प्रतीक्षा कीजिए

हमारी नई चित्र पहेली की, जो हिन्दी में एक नवीन तथा अद्भुत वस्तु होगी।

(ए) ख़ाने जब एक बार भर जायँ तो उनमें फिर कोई काट-छाँट न होनी चाहिए। ऐसा होने पर उत्तर नियम-विरुद्ध समझा जायगा। उत्तर एक बार भेज देने पर उसका संशोधन हमारे पास नहीं भेजना चाहिए।

(ऐ) 'भविष्य' में उत्तर भेजने के लिए जो अन्तिम तारीख़ छपती है, उसके बाद आने वाले उत्तरों पर विचार नहीं किया जायगा।

नई पहेली

सूचना

यही पहेली ता० १४ और ता० २१ दिसम्बर के अङ्कों में भी प्रकाशित होगी। विस्तृत विवरण तथा नियम ता० २१ दिसम्बर को प्रकाशित होंगे। कूपन सँभाल कर रख लीजिए और ता० २१ दिसम्बर के अङ्क में नियमों को पढ़ने के बाद उत्तर भेजिए। इससे पहले आए हुए पत्रों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जायगा।

यहाँ से फाड़िए

मा				एक निकट सम्बन्धी
	स			एक संख्या
प		ना		एक नगर
म	हा	रा		देशी नरेशों का एक पद
म		ह	र	मन को हरने वाला

कूपन नं० २

ग्राहक-संख्या (यदि स्थायी ग्राहक हैं)
नाम
पता

यहाँ से फाड़िए

बातचीत

एजेण्टों से—

हमें २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक निम्न-लिखित एजेण्टों का रुपया मिला है। नवम्बर मास समाप्त हो चुका है, अतएव एजेण्टों से निवेदन है कि अपनी बिक्री का रुपया शीघ्र ही १५ तारीख़ तक हिसाब के साथ [illegible] रुपया न मिलने पर कॉपी भेजना बन्द कर दिया जाएगा :—

१ मेसर्स भा० कं०, मथुरा (चेक से) ... ४०॥-)
२ मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद ... १०)
३ मेसर्स आ० न्यू० ए०, बुलन्दशहर ... १०)
४ श्री० उ० ना०, बरेली ... १०)
५ मेसर्स ल० बुक-डिपो, कलकत्ता ... २७॥=)
६ श्री० पु० दा० शुक्ला, रङ्गून ... १०
७ श्री० च० भा०, आगरा ... ११॥-)
८ श्री० ही० ला०, खण्डवा ... १०)
९ श्री० ता० च० छिन्दवाड़ा ... २५)
१० श्री० म० ला० जी, फ़तेहपुर ... १०)
११ श्री० लक्ष्मणलाल जी, झरिया ... ५॥)
१२ श्री० ना० शा० दास जी, रायपुर ... ३)
१३ श्री० एम० टी० हु०, मुँगेर ... ६)
१४ मेसर्स ल० बु० डि०, कलकत्ता ... ४६)
१५ श्री० र० न०, उन्नाव ... १४-)
१६ श्री० मं० राम० भर्ति, देहरादून ... १०)
१७ श्री० बि० प्र०, आज़मगढ़ ... ५)
१८ मेसर्स सं० व०, नजीबाबाद ... १०)

ग्राहकों से—

निम्नाङ्कित ग्राहकों के पते बदल दिए गए हैं :—

३०११ १८६५ २१२६ २६२३

निम्न-लिखित ग्राहकों को निम्नाङ्कित अङ्क दुबारा भेजे गए हैं :—

५२ वाँ १८८५
५३ वाँ १८८५, १९९२
५४ वाँ १८८५
५५ वाँ १८८५, १९९२
५६ वाँ ३२६५, २४८७, २५२०, २५५३, १८८५
५७ वाँ २९९१, ३२६५, ३०३१, २६५०, १८८५
५८ वाँ ५६७, २४८७, २५७५, ३०१५, २६४०, २०५७, २५५३।

गत २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के निम्न-लिखित नवीन ग्राहक बने हैं, जिनके नाम मय उनके चन्दे तथा ग्राहक-नम्बर के नीचे लिखे जाते हैं। ग्राहकों से प्रार्थना है कि वे अपना ग्राहक-नम्बर सदा के लिए स्मरण रक्खें तथा पत्र-व्यवहार के समय इसे लिखना कदापि न भूला करें। ताकि उचित कार्यवाही करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो :—

ग्राहक-नम्बर	नाम ग्राहक	रक़म
३२९६	श्री० ऑनरेरी सेक्रेटरी, पब्लिक लाइब्रेरी, पालवाल (गुरगाँव) ...	१०)
३२९७	श्री० देवीप्रसाद केडिया, फ़तेहपुर जयपुर स्टेट)	३॥)
३२९८	डॉ० गिरीशदेव वर्मा, नानपारा (बहराइच)	३॥)
३२९९	मेसर्स कनीराम चुन्नीलाल, अमरावती	६॥)
३३००	श्री० भूमे मुकुटसिंह मेवास, मरुदपूरा, सी० आई० ...	१२)
३३०२	मेसर्स मतराम महाबीर, पटनागढ़, सम्भलपुर	३॥)
३३०४	श्री० छेद्दूलाल ज़रगर, लहरपुर (सीतापुर)	१)
३३०५	श्री० रामकिशोर जी, रायबरेली ...	३॥)
३३०६	मेसर्स ठण्ढीराम रामचन्द्र अग्रवाल, जयापुर, (बोगरा)	६॥)
३३०७	श्री० मैनेजर महोदय, कुबजा कृष्ण कार्यालय, अन्तापाड़ा, मथुरा ...	११)
३३०८	श्री० विद्यानाथ रैगमी, उत्तर काशी, तेहरी स्टेट	२॥)
३३०९	श्री० रुद्रपालसिंह रईस, छितपालगढ़, इलाहाबाद	१२)
३३१०	श्री० सेक्रेटरी महोदय श्रीमहाराज-कुमार लाइब्रेरी अञ्जर,(बरवानी स्टेट)	१२)
३३११	श्री० लक्ष्मीचन्द कन्ट्राक्टर, निज़ामाबाद, (हैदराबाद स्टेट) ...	६॥)

गत २७-११-३१ से ३-१२-३१ तक के सप्ताह में 'भविष्य' के जिन पुराने ग्राहकों का चन्दा प्राप्त हुआ है, उनका ग्राहक-नम्बर तथा चन्दे की रक़म निम्न-प्रकार है :—

ग्राहक-नम्बर	प्राप्त रक़म
२७४७	६॥)
२७२९	६)
८९५	१२)
३०१६	३॥)
३०५०	३॥)
३००२	३॥)
३०९०	३॥)
२०३९	६॥)
१५३१	१२)

* * *

शीघ्रता कीजिए !
नहीं तो पछताना पड़ेगा !!
मूल्य लागत मात्र केवल ४) रु०
स्थायी ग्राहकों से केवल ३) रु०
व्यङ्ग-चित्रावली
यह चित्रावली भारतीय समाज में प्रचलित वर्तमान कुरीतियों का जनाज़ा है। इसके प्रत्येक चित्र दिल पर चोट करने वाले हैं। चित्रों को देखते ही पश्चात्ताप एवं वेदना से हृदय तड़पने लगेगा; मनुष्यता की याद आने लगेगी; और सामाजिक क्रान्ति की भावना प्रबल वेग से हृदय में उमड़ने लगेगी। प्रत्येक सामाजिक कुरीतियों का चित्रों द्वारा नग्न प्रदर्शन किया गया है। बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, छुआछूत, परदा-प्रथा, पण्डे-पुरोहितों तथा साधु-महन्तों के भयङ्कर कारनामे, अन्ध-विश्वास, पाखण्ड तथा आचरण सम्बन्धी नाना प्रकार की नाशकारी कुरीतियों का सजीव चित्र देखना हो तो इस चित्रावली को अवश्य मँगाइए। एकरङ्गे, दुरङ्गे, तथा तिरङ्गे चित्रों की संख्या लगभग २०० है। प्रत्येक चित्रों के नीचे बहुत ही सुन्दर पद्यमय पंक्तियों में उनका भाव तथा परिचय अङ्कित किया गया है। आज तक ऐसी चित्रावली कहीं से प्रकाशित नहीं हुई। मूल्य केवल ४); स्थायी ग्राहकों से ३)
स्मृति-कुञ्ज
नायक और नायिका के पत्रों के रूप में यह एक दुखान्त कहानी है। हृदय के अन्तःप्रदेश में प्रणय का उद्भव, उसका विकाश और उसकी अविरत आराधना की अनन्त तथा अविच्छिन्न साधना में मनुष्य कहाँ तक अपने जीवन के सारे सुखों की आहुति कर सकता है—ये बातें इस पुस्तक में अत्यन्त रोचक और चित्ताकर्षक रूप से वर्णन की गई हैं। आशा-निराशा, सुख-दुख, साधन-उत्सर्ग, एवं उच्चतम आराधना का सात्विक चित्र पुस्तक पढ़ते ही कल्पना की सजीव प्रतिमा में चारों ओर दीख पड़ने लगता है। मूल्य केवल ३); स्थायी ग्राहकों से २।)
मूर्खराज
यह वह पुस्तक है, जो रोते हुए आदमी को भी एक बार हँसा देती है। कितना ही चिन्तित व्यक्ति क्यों न हो, केवल एक चुटकुला पढ़ने से ही उसकी सारी चिन्ता काफ़ूर हो जायगी। दुनिया के झञ्झटों से जब कभी आपका जी ऊब जाय, इस पुस्तक को उठा कर पढ़िए, मुँह की मुर्दनी दूर हो जायगी, हास्य की अनोखी छटा छा जायगी। पुस्तक को पूरी किए बिना आप कभी न छोड़ेंगे—यह हमारा दावा है। इसमें किशनसिंह नामक एक महामूर्ख व्यक्ति की मूर्खतापूर्ण बातों का संग्रह है। भाषा अत्यन्त सरल तथा मुहावरेदार है। मूल्य केवल २)
अपराधी
सच जानिए, अपराधी बड़ा क्रान्तिकारी उपन्यास है। इसे पढ़ कर आप एक बार टॉलस्टॉय के "रिज़रेक्शन" विक्टर ह्यूगो के "लॉ मिज़रेबुल" इबसन के "डॉल्स हाउस" गोस्ट और ब्रियो का "डैमेज़्ड गुड्स" या "मेटरनिटी" के आनन्द का अनुभव करेंगे। किसी अच्छे उपन्यास की उत्तमता पात्रों के चरित्र-चित्रण पर सर्वथा अवलम्बित होती है। उपन्यास नहीं, यह सामाजिक कुरीतियों और अत्याचारों का जनाज़ा है !!
सच्चरित्र, ईश्वर-भक्त विधवा बालिका सरला का आदर्श जीवन, उसकी पारलौकिक तल्लीनता, बाद को व्यभिचारी पुरुषों की कुदृष्टि, सरला का पतित किया जाना, अन्त को उसका वेश्या हो जाना, ये सब ऐसे दृश्य समुपस्थित किए गए हैं, जिन्हें पढ़ कर आँखों से आँसुओं की धारा बह निकलती है। पुस्तक की भाषा अत्यन्त सरल तथा मधुर है। मूल्य केवल लागत मात्र २॥), स्थायी ग्राहकों से १॥।=)
व्यवस्थापक 'चाँद' कार्यालय, चन्द्रलोक, इलाहाबाद

Price As. 4 only. Regd. No. A—2085

बालक-बालिकाओं के लिए उच्च-कोटि का साहित्य

१०७ सुन्दर, सरल एवं शिक्षाप्रद बालोपयोगी कहानियों का अपूर्व संग्रह। पृष्ठ-संख्या २८९; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी 'हिन्दी-कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल २) स्थायी ग्राहकों से १॥) रु० मात्र! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

मनोरञ्जक कहानियाँ

१७ बालोपयोगी सुन्दर हवाई कहानियों का सङ्कलन। पृष्ठ-संख्या २८९; लेखक अध्यापक ज़हूरबख़्श जी, 'हिन्दी कोविद'। प्रोटेक्टिङ्ग कवर सहित सजिल्द पुस्तक का मूल्य केवल १॥) स्थायी ग्राहकों से १=) मात्र! पुस्तक का दूसरा संस्करण छप कर तैयार है। पहिला संस्करण हाथोंहाथ बिक चुका है।

कुछ प्रतिष्ठित पत्रों की सम्मतियाँ

The Leader:

This is a collection of 107 biographical stories meant for the use of children, with a foreward by Mrs. Vidywati Saigal. The subtle influence that stories and anecdotes related in the nursery work on the child-mind bears fruit when the child grows up to be a man or a woman. We have innumerable instances of tender-aged children turned into cowards and easily scared creatures, the cause of whose weakness could easily be traced back to ghost stories and blood-freeting anecdotes of witch-craft heard in the nurseries. Munshi Zahur Bakhsh and his publishers appear to be alive to this deadening influence and their efforts in bringing out this volume of short sketches of brave men and women, rulers and patriots, portraying the fine traits of their character, are indeed commendable. *Here is a book one can safely place in the hands of the young and confidently watch for results.*

❁

The Indian Social Reformer:

Manokar Itihasik Kahaniyan – is another book of about 250 pages by the same author consisting of 107 small traditional stories and can be had at Rs. 2, a copy from the publishers. The stories can be easily understood by children and are useful to teach them to emulate the ideal qualities, such as humaneness, compassion, liberal-mindedness, philanthrophy, power of endurance in adverse times etc., as embodied in the characters of great men and women who figured in history. There is nothing to be desired in get-up and style and the book is bound in an attractive form.

The People:

Srijut Zahur Bakhsh is a well-known Hindi writer and has acquired great renown for his Hindi learning. The books under review are two beautiful collections of stories for children. In these he has collected many historical and several other interesting stories. The collection of stories is excellent in both the work. There is no taint of any communal or racial outlook. The outlook is strictly national. The language is simple and beautiful. We recommend these books for the primary Hindi Schools.

❁

The Indian Daily Telegraph:

Manoranjak Itihasik Kahaniyan—published at CHAND Karyalaya, Allahabad is a collection of short stories from ancient history, written in plain and homely Hindi with interesting and instructive plot; they will help much in the formation of character of young children. It will also be found useful for the teaching of primary Hindi.

Manoranjak Kahaniyan is the name of one of the series of impending publications intended by the writer for impressing on the receptive minds of children who are naturally fond of hearing stories, the various deeds and problems of the adventurous lives of heroic personalities in a novel manner. It contains 17 narratives extending to about 200 pages written in chaste simple style to suit the tastes of boys and girls in their rudimentary educational stages and to help them in their studies. It will be found useful to beguile the idle hours of relaxation and at the same time promote knowledge.

The Nation:

These short historical stories (to be precise anecdotes) for boys are undoubtedly fascinating. The book is well bound and the get-up is attractive. It opens with the very popular story of Pandit Bopdeo who climbed to the summit of cultural glory from the mire of iiliteracy in which the pig-headed truant wallowed. He had despaired of his brains, but a significant incident by a well-side fired him with new hope. Later *Bopdeo* became a house-hold word for his unsurpassed erudition. The book is jammed with such 107 interesting and didactic stories. Persons of all clime and countries have been requisitioned to set an ideal for the boys. Alexander, Omar, Harun Rashid, Edward, Zebbunisa, Ram Singh, Vidya Sagar, Ranade, Shahjahan, Shivaji, Washington, Dayanand and Mahatmaji make an admirable galaxy. Mr. Zahur Bakhsh has established for himself a sound reputation in Hindi literature as a writer of books for boys. His crisp and simple and unpretentious style is suited to the peculiar task he has undertaken.

❁

प्रभात:—

पुस्तक के आदि में श्रीमती विद्यावती सहगल सञ्चालिका 'चाँद' की छोटी सी डेढ़ पृष्ठ की भूमिका है। छपाई और जिल्द प्रशंसनीय है। यह पुस्तक बालकों के बड़े काम की है। इसमें सभी जातियाँ, ग़रीब, अमीर, राव, रङ्क की सच्ची ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। मूल्य भी बहुत ही कम रक्खा गया है। ऐसी पुस्तकें भाषा में अवश्य होनी चाहिए। बालक भी इन्हें बड़े चाव से पढ़ेंगे। महात्मा गाँधी, ऋषि दयानन्द सम्बन्धी कहानियाँ भी अङ्कित की गई हैं।

(इस प्रकार की सैकड़ों सम्मतियाँ हमारे पास मौजूद हैं; किन्तु स्थानाभाव के कारण उनका एक साथ प्रकाशित करना सम्भव नहीं है)

☞ चाँद प्रेस, लिमिटेड, चन्द्रलोक—इलाहाबाद

Edited, Printed and Published for and on behalf of the Chand Press, Limited, by Shrimati Lakshmi Devi, at The Fine Art Printing Cottage, 28, Edmonstone Road, Chandrlok—Allahabad.